खण्ड-119, अंक-1
सोमवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(23 फरवरी, 1953 ई0)

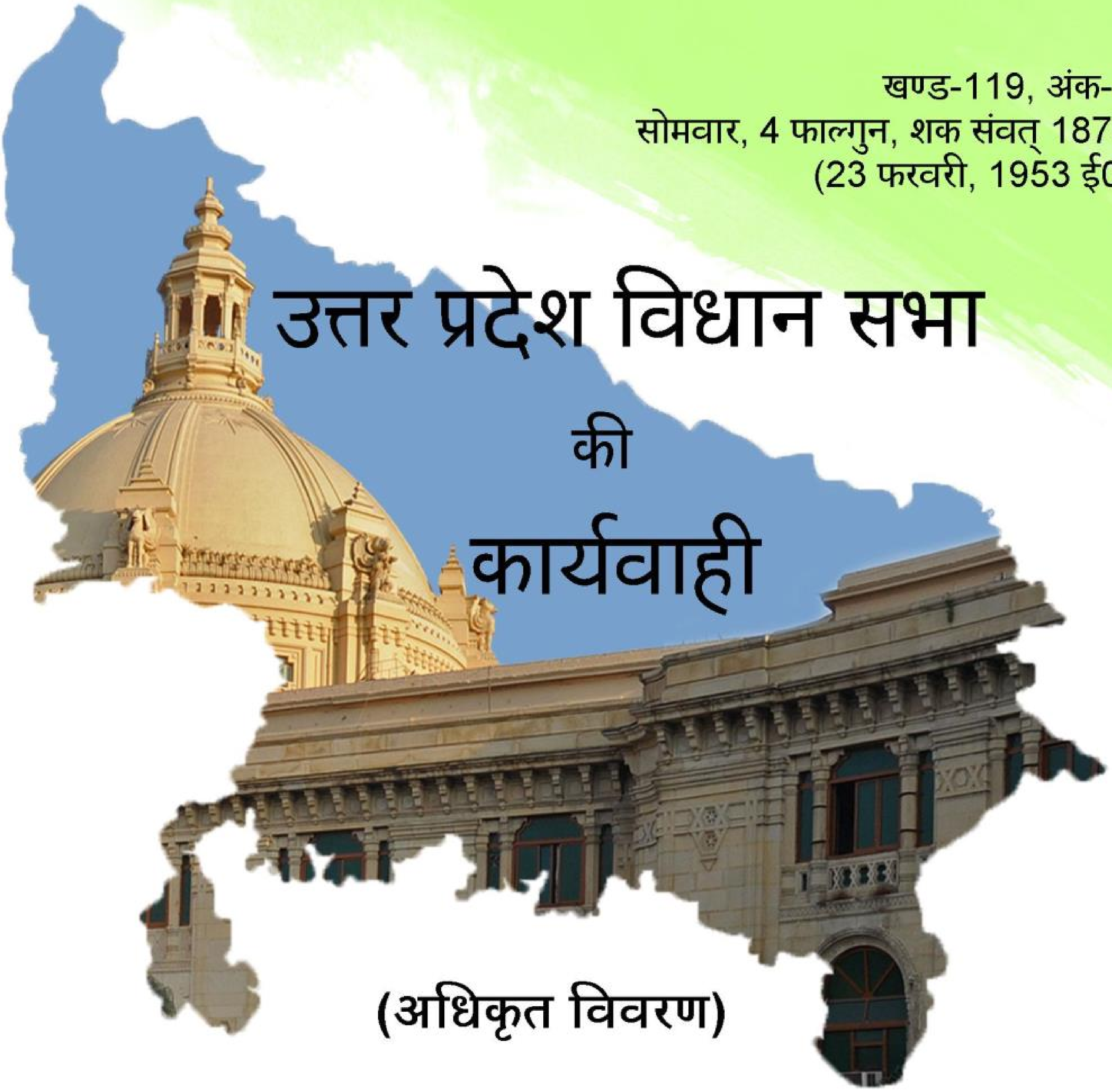

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 119 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ फरवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधे चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालो चरण टन्डन, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दरशा राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालू शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

अविकल प्रदर्शन सभा

उपस्थित सदस्यों की सूची

बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीम सेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगू नाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफिज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौरव
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाव
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्री
रघुनाथ प्रसाद,
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

शिवदान यादव, श्री
रमाशंकर द्विवेदी, श्री
रमाशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज बिहारी मिश्र, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमान
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगावर, श्री
सिया राम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पान्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन के सामने अध्यापकों का असन्तोष प्रदर्शन तथा अनशन

*१--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल के अध्यापकगण विधान भवन के सामने ता० २३-२-५३ को अपना एक सामूहिक प्रदर्शन एवं अनशन करने जा रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां।

*२--श्री गंगाधर शर्मा--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल द्वारा स्वीकृत मांगों के सम्बन्ध में गत ता० ३-९-५२ को उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतला सकते हैं कि यदि पिछले दिनों आश्वासन नहीं दिया गया था तो भी उनकी जो मांगें हैं जिनका कि माननीय मन्त्री जी को स्मृतिपत्र दिया गया है उस पर उन्होंने कुछ विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--उनकी मांगों का सम्बन्ध जिला बोर्डों से है।

श्री गंगाधर शर्मा--जिला बोर्डों का सम्बन्ध वास्तव में है उनसे, फिर भी यदि जिला बोर्डों ने उनको तकलीफें दीं और उनके फलस्वरूप वे आपके पास स्मृतिपत्र भेंजें तो क्या आप अपना कर्तव्य नहीं समझते कि उसके ऊपर विचार करें ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, यह तो अपने विचारों का सम्बन्ध है लेकिन जैसा मैंने पहिले कहा कि उनका सम्बन्ध जिला बोर्डों से है और उस ओर सरकार जरूर विचार कर रही थी कि जिला बोर्डों से कुछ ऐसी बातचीत की जाय और उनकी तकलीफें देखी जायं लेकिन उसका इस ऐक्शन से या हड़ताल से कुछ सम्बन्ध नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि अध्यापकों के बढ़ते हुए असन्तोष को रोकने के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, गलत बातों का प्रोत्साहन न देना एक, दूसरे यह कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की समस्यायें हैं उन पर सरकार विचार कर रही थी, यही उसका सामाधान हो सकता था।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि सन् ४७ की पे-कमेटी की रिपोर्ट इन अध्यापकों के लिये लागू नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, यह गलत है। सब जिलों में वह लागू है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो मांगें माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं वह किस सिलसिले में है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नवम्बर में जब यू०पी० अध्यापक मंडल ने हड़ताल वापस ली थी तो माननीय मन्त्री ने उस समय उनको क्या आश्वासन दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने उत्तर दे दिया यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ लें तो उनको मालूम हो जायगा। मैंने उसमें यह कहा था कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के जिलों में महंगाई का भत्ता केवल ८ रुपया दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेन्दा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त पिछले नवम्बर में अध्यापकों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया था उस समय या उसके पहिले माननीय शिक्षा मन्त्री जी से उनकी कोई बातचीत हुई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, दो अध्यापकों की बात हुई थी। ये दो अध्यापक अध्यापक प्रतिनिधि थे या नहीं मैं यह नहीं कह सकता।

श्री गेन्दा सिंह--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जो बातचीत हुई थी उसकी सदन को जानकारी कराकर लाभ उठाने का अवसर देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह बातचीत व्यक्तिगत थी। जब तक मुझे यह मालूम न हो जाय कि जिन लोगों ने बातचीत की थी वह किसी संस्था के प्रतिनिधि थे तब तक सदन को कोई बात बतलाना उचित नहीं होगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि भिन्न भिन्न जिला बोर्ड स्वतन्त्र हैं कि वह अध्यापकों से समझौता कर लें ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरा खयाल है कि अगर वह पे-कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हैं तो उसके लिये वह स्वतन्त्र हैं।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अनशन क्यों किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो अनशन करने वाले बता सकते हैं ?

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और जो यह प्रदर्शन चल रहा है सरकार उसका कोई हल सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जिला बोर्डों से सरकार का जो सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य उसको जानते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल का डाइरेक्टर महोदय, और शिक्षा मन्त्री महोदय से कोई पत्र व्यवहार अभी हाल में हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, अध्यापक मंडल का एक पत्र डाइरेक्टर के पास आया था उसका उत्तर देने के पहिले वह उत्तर मुझे दिखलाया गया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उत्तर क्या था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह उत्तर गोपनीय था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में अध्यापकों की उचित मांगों पर सरकार कोई विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---उनकी उचित मांगें हैं या नहीं इस पर तो दो विचार हो सकते हैं लेकिन जहां तक पे कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने उसको कार्यान्वित किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उनको पे-कमेटी के अनुकूल तनख्वाह दे रहे हैं केवल गढ़वाल को छोड़कर।

तारांकित प्रश्न

*१---३---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---[९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४---५---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहानपुर)---[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बन्दीपुर क्षेत्र का आजमगढ़ जिले में मिलाने पर विचार

*६---श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले में स्थित बन्दीपुर क्षेत्र, जो फैजाबाद और आजमगढ़ की सरहद पर बसा है, तथा जो तीन ओर से टोंस नदी से घिरा है, प्रायः ३० वर्गमील का क्षेत्र है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जी हां, बन्दीपुर गांव के आस पास लगभग २५ वर्गमील का क्षेत्र है जिसमें ८-१० गांव हैं इन गांवों के दक्षिण पूर्वी ओर से होकर टोन्स नदी बहती है।

*७---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार को मालूम है कि वह क्षेत्र फैजाबाद से ७५ मील दूर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बन्दीपुर गांव तो ७५ मील दूर है लेकिन इस क्षेत्र के कुल गांव ६४ मील की दूरी पर है।

*८---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार सुविधा की निगाह से उस क्षेत्र को आजमगढ़ जिले में मिलाने पर विचार करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री झारखण्डे राय---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रश्न पर कब तक विचार हो जाने की आशा है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---जैसे ही पूरे फैक्टस गवर्नमेंट के सामने आ जायेंगे और विचार के लिये समय मिल जायगा उतनी ही जल्दी उस पर विचार हो सकेगा ।

कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा गाय भैंसों से बच्चे पैदा करना

*९---श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि गाय-भैंसों से बनावटी ढंग से बच्चे पैदा करना अत्यन्त हानिकारक सिद्ध रहा है ?

कृषि उप मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---ऐसा अभी तक अनुभव नहीं हुआ है।

*१०---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस प्रकार से बच्चे पैदा करने से दूध क्यों कम हो जाता है, और क्या abortion की संख्या बढ़ रही है ।

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी तक कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा दुग्ध उत्पादन में हानिकारक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ है। जहां तक ज्ञात हुआ है कि गर्भपात की संख्या बजाय बढ़ने के कम हो जाती है।

श्री श्रीचन्द--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रणाली कब आरम्भ की गई थी ?

श्री चरण सिंह--संसार से वास्ता है तो मालूम नहीं और अगर उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है तो दो तीन वर्ष हुए।

श्री श्रीचन्द--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रणाली का अनुभव कब तक हो जायगा ?

श्री चरण सिंह--अब तक जो दूसरी जगह अनुभव हुआ है इससे साबित हुआ है कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनके दूध में कोई कमी नहीं होती और न खराब बच्चे होते हैं।

*११--श्री श्रीचन्द--उपर्युक्त बनावटी ढंग उत्तर प्रदेश में कहां कहां प्रचलित है और यह क्यों आरम्भ किया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६ पर)

ओला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में हानि

*१२--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि जनवरी मास में ओला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर के किन भागों को नुकसान पहुंचा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला गोरखपुर में बस्ती-गोरखपुर रोड तथा गोरखपुर-कसिया रोड के समानान्तर क्षेत्र में तथा देवरिया में १५ से १६ मील चौड़ी पट्टी में जो गोरखपुर-कसिया रोड का अधिकतर अनुगमन करती हुई जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई है, ओलों से हानि पहुंची है।

*१३--श्री रामनरेश शुक्ल--सरकार ओला से पीड़ित क्षेत्र को किस प्रकार की सहायता देने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ओला से पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ शासन ने जो कार्यवाही की है उसका विवरण इस प्रकार है--

(१) जिन किसानों का गन्ने का मूल्य चीनी मिलों में बाकी पड़ा है उनकी मालगुजारी किसानों के मिल के पावने से काट ली जायेगी, किसानों को गन्ने का मूल्य मिलने में जो कठिनाई है वह इससे दूर हो जायेगी। इस वर्ष जिन किसानों को गन्ना देना शेष है उनको भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(२) तकावी का पिछला बकाया उन किसानों से इस समय वसूल नहीं किया जायगा जिनकी हानि रुपये में आठ आना या उससे अधिक है।

(३) कुछ शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को उगाने के लिये किसानों को बीज के रूप में तकावी मिल सकेगी। इस हेतु जिलाधीश, देवरिया को २ लाख तथा जिलाधीश, गोरखपुर को १ लाख रुपया दिया गया है।

(४) ओले से क्षत-विक्षत गन्नों को व्यर्थ होने से बचाने के लिये चीनी मिलों में ओला पीड़ित क्षेत्रों से ही पहले गन्ना लेने का प्रबन्ध किया गया है, और प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसा गन्ना मिलों में खप जाय।

(५) जो किसान नई फसलें उगाना चाहेंगे, उनकी सिंचाई की सुविधा के लिये दोनों जिलों में, ३--३ पंपिंग सेट्स भेजे गये हैं, आवश्यकता पड़ने पर और सेट्स भी उपलब्ध किये जा सकेंगे।

(६) गन्ने के बीज के लिये सरकार की ओर से अच्छा बीज मूल्य पर देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(७) ए० पी० स्कीम के अन्तर्गत सस्ते गल्ले का प्रबन्ध इन जिलों में पहले ही से है, जिलाधीश आवश्यकतानुसार और दूकानें बढ़ा सकते हैं।

(८) टेस्ट वर्क्स तथा अहेतुक सहायता की सुविधा जिलाधीश यदि आवश्यक समझें तो प्रदान कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इस पीड़ित क्षेत्र में मालगुजारी में छूट देने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--हां, जहां अधिक नुकसान हुआ है वहां छूट देने की व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बस्ती जिले के किसानों को भी रुपया देगी जैसा कि देवरिया और गोरखपुर को दिया गया है, जहां कि फस्ल को नुकसान हुआ है ?

श्री चरण सिंह--अभी बस्ती में इतना ओला नहीं गिरा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस ओले से जो कुछ नुकसान हुआ है, यह रुपया या अनाज के हिसाब से कितना औसतन हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार कितने गांव में, किस कदर नुकसान हुआ है यह तो बतला सकती है, लेकिन कुल ब्योरा कि कितने गांव में कितने रुपये में नुकसान हुआ है, यह सरकार के पास नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि बस्ती जिले में क्या कहीं पर ओला नहीं पड़ा है, जहां कि सहायता करने की जरूरत हो ?

श्री चरण सिंह--बस्ती जिले के जिलाधीश से दो बार फोन पर बातचीत हुई। उनका ख्याल यह है कि ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसमें कोई विशेष सहायता की जरूरत हो। उन से यह कहा गया है कि तफसीलवार रिपोर्ट जल्दी भेज देंवे। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि जहां आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां वह तकावी वसूल न करें इस तरह का भी आदेश दे दिया गया है।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बस्ती जिले के अन्तर्गत, जहां ओला गिरा है, जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बस्ती जिले में भी जांच हो रही है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--माल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन जिलों में ओले पड़े हैं ?

श्री चरण सिंह--मथुरा में पड़े, इलाहाबाद में पड़े, आजमगढ़ में और बस्ती से लेकर देवरिया में पड़े। मुमकिन है और जिलों में पड़े हों, जहां से रिपोट नहीं आई हो। हर साल ओला गिरता है, लेकिन एक-दो साल से उसकी बाबत शोर मचाने की परिपाटी ज्यादा हो गयी है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि आजमगढ़ के किन हिस्सों में ओला पड़ा है ?

श्री चरण सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बुनियाद पर देवरिया और आजमगढ़ को सरकार ओला गिरने की वजह से किसानों को सहायता करना चाहती है उसी प्रकार दूसरे जिलों में जहां ओले गिरे हैं, उनमें भी क्या सरकार किसानों की सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--ओला या और कोई और प्राकृतिक आपत्ति जब आ जाय तो उस समय अधिकारियों को क्या तहकीकात करनी चाहिए, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए और कितन

नुकसान में कितनी रियायत मालगुजारी आदि में करनी चाहिए यह सब लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल में दिया हुआ है और उसके अनुसार ही अफसरान बिना गवर्नमेंट को रिफर किये हुए तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट देते हैं ?

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय माल मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ओलों से क्षति की जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्षति की जांच तो जिलाधीश, वहां के एस० डी० ओ० और दुसरे कर्मचारियों के द्वारा करायी जाती है, लेकिन जो इस प्रकार ओले पड़े हैं उसमें तो फैजाबाद और गोरखपुर के कमिश्नर ने भी जांच की है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार को यह पता है कि जिन क्षेत्रों में ओले गिरे हैं उन क्षेत्रों के किसानों के लाखों रुपये चीनी मिल मालिकों के पास गन्ने के दाम के रूप में बाकी हैं ?

श्री चरण सिंह--कितने रुपये बाकी मिलों के पास हैं, उनके लिये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुमकिन है कि कुछ रुपये रुके हों।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर या बस्ती कितने जिलों के गांवों में ओले पड़े और कितना नुकसान हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गोरखपुर जिले में तो सदर तहसील में १०४१ गांव में ओलों से नुकसान हुआ है, बांस गांव के तहसील में ४३ गांव में और महाराज गंज तहसील में २५४ गांवों में तथा इसी प्रकार देवरिया की तहसील पडरौना में ५०१ गांवों में, हाटा में २७२ गांवों में और देवरिया तहसील के २४७ गांव में ओले गिरे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है वह भिन्न-भिन्न रूप में है।

श्री गेंदा सिंह--जो सहायता की फेहरिस्त माननीय माल मन्त्री जी ने बतायी है, अब तक क्या सहायता उसमें से क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को हो पायी है, इसकी खबर माननीय माल मन्त्री जी को है ?

श्री चरण सिंह--जो सहायता करने का आदेश दिया गया है वह बतला दिया गया है। आठ प्रकार की सहायता दी गई है, लेकिन इसके बाद कितनी सहायता दी गई है इसकी रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है और न मंगाने की आवश्यकता समझी गई है।

*१४--१५--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६--१७--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[१६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकार को तराई भावर खास स्टेट से आमदनी

*१९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को तराई भावर खास स्टेट से कुल कितनी आमदनी होती है और उस आमदनी का कितना हिस्सा खास स्टेट के विकास में खर्च किया जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१--भिन्न-भिन्न वर्षों में आमदनी और खर्च भिन्न होता है। वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में अनुमानित आमदनी २५,८४,५४० रु० है। इसमें से अनुमानित खर्च १७,१७,५०० रु० है। यह सब धनराशि तराई और भावर स्टेट के विकास पर ही खर्च की जाती है।

२--विशेष विकास योजनाओं में सन् १९५२-५३ के बजट में निम्नलिखित धनराशि रक्खी गयी है :--

			लाख
वन विकास योजना	...	..	१.३९
चिकित्सा और स्वच्छता	...	...	१.७०
शिक्षा	...	...	.४९
विकास विक्रय कृषि तथा बीज गोदाम		...	२.१५
पशु चिकित्सा तथा पशुपालन	...	...	०.३६
सिंचाई	...	...	३.१९
सार्वजनिक निर्माण सड़कें तथा कुंएं		...	.९९
कुल योग		...	१०.२७

इस खर्च में पंच वर्षीय योजना का खर्च जो कुल १,१८,००० रु० है, शामिल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो आमदनी तराई भावर स्टेट की है; वह किन मदों से होती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कुछ तो जमीन से होती है, कुछ वन विभाग से होती है, इसी प्रकार से होती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, जबकि माननीय मन्त्री जी ने दावा किया है कि सारा खर्चा १७,१७,५०० रु० तराई और भावर के विकास में ही खर्च किया जाता है तो फिर १०,२९,००० रु० क्यों दिखाया गया है ?

श्री चरण सिंह--इसमें १,६७,००० रु० इंजीनियरिंग पर और ३,१६,००० रु० फारेस्ट पर है। यह मदें अभी शामिल नहीं की गयी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई के लिये रक्खा गया ३,१९,००० रु० किस प्रकार खर्च किया जायगा ?

श्री चरण सिंह--सिंचाई के कार्यों पर खर्च किया जायगा।

*२०--श्री नारायण दत्त तिवारी--[१६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री इस्तफा हुसैन--[९ मार्च, १९५३ के लिय स्थगित किया गया।]

अध्यापकों के अनशन से सम्बद्ध दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं और वह भी अध्यापकों के अनशन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये हैं। इसके सम्बन्ध में अभी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो चुके हैं और बजट पर साधारण वाद-विवाद भी होने वाला है, उसमें जो कुछ खामी रह गयी हो किसी के दिल में, उसकी सफाई हो सकती है। इस लिये मैं इजाजत नहीं देता हूं कि काम रोको प्रस्ताव पेश हों।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री श्री हाफिज मुहम्मद साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसे सीधे तरीके पर हम देखते हैं कि किसानों के हक पर सीधा-सीधा हमला है। पहले बजट में जिस प्रकार पूंजीपतियों के स्वार्थों को सुरक्षित कर गरीबों की लूट करने का दरवाजा खुला रखा गया था उसी प्रकार इस बजट में भी है। कहने के लिये तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने कल्याणकारी राज्य का बजट बतलाया है, मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बजट कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं है, बल्कि यह नौकरशाही के खूनी पंजे को मजबूत करने वाला बजट है। अगर एक तरीके से देखा जाय तो इसमें गरीबों की कमर टूटती है। जब मैं यह कहता हूं कि यह किसानों के हक पर सीधा सीधा हमला है तो इसके माने सीधे से तरीके से सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं कि बजट में जिस प्रकार सिंचाई का रुपया डेढ़ गुना करने की तजवीज है और जिस प्रकार विक्रय कर बढ़ाने की ओर संकेत किया गया है उससे किसानों का भला नहीं होता है। उल्टे किसानों की गाढ़ी कमाई की लूट होती है।

श्रीमन्, जब हम बजट के आंकड़ों को देखते हैं और बजट के लिये आमदनी कहां से प्राप्त की जा रही है इसे देखते हैं तो हम इसे साफ कह देना चाहते हैं कि आज इस सरकार के पास कोई भी सुनियोजित योजना नहीं है कि कहां से रकम लाई जाय। प्रगतिशील अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि कैपेसिटी टू पे को देखकर ही टैक्स लगाना चाहिए। इसके बारे में डाल्टन की पुस्तक है "प्रिंसिपल आफ पब्लिक फाइनेन्स"। मैं उसके अन्दर से कुछ आपकी आज्ञा से पढ़कर सम्मानित सदस्यों को सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा है स्पष्ट तरीके से कि--

"Assuming that the relationship between income and economic welfare state is the same for all taxpayers and that the original utility of income demnishes fairly rapidly as income increases, the principle of equal sacrifice leads to progressive taxation and the principle of proportionate sacrifice to still steeper progressive taxation and the principle of minimum sacrifice, as already said, to a relatively high level of exemption and very steeply progressive taxation of those not exempt."

अगर इसको सही तरीके से देखा जाय तो यहां आथर ने इस बात को साफ कहा है कि यह देखना चाहिए कि जिनसे लिया जा रहा है उनके पास देने की क्षमता भी है या नहीं। कितनों को छूट होनी चाहिए। अगर मैं पूछना चाहता हूं कि बजट को कल्याणकारी राज्य का बजट कहकर क्या इस शब्द के साथ खेल करना नहीं है। अगर इस तरीके से बजट को हम कल्याणकारी बजट कहने लगेंगे तब तो हमें कहना यह पड़ेगा कि जिस तरीके से नाप तोल कर वजन के साथ इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जब मैं बजट के आंकड़ों को देखता हूं जो वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में दिये हैं और उनका हिसाब लगाता हूं तो एक ताज्जुब उनके दृश्य सामने प्रस्तुत हो जाता है जैसे मानो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कल्याणकारी काम होगया है। मुझे तो यह एक दूकानदारी का सा बहीखाता मालूम होता है और मैं तफसील के साथ एक एक बात पर आना चाहता हूं। अगर सम्मानित सदस्य पिछले सालों के बजट देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि सन् १९३६ में १२ करोड़ रुपये का, १९३७-३८ में भी १२ करोड़ रु० का, ४०-४१ में १४ करोड़ का, ४५-४६ में ३० करोड़ का, ४६-४७ में ३४ करोड़ का, ४७-४८ में ३८ करोड़ का, ४८-४९ में ४९ करोड़ का, ४९-५० में ५६ करोड़ का, १९५०-५१ में और ५२-५३ में ६५ करोड़ का था। और आज ७९ करोड़ का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। इस हिसाब से १२ करोड़ से लगभग ७ गुनी आमदनी हो गई है। उसके अनुपात से यदि हम सुरक्षा सामाजिक सेवाओं में देखें कि किस हिसाब से खर्चा किया गया है तो मालूम होगा कि कल्याणकारी राज्य है या नहीं।

श्रीमन् अगर पिछले साल का अनुपात देखा जाय और इस साल का देखा जाय कि इन मदों पर कितना खर्च होता है तो हर जगह यह दिखलाई पड़ता है कि घाटा ही घाटा है। अनुपात कम होता जा रहा है। हम चिकित्सा को ही पहिले लें, जिसको हम सामाजिक सेवा के अन्दर लेते हैं तो जब हमारे यहां अंग्रेजी हुकूमत कायम थी और जबकि १२ और १४ करोड़ के अन्दर ही बजट बनाना पड़ता था उस समय .७६ चिकित्सा पर खर्च होता था और आज इसमें आंकड़ों का अनुपात दशमलव अंशों से भी कम है। अगर हम शिक्षा को लें तो गत वर्ष के मुकाबिले में भी बहुत कमी है। गत वर्ष जहां १२.४ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था वहां इस वर्ष शिक्षा पर १०.८ ही हुआ है। इसी तरीके से अगर हम जनस्वास्थ्य को लें तो जनस्वास्थ्य पर जहां ३.२ पिछले साल के बजट में रखा गया था इस साल वहां इसमें १.८ है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)––एमाउन्ट्स भी कहते जाइए।

श्री राज नारायण––श्रीमन्, माननीय मन्त्री, स्वायत्त विभाग चाहते हैं कि रकम को भी एनाउन्स कर दिया जाय तो वह रकमें तो देखेंगे कि इतने ही से अन्दाजा लग जाता है सन् ३६ से इस समय आमदनी का अनुपात ७ गुना है जैसा अभी मैंने बताया था उसमें उसके अनुपात से ये आंकड़े क्या बैठते हैं। अगर वे अपने चक्षुओं को इस्तेमाल करें तो उनको मालूम हो जायगा कि ७ गुना रकम आमदनी की बढ़ी है क्या उसकी अनुपात में सब जगह रकम बढ़ी है इस बात को देखकर ज्ञान चक्षु खुल जायेंगे और उनका बुद्धि विभ्रम दूर हो जायेगा।

श्रीमन्, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा माननीय वित्त मन्त्री जी ने नयी जमीनों को तोड़ने के बारे में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि करीब २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई। श्रीमन्, मैं इसी के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर वह जमीन तोड़े जाने का जो सुनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वह कहां चला जाता है। श्रीमन्, मैं आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं जो सन् १९४०–४१ में जितने क्षेत्र में गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल बोया गया था। यह सन् १९४०–४१ में कुल ३०,५१३ हजार एकड़ था और १९५०–५१ में यह ३५,३७६ हजार एकड़ था और सन् ५१–५२ में ३५,७०० हजार एकड़ हुआ। तो श्रीमन्, यह जो २२ लाख एकड़ जमीन जो तोड़ी गई यह कहां गई।

श्री अध्यक्ष––यह आंकड़े आप लाख में दे रहे हैं या हजार में ?

श्री राजनारायण––श्रीमन्, यह इतने हजार एकड़ हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं।

अन्न मन्त्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)––क्या इतने एकड़ में सिर्फ राइस बोई गई।

श्री राज नारायण––श्रीमन, यह टोटल एकरेज है जैसा मैंने उनको पहले ही बता दिया था, लेकिन श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी शायद सुनते नहीं हैं और बाद में उनकी उत्कंठा जागती है, कौतूहल प्रज्वलित होता है और उसको शांत करने के लिये बीच में उनके लिये टोंकना जरूरी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष––मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप न हों तो अच्छा है।

श्री राजनारायण––इसी तरह से अगर नेट एरिया क्राप को सामने रख लीजिए तो

वर्ष			हजार एकड़
१९४०–४१	..	..	३५,९८३
१९४१–४२	..	..	३५,५४५
१९४२–४३	...	...	३६,३६५
१९४३–४४	...	...	३६,५४१
१९४४–४५	...	...	३६,६२९

[श्री राजनारायण]

वर्ष			हजार एकड़
१९४५-४६	...	...	३६,७४१
१९४६-४७	...	...	३६,५३९
१९४७-४८	...	...	३६,६९५
१९४८-४९	...	...	३६,९१७
१९४९-५०	...	...	३८,८४३

श्रीमन्, जहां तक आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं उनको मैं पेश करना चाहता हूं और आंकड़ों को देखकर यह मालूम होगा कि यह नेट एरिया क्राप है, जिसमें जितनी फसल बोयी जाती है उसका लुब्बे लबाब रखा हुआ है। जो जमीन तोड़ी गयी है वह कहां चली गई है। मुझे अफसोस है कि माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम इस समय सदन में नहीं हैं इसका समुचित उत्तर आना चाहिए क्योंकि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और देखते हैं कि वास्तु स्थिति क्या है और जो नक्शा हमारे सामने रखा जा रहा है वह क्या है। दोनों में भ्रम होता है। सरकारी आंकड़ों को देखने और लगाने में सदन के समय का नुकसान होता है और बाहर भी हमारे समय का नुकसान होता है।

इसी तरह से श्रीमन्, अगर सिंचाई के बारे में देखा जाय तो कितने ही लाख एकड़ जमीन माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाई है। सिंचाई के लिये तो १९४६ से देखा जाय और पिछले साल की तमाम बातें देखी जायं तो उसमें यह बात साफ हो जाती है कि सिंचाई कहां चली गयी। इर्रीगेशन रिपोर्ट में यह है कि सन् १९४६-४७ में २५,६४२ मील लम्बी नहरें खुदीं। इसी रिपोर्ट के अन्दर २० हजार मील लम्बी नहरें सन् १९३० में ही बन चुकी थीं अब सन् १९५२ में सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि १७,८२४ मील लम्बी नहरें बनीं। अब श्रीमन्, जरा इन आंकड़ों की जादूगरी को देखा जाय कि सन् १९४६-४७ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि २५,६४२ मील लम्बी नहरें खुदीं और अब जो यह डायरी हमको बांटी गई है उसमें काफी रुपया भी खर्च हुआ होगा उसमें यह है कि १७,८२४ मील लम्बी नहरें खुदीं। इन आंकड़ों की जादूगरी को माननीय सदस्यों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर यह बात क्यों हो रही है।

इसके बाद अगर बजट के भाषण को आगे देखा जायगा तो जो भूमि में खाद के गड्ढों आदि का सुन्दर चित्र रखा गया है अगर उसको साल साल वार जोड़कर रख दिया जाय तो शायद खाद के लिये जितनी जमीन आज है उसकी चौथाई भी न रह जाय क्यों कि सारी जमीन गड्ढे गड्ढे ही बन गई हैं और श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो श्रमदान सप्ताह मनाया गया उसके सम्बन्ध में मैंने पहिले ही कह दिया था कि किसानों ने काफी उत्साह के साथ काम किया है लेकिन सरकार जो आंकड़े पेश करती है, सरकारी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वह गलत है। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय मन्त्री हमारे साथ चलें और जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसको लें लें। दो एक जिलों की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बनारस के बारे में जो २६ तारीख से काम होने की रिपोर्ट आई उसमें केवल एक-एक क्षेत्र में ही दो पक्की सड़कों की चर्चा हुई है। कि फलानो जगह पक्की सड़कें बनाई गई जबकि वहां कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। जब मैंने इसकी ओर जिलाधीश का ध्यान आकर्षित किया तो मुझसे कहा गया कि शायद सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में गलत भर दिया। इस प्रकार से जो रिपोर्ट जिले से तैयार होकर आती हैं उन्हीं का समुच्चय बनाकर माननीय मन्त्री जी यहां सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिये अपनी रिपोर्ट जब माननीय मन्त्रीगण बनाया करें तो वह देख लिया करें कि प्रस्तुत अंश किस प्रकार के हैं वरना हमारा यहां वाद विवाद करना सब व्यर्थ हो जायगा और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे इस बात की कोशिश करेंगे कि जो भी आंकड़े हमारे सामने रखे जायं वे सही तरीके से रखे जायं।

श्रीमन्, जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को भी मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि कई लाख टन गल्ले की बृद्धि हुई है और यह वृद्धि नौतोड़ जमीन के कारण हुई है। इसके बारें में भी एक जानकारी मैं सदन को दे देना चाहता हूं वह यह कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वे सरकारी विभागों से ही आते हैं, यह आंकड़े हम स्वयं गढ़े नहीं हैं। हम विभिन्न विभागों को जो पत्र लिखते हैं उनके जवाब में जो आंकड़े वहां से आते रहते हैं उन्हीं को हम यहां पेश करते हैं। श्रीमन् १९४०-४१ में कुल व्हीट, ग्राम, बारलें, मेज और राइस सबको मिलाकर ९,६,६७६ हजार टन की पेदावार हुई है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य शायद करोड़ और लाख का हिसाब नहीं रख पा रहे हैं।

श्री राजनारायण--जी हां, क्योंकि मैंने इसी तरह से हिसाब लगाया है और विभागों से हजारों नहीं भी आंकड़े आते हैं इसलिये मुझको हजारों में कहने में ही सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आप उत्पादन को हजारों में ही कहिए, कभी कभी आप बाद में हजारों कहना भूल जाते हैं।

श्री राजनारायण--बहुता अच्छा, श्रीमन्, जो उत्पादन के आंकड़े हैं, वह इस प्रकार हैं--

वर्ष			पैदावार (टन हजारों में)
१९४०-४१	...	...	९६,६७६
१९४१-४२	...	...	८२,०००
१९४२-४३	...	...	१०,१८०
१९४३-४४	...	...	९,२१३
१९४४-४५	...	...	९,४१३
१९४५-४६	...	...	९,१६८
१९४६-४७	...	...	८,९२०
१९४७-४८	...	...	९,७७६
१९४८-४९	...	...	९,०९७
१९४९-५०	...	...	९,५६०
१९५०-५१	...	...	९,५२८

इन आंकड़ों से श्रीमन्, अगर देखें तो सन् ४२-४३ में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है और वह १०,१८० हजार टन है और तब से १० वर्ष का जमाना बीत गया, २२ हजार एकड़ नई जमीन तोड़ डाली गई, कई हजार मील नई नहरें बन गयीं और अंग्रेजी राज्य में जो पुलिस का राज्य कहलाता था, तानाशाही और विदेशीय राज्य कहलाता था, उस राज्य से आज इस राज्य में इसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, कोई उत्पादन कहीं बढ़ा हुआ नहीं दिखायी पड़ता। हमें पता नहीं या हम लोगों को सरकारी विभाग भूल भुलैया में रखने के लिये गलत आंकड़े देते हैं नहीं तो, जो वित्त मन्त्री या अन्य मन्त्रियों के भाषण होते हैं, जिनमें हमें स्वर्ग दिखाया जाता है, उनमें और इन आंकड़ों में विभेद कैसे होगा। इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

[श्री राज नारायण]

इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मन्त्री जी ने इसको कल्याणकारी राज्य का बजट कहा, तो हम भी आपके द्वारा सम्मानित सदन के सामने रखें कि कल्याणकारी राज्य का बजट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? वेलफेयर स्टेट के क्या माने हैं ? अगर इसको कल्याणकारी राज्य समझते हैं तो इस तरह के राज्य में जनता को अरुचि न होने लगे और कल्याणकारी शब्द से भी अरुचि न होने लगे ? इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण और तमाम सम्मानित सदस्यगण उसके सच्चे अर्थ को ग्रहण करें और जब तक यह बात नहीं होगी तब तक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता है। कल्याणकारी राज्य में फुल इम्पलायमेंट (सबकी जीविका) होना चाहिये। कल्याणकारी राज्य में कम से कम सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिये, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हो, बेकारी का बीमा, बुढापे का पेंशन, अपंगुओं को सहायता, स्वास्थ्य का प्रबन्ध और मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। संक्षेप में हम यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक और मानसिक आरोग्य कायम रखने के लिये सारी व्यवस्था और सारा इन्तजाम होना चाहिये और इसके साथ साथ श्रीमन् यह तो बुर्जआ स्टेट्स जो पूंजीवादी ढांचे को कायम रखते हैं वे भी वेलफेयर स्टेट की इतनी बातें कहते हैं मगर जब हम समाजवादी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो सारे मंत्रीगण यह कहते नहीं थकते कि हमारे और इनके उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है। तो मैं श्रीमन् के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि जहां हम वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं वहां तो आर्थिक और सामाजिक समानता होगी। इकनामिक इक्वेलिटी और सोशल इक्वेलिटी होगी। मगर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है, जो परिभाषा की है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि यही वेलफेयर स्टेट है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं मैं चाहता हूं कि वे भी इस बात को ग्रहण करें और जो छोटी अक्ल वाले लोग हैं उनको भी समझावें, बतलावें कि आखिर वेलफेयर स्टेट का क्या माने होता है। श्रीमन्, मैं पुनःआपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को नाप तौल कर जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बजट को प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकारी पक्ष के सदस्यगण को इस बात को समझाया कि यह कैसे वेलफेयर स्टेट है। मैं कहता हूं कि वेलफेयर स्टेट का माने यह हरगिज नहीं हो सकता है। जिस राज्य में अभाव हो, जिस राज्य में शान्ति की कमी हो, जिस राज्य में व्यवस्था की कमी हो, जिस राज्य में शोषण हो वह राज्य किसी तरह से भी कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है। और मुझे फिर इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अभाव, शोषण और बेकारी में अपार वृद्धि हुई है। श्रीमन् आपके द्वारा मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि "अपार वृद्धि" शब्द का प्रयोग मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां यह कहा है कि "डेमोक्रेसी या जनतंत्र में एक का वेलफेयर राज्य होना जरूरी है" वह वाक्य यहां जिस तरीके से रखा गया है उस वाक्य में भी बहुत कुछ दोष है। मगर आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र में एक राज्य को वेलफेयर स्टेट होना चाहिये। जनतंत्र या डेमोक्रेसी के क्या माने है इसको भी समझना जरूरी है श्रीमन्, सही माने में अगर डेमोक्रेसी और जनतंत्र को समझना है जिसका मतलब स्वराज्य से है तो आपके द्वारा एक वाक्य में वहां पर विद्वत् मंडली और इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं। "विदरिंगअवे आफ दि वेलफेयर स्टेट मीन्स विदरिंग अवे आफ डेमोक्रेसी"। डेमोक्रसी का क्या माने होता है ? इसका माने होता है सत्ता का केन्द्रीयकरण करना ? क्या डेमोक्रेसी साध्य है या साधन है ? श्रीमन्, डेमोक्रेसी में उस व्यवस्था के द्वारा हम समाज की रचना करना चाहते हैं जिससे प्रत्येक मनुष्य "फ्राम दि रेल्म आफ नेसेसिटी टु रेल्म आफ फ्रीडम" उस व्यवस्था से अच्छी तरह निकल कर स्वच्छन्द वातावरण में विचरण कर सके। और तब राजनैतिक विषमता दूर होगी और आर्थिक विषमता दूर होगी और मनुष्य समाज में जितनी प्रकार की विषमतायें हैं उन सब का विनाश हो जायगा किन्तु मुझे बहुत

खेद के साथ कहना पडता है कि आज हमारे देश में उस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं एक बात को फिर कहना चाहता हूं कि काशी जैसी पवित्र नगरी में जहां पर ब्राह्मणों का चरणामृत लिया जाता है यह किस प्रकार से उपयुक्त है। ऐसा कहा गया है कि जो विद्वान हों जो प्रतिभाशाली हों उनका चरणामृत लेने में कहां का दोष है ? मगर मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि आज किसी एक जाति में ही विद्वान नहीं हैं। आज हर एक समाज में विद्वान हैं चाहे वह किसी भी जाति का समाज हो। चाहे वह ब्राह्मणों का समाज हो, चाहे वह कूर्मियों का समाज हो चाहें चमारों का समाज हो और चाहे भंगियों का समाज हो। सब के अन्दर विद्वान भरे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--यह राष्ट्रपति के कार्य पर आक्षेप है इस पर आप विस्तार से न कहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि काशी में जो घटना हुई है वहां पर श्री राज्यपाल और हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित थे। अखबारों में उनके बयान भी निकल चुके हैं। इसलिये यहां पर उनका चर्चा करना आवश्यक हो गया था। श्रीमन्, मैंने यहां पर केवल संकेत के लिये उदाहरण उपस्थित किया कि जहां पर किसी एक श्रेणी को या किसी एक क्षेत्र को किसी सीमा के लिये किसी विशेष जाति को विद्वत्ता की कसौटी के लिये माना जायगा तो वह समाज में विषमता को कायम रखने के लिये होगा और उससे समाज की विषमता नहीं मिट सकती है। समाज की विषमता तो इसी से मिट सकती है कि किसी जाति विशेष को विद्वत्ता के लिये सीमित न किया जाय।

मैं जनतन्त्र की बात कह रहा था। जनतन्त्र में सेन्ट्रलाइजेशन होगा या डिसेन्ट्रलाइजेशन होगा। अगर जनतन्त्र का जीता जागता और चमकता हुआ उदाहरण देखना हो और हमारे इस सदन के माननीय सदस्य इसको वे देखना चाहें तो माननीय श्री हुकुमसिंह के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर देखें कि वहां पर जनतन्त्र है या किस प्रकार का जनतन्त्र है। वहां पर आज जनतन्त्र की तानाशाही का निरंकुश टैरर छाया हुआ है। माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र कैसरगंज में जमे हुये हैं और वहां अपना आतंक जमाये हुये हैं। श्रीमन्, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और आपके जरिये से माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातन्त्र के साथ मखौल नहीं है या एक खेल करना नहीं है, श्रीमन् इसी सदन के अन्दर बैठे हुये सम्मानित मंत्री समय समय पर कुछ वाक्य निकाला करते हैं। उन वाक्यों को ही मैं यहां पर दोहरा रहा हूं कि "a Minister is always a Minister" एक सम्मानित मिनिस्टर ने बुलन्दशहर में जाकर यह कहा था कि "a Minister is a Minister" एक मंत्री के जाने पर जब हुकूमत से लोग इतने थर्राने लगते हैं तो क्या वह जनता निष्पक्षरूप से, निडर होकर वोट देने के लिये प्रेरित हो सकती है हरगिज नहीं हो सकती है। इसलिये एक जानकारी के लिये आपके द्वारा इस सदन में अपने विचारों को रख रहा हूं। आज जब इस माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें कि वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेसी का चर्चा हुआ तो मैं ईमान्दारी के साथ यह चाहता हूं कि कुछ व्याख्या करूं। मैं ऐसा देखता हूं कि डेमोक्रेसी के जो माने लगाये जाते हैं वह आज यह लगाये जाते हैं कि जब एक बार बालिग मताधिकार पर चुनाव हो जाता है तो चुनाव हो जाने के बाद जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वह जो सरकार बनाये वह सरकार इसके बाद जितने कायदे और कानून बनाये वह सभी केन्द्रित करने वाले बनाये। जनतन्त्र के माने जब श्रीमन्, यह लगाये जाते हैं तब अभाव शोषण और भय की अपार वृद्धि होती है। मैं इस बात को सम्मानित सदस्यों की खिदमत में हर समय कहने के लिये तैयार हूं कि जहां पर डेमोक्रेसी के यह माने लगाये गये कि एक बार चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हो गये और जो सत्ता में आये वह अब सेन्ट्रालाइज करें, सारी शक्ति को, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हो या म्युनिसिपल बोर्ड की हो, शिक्षा की हो या एग्रीकल्चर की

[श्री राजनारायण]

हो या चाहे चाहे और किसी की भी ताकत हो तो ऐसा करने से तो नौकरशाही की वृद्धि ही होगी और इस तरह के जाल को बिछाकर तो एक मन्त्री ही सेन्टर में बैठकर शतमाम उत्पात कर सकता है अगर उसका माथा फिर जाय। हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह से शक्ति को केन्द्रित करने से जो भय पैदा हुआ है क्या उसके यहां के सदस्य परिचित नहीं हैं ? मैं समझता हूं कि अवश्य परिचित हैं। किसी कारणवश अगर वह उन भयों की चर्चा नहीं कर सकते हैं तो मैं उनका मुख बन्द करके आपकी इजाजत से उनको यहां रखना चाहता हूं। श्रीमन, बनारस म्युनिसिपैलिटी में हड़ताल शुरू हुई, सूबे के और जिलों में भी भंगियों और अध्यापकों की हड़तालें शुरू हुयीं। जिलाधीश बार बार इस विषय में कहते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि बिना प्रान्तीय सरकार की नीति को जाने हुए इस विषय में कोई बात नहीं की जा सकती है। इससे अधिक और क्या मिसाल हो सकती है। इसके मानी साफ यह हुए कि जहां पर पहले न्याय प्राप्त करने की जो लोगों को आसानी थी वह भी आज दूर होती जा रही है क्योंकि एक मन्त्री महोदय की कृपा दृष्टि पर ही सब कुछ निर्भर करेगा और अगर उनकी दृष्टि कुटिल होगी या भृकुटी टेढ़ी होगी तो उसे तमाम स्थानीय कर्मचारी त्रस्त हो जायेंगे और न्याय नहीं मिल सकेगा। मैं बहुत लम्बा विवाद नहीं करना चाहता, आपकी सेवा में उतना ही कहना चाहता हूं कि जहां न्याय की बात कही जाती है और जहां कहा जाता है कि इस समय भय नहीं बढ़ा है, उस सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि इस सदन में एक बड़ा किस्सा ओम प्रकाश गुप्त का पढ़ा गया। मैं चाहता हूं कि उसके बारे में एडवोकेट जनरल की क्या सम्मति है उसको मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखूं। यह पत्र श्री कन्हैया लाल मिश्र ने श्री मंगला प्रसाद को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि--

"You probably know Shri Om Prakash Gupta, as I have spoken to you about him before. You know that I am interested in him. You will kindly give him a little time to listen him and do what you can for him in the circumstances. I personally do not like this continued conflict between the Judiciary and the Government. I may be at Lucknow on the 8rd and will then see you there.

Sincerely Yours,
(Sd) K. L. Misra.

श्रीमन् कन्हैया लाल मिश्र को भी जो सर्टीफिकेट दिया है और इस सदन में

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय राज नारायण जी, कन्हैया लाल मिश्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वह सम्भवतः न तो इस सदन में उपस्थित हैं और यह तजकरा न वह किसी सदस्य के बारे में ही कर रहे हैं और न वह कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति हैं कि इस तरह से जिनके बारे में सदन में कहा जा सकता है . . . . . .

श्री अध्यक्ष--नाम लेना तो कोई आपत्ति की बात नहीं लेकिन उनकी जात के विषय में कोई बात कहें तो आक्षेप हो सकता है लेकिन यह तो आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ ही नहीं।

माननीय राज नारायण जी, आप भाषण जारी रखें, लेकिन यह बात जरूर है कि जो लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं उनके सम्बन्ध में कोई आपत्तिजनक आक्षेप आगे नहीं होना चाहिए, इसका खयाल रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जैसा कि आपने कहा उसी बात को ध्यान में रखते हुए निवेदन करूंगा --

"I have an opportunity of knowing Sri Om Prakash Gupta from close quarters now for 3 years, during which time he has been here in connection with his Civil Suit. I have examined his case thoroughly in all its minutest details and am fully convinced that Sri Gupta is an innocent victim of British Government's anti-Congress policy."

श्री अध्यक्ष--आप यह क्या चीज पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कन्हैया लाल मिश्र जी का ही सिफारिशी पत्र है।

श्री अध्यक्ष--क्या यह कांफिडेन्शियल है ?

श्री राजनारायण--जी नहीं, सब पढ़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--क्या आप इसे मेरे पास भिजवा देंगे ? आप इसे सबमिट करना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--जी हां, मैं तो चाहता हूं कि यह बातें जनता भी जान जाय। यह कहा जाता है कि न्याय मिलता है, तो मैं कहता हूं कि कहां न्याय मिलता है ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लेटर उनके पास ओरिजनल है ?

श्री राजनारायण--जी हां, यह ओरिजनल है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं समझता हूं कि सदन को यह बात जानने में बड़ी आसानी होगी यदि माननीय विरोधी पक्ष के नेता यह बतला दें कि इस पत्र के फलस्वरूप ओम प्रकाश जी के साथ कोई खास रियाअत गवर्नमेंट ने की हो और ऐसा साबित हो जाय, तब तो ठीक है।

श्री राजनारायण--आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ओम प्रकाश जी गुप्त की सिफारिश कन्हैया लाल जी ने की। जो कोई भी कसूर गवर्नमेंट की तरफ उनका रहा हो, अगर गवर्नमेंट ने उसे माफ कर दिया तब तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि न्याय होता है या नहीं।

श्री राजनारायण--जी नहीं, उसके विरुद्ध किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तो फिर न्याय होता है।

श्री राजनारायण--कन्हैया लाल जी ने जो बातें कहीं हैं उसके विपरीत गवर्नमेंट ने कार्य किया है। एडवोकेट जनरल की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना यदि सरकार न्याय मानती है, तो ठीक है।

तो यह तो कन्हैया लाल जी की बात हुई। इसी सम्मानित सदन में हमारे माननीय सदस्य बनारसी दास जी बैठे हुए हैं .....

श्री अध्यक्ष--आपने एडवोकेट जनरल का नाम लिया, तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि ऐडवोकेट जनरल की हैसियत से कोई गुप्त राय उनकी ओर से लिखी हो, इस प्रकार सदन में पढ़ा जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्या यह बात सही है कि जिन सज्जन का जिक्र है, श्री कन्हैया लाल, वह ओम प्रकाश साहब के वकील थे और उन्होंने जो राय लिखी है वह एडवोकेट जनरल की हैसियत से नहीं लिखी है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने निहायत अदब से अर्ज कर दिया कि उस समय वह वकील थे और उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि चूंकि गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है, इसलिये मैं उनकी पैवरी करूंगा। अब मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, कौतूहल शान्त हो।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये यह उचित होगा कि उनकी कारेस्पांडेन्स यहां पर न पढ़ी जाय, बल्कि माननीय सदस्य स्वयं जो पढ़ चुके हैं उसका भाषण में जिक्र कर दें। क्योंकि यह उचित नहीं है कि किसी की प्राईवेट कारस्पांडेन्स यहां पर कहीं से लाकर पढ़ी जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमारे पास एक लेख है जिस पर दस्तखत श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर के हैं जो इस समय यहां उपमन्त्री की हैसियत से विद्यमान हैं वह कह सकते हैं कि उन्होंने इसको लिखा है या रिकमेंड किया है या नहीं और उसमें पुराने एम० एल० ए० सिद्धेश्वर प्रसाद, अचल सिंह और बी० सिंह इन सब के दस्तखत हैं और उन्होंने यह पत्र आनरेबिल प्रीमियर आफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखा है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि—

"With reference to the above we have to say the following :

1. That we believe that Mr. Gupta was dismissed by the Hallett Regime mainly because of his political and procongress leanings, particularly his highly courageous and pariseworthy action at Ballia in getting out about 500 patriots of Aug. 42.

2. That we believe that Mr. Gupta's case is political and the incidents mentioned in the charges framed openly against him have merely served as an excuse.

3. That we believe that none of the charges prefered against Mr. Gupta have been proved.

4. That therefore we wish that a youngman of his talents and patriotic leanings ought to be reinstated to his post and the order of dismissal set aside.

5. That if any other view of his case is taken his whole file may please be referred to an independent judicial officer before whome Mr. Gupta should be allowed to present his case, and his considered opinion obtained on the following points."

श्रीमन् अब इसके आगे उन्होंने प्वाइन्ट्स दिये हैं। तो श्रीमन् अब तो यहां पर बैठे हुए हैं माननीय हमारे मित्र बनारसी दास जी और वह सरकार के निकट अंग हैं। उनको बताना चाहिए कि यह उन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है।

श्रीमन्, जहां पर मैंने भय और अन्याय की अपार वृद्धि की बात कही वहां पर यह एक केस जो मैंने दिया है यह तो अपार सागर में एक मामूली सा बुलबुला है। मैं चाहता हूं कि राज किशोर सिंह जी के साथ इस गवर्नमेंट ने जो अन्याय किया उसको भी आपकी खिदमत में पेश करूं। राज किशोर सिंह जी का फैसला तो श्रीमन्, हमारे पास प्रस्तुत नहीं है मगर जो अखबारों में खबर पढ़ी है उससे यह मालूम पड़ता है कि सिविल जज ने जो अपने फैसले में लिखा है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार पोलिटिकल आब्जेक्टिव्स को अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिये अपने काम किया करती है। तो श्रीमन्, जब ऐसे कार्य होंगे तो मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भय की अपार वृद्धि होगी या नहीं। अंग्रेजी राज्य की और श्रीमन् डेमोक्रेसी और जनतन्त्र की बात कही जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है? मुझे मालूम नहीं हमारे वह माननीय सदस्य बैठे हुए हैं या नहीं, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं चाहता कि इस सदन में दूसरी बात कहूं और इसके बाहर निकल कर कुछ दूसरी बात कहूं। मैं चाहता हूं कि यह सदन पाक है, पवित्र है, इसकी मर्यादा, इसके सम्मान की सुरक्षा हो। तो जब हम कहते हैं कि यह सदन पाक है, पवित्र है, तो सम्मानित सदस्य और हमारे मन्त्रिगण बार बार इस तरह की बातें कहें कि इस सदन में तो हम इसका उत्तर यहीं देंगे मगर बाहर और कोई पूछेगा कि तो उसको डीटेल में और ब्योरेवार बतायेंगे तो यह क्या है, इसके क्या माने हैं। इसके माने हैं कि इस सदन का दूसरे रूप में अपमान करते हैं। क्या इस तरह भूल-भुलैया बना रहेगा, हरगिज नहीं रहेगा। जब हम चाहेंगे और सरकारी दल चाहेगा तभी इसकी मर्यादा सुरक्षित रह

सकेगी। वरना तो हम जो भी बात चाहें गलत से गलत काम सिद्ध काम करने के लिये कहेंगे।

श्रीमन् बजट के आंकड़ों पर आते हुए मैं यह देखता हूं कि बराबर धन की कमी की बात कही जाती है।

माननीय मन्त्री महोदय यहां पर विराजामन हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आबकारी विभाग की आमदनी क्यों कम हो रही है, आबकारी विभाग से तो और आमदनी होनी चाहिए। अगर श्रीमन् पिछले तीन महीने के बनारस से निकलने वाले अखबारों की प्रतियां लाकर यहां देखी जायं कि कितने मन गांजा पकड़ा गया और उसका क्या हुआ? सरकारी गांजा २०० रु० सेर है और जो नैपाल के बार्डर से गांजा आता है वह ३०, ४० रु० सेर। उस गांजे को लेकर के ८० रु० के भाव में सारा गांजा सरकारी दूकनों पर बेचते है। आखिर जो दूकानदार सरकारी तौर से गांजा खरीदते हैं उनकी कितनी बिक्री होती है। इस सम्बन्ध में नैपाल के मन्त्रियों से भी बातें हुयी हैं वह तो सारा दोष इस मुल्की सरकार के ऊपर थोपते हैं। मैं इस सदन में उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मगर उनका कहना है कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार सही माने में कदम उठावे तो एक छटांक गांजा भी नैपाल का नहीं आ सकता, छै पन्सेरी रोज पकड़े जाने की बात कौन कहे। क्या यह आबकारी विभाग इस जिम्मेदारी को पूरा करता है। अगर आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा करता है तो उससे क्या खुराफात होंगे उससे इस सदन के सम्मानित सदस्य परिचित नहीं हैं। श्रीमान् जी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इससे परिचय प्राप्त करें। इसमें होता यह है और मेरे पास प्रमाण हैं कि इन्स्पेक्टर जो होते हैं उनकी सांठ-गांठ होती है और उनको पूरा-पूरा मुनाफा मिलता है, इसकी पूरी पूरी जांच हो। यह जो रोज दो दो, तीन तीन और छै छ पंसेरी गांजा पकड़ा जाता है, इसकी जानकारी आबकारी विभाग के कर्मचारियों को नहीं है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बातें कही गई हैं और वह आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों के दिमाग में और उनकी नजर तक पहुंची हैं उसी के साथ-साथ श्रीमन् जब तैं यह देखता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो हमारे सामने एक सुन्दर बजट रखा है उसमें उन्होंने श्रम की तथा वेलफेयर स्टेट की चर्चा कर दी है, उन्होंने मजदूरों के बारे में भी कुछ चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने सम्मानित सदस्य हैं वह सारे श्रम विभाग में मजदूरों के साथ जितने अन्याय हुए हैं उनकी ओर भी जरा अपना ध्यान आकर्षित करें और देखें कि पिछले पांच साल से जो उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानून बनाये गये हैं उन कानूनों के जरिये सत्ता केन्द्रित हुई है या सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। क्या यह जनतन्त्र है या यह जनतन्त्र के नाम पर कोई एक तन्त्र है। अकसर इस सदन में इस बात की चर्चा कर दी जाती है कि फलां व्यक्ति मजदूरों के बारे में कम जानता होगा क्योंकि वह काम नहीं करता और किसी व्यक्ति को बढ़ावा दे दिया जाता है कि वह दिन रात अपना समय मजदूरों के काम में ही बिताता है इसलिये वह जानता है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को समझ लें कि कोई कानून मजदूरों से सम्बन्धित ऐसे नहीं है कि उनको हर एक पढ़ा-लिखा आदमी समझ करके अन्दाज न ले सके।

१९४७ में प्रान्तीय सरकार ने इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट पास किया इसके मुताबिक मजदूर व्यक्तिगत ढंग पर चाहे या मजदूरों की यूनियन चाहे दोनों तरीकों पर अपना 'विवाद' कन्सीलियेशन आफिसर के यहां भेज सकता था। मगर १० मार्च सन् १९४८ को प्रोसीड्योर में एक अमेंडमेंट हुआ और गवर्नमेंट I. N. T. U. C. को रिकगनाइज कर लेती है। एकमात्र प्रतिनिधि संस्था साक्षात भगवान स्वरूप मजदूरों के उद्धार के लिये I. N. T U. C. मान ली जाती है। जब इस संस्था और दूसरी मजदूरों की संस्था में चुनौती हुई और सेन्सस हुआ शुगर इन्डस्ट्रीज में। इसके पहले मैं अपने मन्त्री महोदयों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने विभाग के द्वारा जो उनके पास खबरें आती हैं उन्हीं को सही न मानें, हम लोग भी जो घूमते हैं और जनता की विपत्तियों को परखते हैं वह कोई सही अन्दाजा लगा सकते

[श्री राजनारायण]

हैं। जब तक वह सेन्क्शन नहीं हुआ था तब तक हमारे श्रम मन्त्री जी के पास बराबर समाचार आते रहे कि I. N. T. U. C. से एफीलियेटेड जो संस्था है उसकी विजय होगी और सारी ताकत सरकार की लगा दी गई। मगर वोटिंग का रेशियो क्या पड़ा कि I. N. T. U. C. से एफीलियेटेड फेडरेशन गोल हो गया। ६०, ७० हजार के दूसरे को और I. N. T. U. C. करीब २० हजार वोट मिले। क्या यह एक चेतावनी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की श्रम नीति खोखली है, उसने मजदूरों का शोषण किया है, उनके भय और असन्तोष में अपार वृद्धि की है और उनमें बेकारी बढ़ी है? अगर ऐसा नहीं होता तो I. N. T. U. C. को तो रिकगनाइज्ड बाडी है, बहुमत प्राप्त होता। फिर १५ मार्च सन् १९५१ को श्रम कानून में जो परिवर्तन हुआ उसमें एक नया सिस्टम आगया और उसमें कन्सीलियेशन आफिसर के पास केसेज जाते हैं। अगर वह आफिसर समझौता नहीं करा पाता तो उसे भेज देता है लेबर कमिश्नर द्वारा सरकार के पास और जब सरकार नहीं चाहती तो उस मामले को एडजुडिकेशन में नहीं भेजा जाता। सरकार की कृपादृष्टि होगी तभी वह मामला भेजा जायगा। क्या यह न्याय है? क्या यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है? क्या यह यूनियन के अधिकारों का छीना जाना नहीं है? श्रीमन्, मैंने रेशनलाइजेशन की परिभाषा दी थी माननीय राज्यपाल के सम्भाषण के अवसर पर। लेकिन सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि अगर गांधी जी होते तो राज नारायण जी के की परिभाषा को राम राज्य की जगह अख्तयार कर लेते। श्री मान्, पहले तो श्रमिकों और मिल मालिकों में सरकार की ओर से अपार प्रेम सम्बन्ध दिखलाया गया है उसकी ओर मैं आना चाहता हूं। रेशनेलाइजेशन की हमने परिभाषा की कि मजदूर को काम मिलना चाहिए, उनके काम के बोझ को कम करना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, जो सरपलस वेल्यू क्रियेट होती है उसका समान वितरण होना चाहिए। इसमें कौन सी कमी है, यह हमें सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जब तक इन बातों का समावेश नहीं कराया जायगा तब तक अगर मजदूर की विद्रोह की भावना दब सकती है तो तलवार के बल पर दब सकती है, जनतन्त्र के बल पर नहीं दब सकती। अगर जनतन्त्र होगा, डेमोक्रसी होगी तो मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो मूल्य अतिरिक्त पैदा होता है मिलों में उसको वह क्यों न अपने हाथ में लेकर रहेगा वह क्यों किसी दूसरे के लिये छोड़े। श्रीमन्, जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने रेशनेलाइजेशन पर एक संकेत किया तो हमें उत्सुकता हुई और हमने उनके भाषण को भी मंगाकर पढ़ा मगर उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उससे मुझे खुशी है उन्होंने दबी जबान से हमारी परिभाषा को स्वीकार किया था। मैंने पुनः आगे चलकर बहुत सी पुस्तकों के पन्नों को पढ़ा कि रेशनेलाइजेशन के क्या माने होते हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने ४ एम्स क्रियेट किये हैं:— मैटीरियल, मनी मेन और मैनेजमेंट। इनके लिये कहा है कि इनका रेशनेलाइजेशन होना चाहिए। अगर उसके ही रेशनेलाइजेशन को मानें तो उस समय की उत्पादन प्रक्रिया में जो जो दोष हो गये हों वह नहीं आ सकते। मेरे द्वारा उसमें आज डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ा जा रहा है। ठीक रेशनेलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन को भी उसमें नहीं माना जायगा। अब तक अर्थशास्त्रीगण केवल उत्पादन की प्रक्रिया को रेशनेलाइज करने की बात सोचते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि प्रगतिशील मस्तिष्क के जो लोग हैं जो समाज की विषमता को मिटाने वाले हैं जिनका मस्तिष्क और हृदय आज एक ज्वाला से भड़क रहा है आज की वर्तमान विषमता को देखकर वे डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जायं। जब तक वेल्थ का सम्पत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होगा तब तक जन-कल्याण नहीं होगा कल्याणकारी राज्य की रचना नहीं हो सकती और यह कल्याणकारी राज्य का स्वप्न एक शाब्दिक जाल रह जायगा जिसमें चाहे भुलाकर किसी को पटक दें।

श्रीमन्, सदन के सम्मानित सदस्यों के दिमागों में एक भ्रम पैदा है कि जो ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स बैठी थी उसके अनुसार आगे काम होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस के फैसलों को ही सरकार कार्यान्वित नहीं कर रही है। मैं बिना किसी हिचक के कहना चाहता हूं कि सरकार उस फैसले को कार्यान्वित नहीं कर रही है। सरकार की ओर से यह हुआ कि

जिन व्यक्ति विशेष को वह चाहेगी वही कमेटी में आयेंगे और फेडरेशन या यूनियन जिस प्रतिनिधि को भेजेगा उसको नहीं लेंगे। मैं पूछता हूं कि यह क्या है। क्या यह डेमोक्रेसी है या आटोक्रेसी है, एक तन्त्र है। सरकार नहीं चाहती कि फेडरेशन जिस किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनावे और यह समझे कि वही व्यक्ति उनका काम अच्छी तरह से कर सकता है उसी को लिया जाय, बल्कि सरकार के चाहे हुए व्यक्तियों को भेजा जाय, तभी काम चले, तो वह क्यो भेजें? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि भाषा मूक है जो व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का उससे प्रयोग कर ले। चाहे माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम कल्याणकारी बजट कह दें मगर हम समझते हैं कि हम अपने विचारों के अनुसार सही कहते हैं कि आज भय में, अभाव में, शोषण में और अत्याचार में अपार वृद्धि है। माननीय वित्त मन्त्री जी के मस्तिष्क में जो ढांचा है उसके अनुसार इसको वह कल्याणकारी राज्य कहते हैं तो यह तो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इस मूक भाषा का जो चाहे जैसा प्रयोग करे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपने स्थान की जिम्मेदारी को निभाना है। इससे इस बजट को कल्याणकारी नहीं कहा जायगा।

अब थोड़ा समय मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी लेना चाहता हूं। मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस क्षेत्र में देखें कि इस प्रान्त ने क्या प्रगति की है जोकि अपने को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ मानता है। ट्रावनकोर कोचीन क्या इन्तजाम कर रहा है।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)––आपने अकाल और पटवारियों का क्षेत्र नहीं लिया।

श्री राजनारायण––आप घबड़ाइए नहीं। अध्यापकों की पहले ले लीजिए। श्रीमन्, ट्रावनकोर कोचीन में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के जो बाल माने जाते हैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ने के लिये उनका क्या प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में क्या है। ९८.८ प्रतिशत ट्रावनकोर कोचीन में ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के बालक-बालिकायें पढ़ते हैं। बम्बई में ६४ प्रतिशत . . ...

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)––पांच साल पहले वाली बात बतला दीजिए।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी और डिटेल चाहते हैं। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं बोलता रहूं माननीय मन्त्री जी भी अपनी सारी उत्कण्ठा पूरी कर लें तो बम्बई में ६४ प्रतिशत मैसूर में ६७, मद्रास में ५२.७, आसाम में ४९.७, सौराष्ट्र में ५२.४, पश्चिमी बंगाल में ४०.५ और उत्तर प्रदेश में ३४ प्रतिशत है। यह तो १९५०–५१ का प्रतिशत है। अब शिक्षा पर किस सूबे में कितना खर्चा होता है उसको भी सम्मानित सदस्यों को हमसे जानने का हक है। ट्रावनकोर कोचीन में प्रति व्यक्ति पीछे २.८, बम्बई में ३.८, मैसूर में ३, मद्रास में १.८, आसाम में १.७, सौराष्ट्र में २.५, पश्चिमी बंगाल में १.२ और उत्तर प्रदेश में १.१रु० प्रतिशत खर्च हो रहा है। विद्यार्थियों पर जिसको बुनियादी तालीम कहा जाता है जिसकी बार–बार कल्पना करते थे चाहे वह गांधी जी की रही हो और चाहे किसी वैज्ञानिक की तालीम रही हो।

अब कांग्रेस के प्रस्तावों को भी देखिये। श्रीमन्, जब मैं कांग्रेस के प्रस्तावों की बात करता हूं, तो आपके द्वारा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं. पुरानी कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूं। आज की जो कांग्रेस है उसके सम्बन्ध में जब मैं कुछ कहता हूं तो बराबर कांग्रेस पार्टी कहा करता हूं। इन शब्दों में जो डिफरेन्स है उसको माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ लें। श्रीमन्, यह जो मैंने अभी बतलाया यह १९५०–५१ के आंकड़े हैं। जहां पर ट्रावनकोर कोचीन जो एक बहुत ही छोटा सा सूबा है और जहां के वित्त मन्त्री जी यह गर्व करने में हिचकते हैं वह यह नहीं कह सकते कि यह सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा बजट है यह बात नहीं है जो सबसे छोटा सूबा है वहां पर ३.६ रु० प्रति व्यक्ति ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं पर खर्च होता है। बम्बई में भी ३.६ रु० होता है,

[श्री राजनारायण]

मैसूर में ३.७, मदरास में २.१, आसाम में २.१, सौराष्ट्र में ३, पश्चिमी बंगाल में २.६ और उत्तर प्रदेश में १.३ रु० प्रतिव्यक्ति है। यह क्या स्कीम है या तो यह माना जाय जैसा कि कभी-कभी सरकार की इच्छा प्रकट होती है कि ललित कलाओं पर और ऊंचे दरजे के क्लासिकल आर्ट्स पर खर्चा होता है। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि लार्ज स्केल पर १० वर्ष के अन्दर सरकार सबको शिक्षित कर देगी और २,२०० स्कूलों के बजाय अब केवल २५० स्कूल ही प्रति वर्ष खुलते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इससे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि यह तो उन्हीं का दावा है कि अब २५० से अधिक नहीं खुल पायेंगे। २,२०० से २५० पर आ गये, आसमान से जमीन पर चले आये। मैं पूछता हूं कि क्या शिक्षा की नीति में सरकार तमाम सूत्रों को अपने हाथ में करना नहीं चाहती? जो दो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, उस समय मैं इन बातों को कह चुका हूं इसलिये इस समय केवल संकेत के लिये कह रहा हूं कि बनारस के उदय प्रताप कालेज और आगरा यूनिवर्सिटी का बहाना लेकर क्या सत्ता को केन्द्रित नहीं किया गया?

अध्यापक इस सूबे में बहुत अधिक हैं। उनके बारे में इस सरकार की क्या नीति है उसको भी देखें। क्या उससे अध्यापकों के हृदय में भय की वृद्धि नहीं हुई है क्या उससे आशंका की वृद्धि नहीं होगी? श्रीमन्, यहां आपकी ही की अनुकम्पा से मुझे जो विशेष अवसर प्राप्त हुआ है उसी में माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है कि अध्यापकों में इससे भय की वृद्धि होगी या नहीं? अभी हमने, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अध्यापकों के बारे में जो कुछ कहा है उसको पढ़ा और उसको पढ़कर अत्यन्त अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अध्यापक या गुरुजन अपनी तनख्वाह के बढ़ाने की बात कैसे कहते हैं। इसके मानी क्या हैं? क्या गुरुजन भूखों मर कर पढ़ायें या पेट काटकर पढ़ायें? जब उनका शरीर स्वस्थ्य होगा तभी उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ्य हो सकता है। श्रीमन्, मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के मस्तिष्क में यह बात कैसे आ गयी कि बिना स्वस्थ्य शरीर के हमेशा भूख की ज्वाला में तड़पते हुए अध्यापक पढ़ाने का कार्य सम्पादन कर सकते हैं? अगर दूसरे माननीय मन्त्रियों ने ऐसा कहा होता तो हमें इतना ताज्जुब न होता, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी के मुखारविंद से ऐसी बातें सुनकर बहुत कष्ट होता है। यों तो बहुत से ऐसे सम्मानित मन्त्रीगण हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कह दिया करते हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी इतने कुशल और पटु हैं और समय पाकर उन्होंने इतना अनुभव प्राप्त किया है तथा ज्ञान का समुच्चय किया है, लेकिन वे कहते हैं कि क्या प्राचीन काल के गुरुजन इस प्रकार हड़ताल करते थे? लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उनके लिये इस प्रकार तनख्वाह देने की व्यवस्था थी?

श्रीमन्, एक पत्र मैंने माननीय तत्सम्बन्धी मन्त्री महोदय के पास मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के बारे में भेजा था, जिनको पिछले सात महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। इसका जवाब मुझे परसों मिला। उसमें लिखा था "अब आप शांत रहें, सरकार से उनको ग्रांट दे दी गयी है और अब अध्यापकों को तनख्वाह दे दी गयी होगी" लेकिन यहां जो लोग मिर्जापुर से आये उनका कहना है कि अभी तक वही परिस्थिति है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अध्यापकगण आज ऐसी दयनीय परिस्थिति में जीवन व्यतीत करेंगे, वह प्रदेश कभी उन्नति नहीं कर सकता, वहां के विद्यार्थियों का मस्तिष्क कभी स्वस्थ्य नहीं हो सकता और वे कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रदेश के विद्यार्थी अधकचरा और गलत ज्ञान अर्जित करके समाज के साथ कुठाराघात करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी जरा इन बातों पर ध्यान दें और जवाब दें कि वह इन बातों के बारे में क्या समझते हैं तथा दूसरे सूबे के बारे में भी सोचें कि वहां पर अध्यापकों

की क्या हालत है। दूसरे सूबे में अध्यापकों को क्या मिलता है, यह मैं उनकी सेवा में रखने की कोशिश करूंगा। वह इस प्रकार है ––

			रुपया
पैप्सू	..	..	५० से
कुर्ग	...	...	३५ से
हैदराबाद	...	...	५० से
पूर्वी पन्जाब	...	...	४० से
हिमांचल प्रदेश	...	...	३० से
काश्मीर ...	...	...	५० से
मसूर ...	...	...	२५ से
उड़ीसा ...	...	...	२४ से
उत्तरप्रदेश	...	...	२० से

और मंहगाई इस प्रकार है कि पैप्सू ३५, कुर्ग ३५, हैदराबाद १८, पूर्वी पंजाब २५, हिमांचल प्रदेश २०, काश्मीर १६, मैसूर १५, उड़ीसा १४ और उत्तर प्रदेश १२ रु०। माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसका कुछ उत्तर होना चाहिए। हम रकमों को भी पढ़ दें तो उनको पढ़कर आपको क्या मिलेगा जब कि १२ करोड़ की आय थी तब उनकी तनख्वाह २० रुपया थी और जबकि हमारा बजट ७९ करोड़ का हो गया यानी ८० होने में एक करोड़ बाकी है तो अध्यापकों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। एक करोड़ रुपये का मामला आता है, एक करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। अध्यापकों की हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। वह बहुत कम तनख्वाह पा रहे हैं। इसलिये जो भी रुपया खर्च हो, अगर इससे ज्यादा भी हो तो उसको भी लगाकर और दूसरी मदों से रकम लेकर हमें उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। जब हमारे मन्त्रिमंडल की ओर से अध्यापकों की मांग पर कोई विचार नहीं होता। उनके हृदय में शर्म नहीं आती तो मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, श्रीमन, आपके जरिये से, क्योंकि मैं पिछले पांच साल से अध्यापकों की हालत की पूरी जानकारी रखता हूं, कि आज से तीन साल पहिले जब अध्यापकों ने हड़ताल की थी और जब टन्डन जी की मध्यस्थता से वह टूटी थी तो वह हड़ताल कितनी शांत थी। कोई दूसरी हड़ताल वैसी नहीं रही थी, उसमें टन्डन जी ने कुछ आश्वासन दिये थे। यह दूसरी बात है कि सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने टन्डन जी को आरबीट्रेट करने के लिये कोई अधिकार नहीं दिया था। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जो उचित समझें वह कह सकते हैं। इस तरह की बातें उन्हे शोभा दे सकती हैं। जो कुछ वे कहते हैं उनकी तमाम दलीलों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी दूसरी मद से आमदनी निकाली जाय और अध्यापकों की मांगें पूरी की जायं। और अगर सरकार की राय में इसी तरीके से ३० रुपया और १२ रुपया लेकर के अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसके लिये श्रीमन् मैं क्या कह सकता हूं। उसका दोष तो अध्यापकों को भी है। मैं तो बराबर अध्यापकों से कहा करता हूं कि अगर फ्रान्स के राजनीतिक इतिहास को देखा जाय तो कई साल तक फ्रान्स की नीति अध्यापकों के हाथ में रही है।

कुछ सदस्य––इसीलिये वहां खराबी है।

श्री राजनारायण––जी हां, मगर आज सरकार प्रेरित कर रही है कि अध्यापक अपने उस काम को छोड़ करके फिर मैदान में आयें और मोरचा लें। मैं मानता हूं कि इसमें तथ्य है कि अध्यापकों का काम हड़ताल करना नहीं है, शिक्षा देना है। मगर उनसे हड़ताल करवाता कौन है ?

कुछ सदस्य––आप।

श्री राजनारायण---उनसे हड़ताल करवाना भी सरकार का फर्ज नहीं है। सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और महंगाई का भत्ता बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर उनको जर्जर अवस्था में छोड़कर ३० और १२ रुपया दे करके शिक्षा का काम सरकार लेना चाहेगी तो वह अधूरा होगा। इसमें समाज के प्रति शत्रुता है। क्या मैं श्रीमन्, यह बात नहीं कह सकता कि यह सरकार समाज के साथ शत्रुता कर रही है। यह सरकार चाहती है कि तानाशाही और डिक्टेटरशिप के रूप में अपने को परिणत कर दे और इसलिये वह अध्यापकों को तनख्वाह इतनी कम देकर उनसे हड़ताल करवाती है। उसका फल यह होता है कि शिक्षा स्कूलों में न हो सके और लोग अशिक्षित रहें ताकि सरकार को डिक्टेटरशिप करने का अधिक मौका मिल सके। क्योंकि जहां अशिक्षा का राज्य होता है तो वहां लोग डेमोक्रेसी के जीवन के मूल तत्वों को नहीं समझेंगे और मौलिक तथ्यों को नहीं समझेंगे और वहीं पर डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही वहीं पर चलती है जहां अज्ञान रहता है, जहां ज्ञान परिष्कृत रूप में सामने आ जाता है वहां वह कदापि नहीं चल सकती। सरकार ने जहां शिक्षा संस्थाओं में ताले बन्द करने की परिस्थिति पैदा कर दी है तो क्या यह नहीं कहा जाता कि सरकार विद्यार्थियों के साथ, शिक्षा के साथ खेल कर रही है और भावी पीढ़ियों को गर्त में ले जाना चाहती है।

यह कहा जायगा श्रीमन्, तो फिर उधर से यह होगा कि लीडर आफ अपोजीशन को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। श्रीमन्, मैं तो बड़ी परेशानी में हूं जिम्मेदारी-जिम्मेदारी सुनते-सुनते। आखिर यह जिम्मेदारी कहां तक जायगी। मैं बहुत जोर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर किसी को यह कन्सेप्शन हो कि एक सोशलिस्ट लीडर आफ अपोजीशन की वही जिम्मेदारी होगी जो एक बोरजुआ लीडर आफ अपोजीशन की होगी तो उस कन्सेप्शन को छोड़ दें। बोरजुआ लीडर आफ अपोजीशन के अन्दर थोड़ा सा नजाकत-पन हो सकता है, साफ, सुनहले, सुडौल, शब्द हो सकते हैं, मगर जिनका हृदय दुखित है, जिनका हृदय विदीर्ण है, जो रात-दिन अभाव, भय और शोषण से परेशान हैं, उनसे क्या आशा हो सकती है कि वह बोरजुआ लीडर की तरह कार्य करेगा। वह तो वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से अनैलाइज करके ही रखेगा और अगर नहीं रखता तो अपने फर्ज को पूरा नहीं करता।

श्रीमन्, घबराते होंगे हमारे माननीय राजस्व मन्त्री महोदय। उनके दिल में परेशानी होती होगी कि आखिर उन्होंने जो जुल्म समाज और समुदाय के साथ इतना कर रखा है उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। तो मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय सम्पूर्णानन्द जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि उन्होंने ने भी कहा कि सोशलिस्टों ने गलत साथ पकड़ लिया, साथी तो अच्छा पकड़ना चाहिए था। और यह भी कहा कि पटवारियों के साथ आज जनमत नहीं है। श्रीमन्, अगर इस बात को सफाई के साथ देखा जाय कि उत्तर प्रदेश के पटवारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के पटवारियों की मांगें सही हैं या नहीं? तो इसके दो विभाग हो जाने चाहिए। पहले तो उत्तर प्रदेश के पटवारी आज जो मांग कर रहे हैं वह मांग जायज है या नाजायज है, मैं इस पर आना चाहता हूं और अगर सरकार श्रेय लेना चाहती है और समझती है कि पटवारियों को मार कर खा जाने से स्वर्ग होता है तो गवर्नमेंट इतने पटवारियों को मार कर खा गयी तो इस पर कोई और बड़ा स्वर्ग हो जायगा, तो वह दूसरी बात है। मगर सीधी-साधी बात है कि यह क्यों नहीं समझाते हमारे कृपालु श्रद्धालु मन्त्री महोदय कि क्या उन्होंने पटवारियों को निकाला है कि . . . . . .

श्री चरण सिंह---वे निकाले नहीं गये हैं। खुद निकले हैं।

श्री राज नारायण---यह एक बड़ी ईमानदारी की बात है माननीय मन्त्री जी ने कही कि वे निकाले नहीं गये हैं। उन्होंने खुद इस काम को ठोकर मार दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये पटवारी जिस तरीके से अंग्रेजी राज्य में नारकीय जीवन व्यतीत करते

थे, जिस तरह से गरीबों का खून चूसते थे, जिस तरह से रिश्वत पर पलते थे और कम तनख्वाह लेकर अपनी आय दूसरे साधनों से बढ़ाते थे और अपने परिवार की गुजर-बसर करते थे वही तरीका पटवारी आज भी अख्तियार करें। और २५ रुपया तनख्वाह में ही अपने परिवार तथा अपने जीवन का निर्वाह उसी तरीके पर चलावें और अपने परिवार के निर्वाह के लिये रिश्वतें लें। श्रीमन्, हमें जो श्रद्धा हुई पटवारियों के बारे में वह इसलिये हुई कि सरकार की गलत नीति, इस सरकार की दकियानूसी नीति और इस सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की। पटवारियों ने सफाई के साथ कहा कि हमने अंग्रेजी राज्य में नारकीय जीवन व्यतीत किया, हमने अंग्रेजी राज्य में गरीबों का शोषण किया, जमीन्दारों के खूंटे में बंध करके। और अब कांग्रेसी सरकार के खूंटे में बंधकर हम वही जीवन नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि इस तरह की हिम्मत से काम करने वाले पटवारियों के प्रति किसी न्याय प्रिय मानव की श्रद्धा क्यों नहीं होगी? जरूर होगी? इसलिये मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहें आप जितना भी कैपिटल बनावें, यश लूटें लेकिन जनता भी इसको समझ रही है और अच्छी तरह समझ रही है कि मन्त्रियों में, सरकार ने पटवारियों को निकाला नहीं है। बराबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मांग की गयी कि सरकार गांव पन्चायतों के अधिकार में लगान वसूली दे दे, मगर सरकार ने इसको नहीं माना। आप सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में देख सकते हैं, इस सदन में समय-समय पर जो भाषण हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर सरकार को इन पटवारियों को मार कर स्वर्ग में जाने की उत्कंठा थी तो उस समय हमारे सुझावों को क्यों नहीं माना? तथा क्यों पटवारियों से कहते हैं कि तुम २५ रुपया महीना लेकर काम करो। आज के जमाने में २५ रुपया लेकर कोई अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है! मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर पटवारियों ने अपनी मांग की कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाय और हमें कुछ भत्ता और दिया जाये और हमें गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किया जाय तो इसमें पटवारियों ने क्या बेजा कर दिया! हां, यह सरकार अगर यह कदम उठावे और कहे कि हम पटवारियों को नहीं रखना चाहते हैं और किसी दूसरे तरीके का इन्तजाम करना चाहते हैं तब हम उसको दूसरा सुझाव देते और दूसरा तरीका बतलाते कि वह दूसरा तरीका कौन हो सकता है। वह दूसरा तरीका चौखम्भा राज्य "फोर पिलर्स स्टेट" है। श्रीमन्, इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि बराबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस बात की मांग करती आयी है कि सारी आर्थिक सत्ता प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में न रखे बल्कि इसको विकेन्द्रित करे और वह प्रान्त जिला तथा गांव पन्चायतों तक जाय। राज्य के चार पाये बनाकर गांव पन्चायत के क्षेत्र में जितनी आमदनी वसूल हो गांव पन्चायत के जरिये, उसका चौथाई गांव पन्चायत ले, चौथाई जिला ले, चौथाई सूबा ले और चौथाई केन्द्र ले। अगर बजट के तमाम पुराने तरीकों को देखा जाय जब प्राचीन काल में मनुष्यों का एक समूल रहता था तो उस समय कौन सी व्यवस्था थी। माननीय मन्त्री जी को उस व्यवस्था से कुछ मोह सा है। उस व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई कर नहीं लिया जाता था। समाज के दूसरे तबके समझते थे कि यह एक दान दे रहे हैं, विद्या के रूप में समाज की सेवा करते हैं इसलिये उनके जीवन के साधन जुटाना हमारा कर्तव्य है क्षत्रिय बाहरी और भीतरी आक्रमण से समाज की रक्षा करते हैं इसलिए उनसे कर नहीं लिया जाता था। मगर जब आज राज्य का रूप बदल गया और सारी दुनिया बदल गयी। तब उसमें जो लोग आज निम्नस्तर पर रह कर जीवन निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी कर लगाया जाता है और धन पैदा कर समाज की रक्षा करते हैं अपने आप भूखों मरते हैं, जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो छोटी नौकरी करने वाले हैं उनको २५ रुपये से लेकर ५ रुपया तक मिलता है उन पर भी कर लगाया जाता है। तो क्या यह प्रजातन्त्र का रूप है। मैं आपके जरिये से निहायत अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश राज्य था उनके जमाने में जो चौकीदार था जिसको २ रुपये १४ आने मिलते थे यानी उसको ३ रुपया मिलता था तो क्या अब उसकी तनख्वाह उससे आगे बढ़ी है? और क्या यह सही नहीं है कि एक

[श्री राजनारायण]

मन्त्री पर ६ हजार रुपया महीना खर्च हो रहा है जब यहां पर एडवाइजर्स थे वह ३,७०० रुपया अपनी तन्ख्वाह के लिये लेते थे और अपना सारा काम करते थे। अब इस सरकार ने पहले तो १,५०० रुपया किया था, परन्तु अब जनता को लुभाने के लिये और उनको बहकाने के लिये १,२०० रुपया कर दिया है जिस पर इन्कमटैक्स लिया नहीं जायगा। तो यह तनख्वाहों में कौन सा अनुपात है। क्या क्रांतिकारी राज्य जिन मुल्कों में कायम किया गया है वहां पर सरकारी नौकरों में कोई अनुपात रखा गया है या नहीं! श्रीमन्, अभी स्वीडेन के एक सम्मानित सदस्य यहां पर आये हुए थे। यहां पर उनकी तमाम लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ स्वीडेन का नक्शा बताया। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि वहां पर फुल इम्पलायमेंट ही नहीं है बल्कि ओवर फुल इम्पलायमेंट है और एक प्रीमियर को छोड़कर किसी मन्त्री के पास निजी कार नहीं है। और सब मन्त्री बसेज में चलते हैं। इसमें एक सिद्धांत की बात है। जब तमाम मन्त्री बसेज पर चलते हैं तो बसेज की भी उन्नति होगी।

श्री मोहनलाल गौतम--वहाँ पर कोई मंत्री बसेज पर नहीं चलता है।

श्री राजनारायण--मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्वीडेन की सरकारी नौकरियों में क्या अनुपात है? क्या वहां पर सरकारी नौकरियां में १, ४ का अन्तर है। क्या स्वीडेन को देखने और उसके अनुभव को प्राप्त कर मंत्री महोदय उस तरह की सुविधा इस सूबे में नहीं कर सकते हैं? क्या मंत्री महोदय अपनी तनख्वाहों को और नीचे नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पर अध्यापक हैं, पटवारी हैं या जितने छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी तनख्वाह क्या ऊपर नहीं कर सकते हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं माननीय नेता विरोधी दल की सूचना के लिये यह कहना चाहता हूं कि स्वीडेन के मन्त्री को ज्यादा सुविधा है और यहां से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी जिस तरह से कि वह आदी हैं बराबर इस तरह से हम लोगों को ज्ञान अर्जन कराया करते हैं और हमारे ज्ञान की वृद्धि किया करते हैं। इसलिये मैं उनका आपके जरिये से शुक्र गुजार हूं। मैं तो यह पूछना चाहता था कि वहां के तनख्वाहों में क्या अनुपात है, लेकिन सवाल दीगरे और जवाब दीगरे वाली बात है और वहां का मन्त्री अगर ज्यादा तनख्वाह पाता है और उसको ज्यादा सुविधा प्राप्त है तो क्या जो वहां छोटी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है उसको भी बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है? क्या वहां पर भी १:४ का अनुपात है। हमारे यहां अगर इस चीज को देखा जाय तो कितना अनुपात है। क्या वहां पर भी यही अनुपात है कि यहां पर जो छोटा सरकारी कर्मचारी है उसको तो ५ रुपया मिलता है और ऊपर का जो सरकारी नौकर है उसको ५,५०० रुपया मिलता है। उसका क्या कारण है....?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--अगर आप एक बात का उत्तर देंगे तो वह दूसरी आर्गूमेंट शुरू कर देंगे जिससे समय भी नष्ट होगा।

श्री राजनारायण--श्रीमान्, शायद अब तो सरकार की भी पालिसी है और अगर सरकार की ऐसी पालिसी नहीं है तो जो प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी अपने प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजती हैं, अगर वह जाकर देखें और समझें तो मन्त्री जी को यह सुनहरा मौका मिल सकता है। मैं उनसे कहूंगा कि वह यूगोस्लाविया में जायं और वहां जाकर देखें कि वह देश जो अभी सन् ४५ में फासिस्ट पंजे से मुक्त हुआ है, वहां क्या-क्या हुआ है। वहां पर श्रीमन्, ३२ हजार दीनार एक मन्त्री पाता है और ७ हजार दीनार एक मजदूर पाता है और साढ़े ५ हजार दीनार एक क्लर्क को मिलते हैं। ६५ दीनार का एक रुपया होता है जैसे यहां ६४ पैसे का रुपया होता है वैसे ही आप दीनार को समझ लें, रुपये से बहुत ही कम फर्क होता है। तो वहां का मजदूर भी साधारण कलर्क से तो वहां का मजदूर भी ज्यादा तनख्वाह पाता है। तो इस तरह से वहां का अनुपात भी १:६ का है। वह कल्याणकारी राज्य माना जायगा या

ननीय हाफिज मोहम्मद साहब ने जो बजट पेश किया वह कल्याणकारी राज्य माना जायगा। यह जानकर कल्याणकारी राज्य का अर्थ समझने में मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों को अधिक आसानी होगी ।

मेहतरों की हड़तालें हुयी । सारे सूबे में हड़ताल हुई, मुख्य-मुख्य जिलों में हड़ताल हुई और उसके बारे में सरकार की क्या नीति रही और सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को क्या आदेश दिये और वह हड़ताल क्यों हुई, वह आप जानते हैं। श्रीमन्, मैं अदब के साथ अपील करना चाहता हूं कि जब यह मेहतर हड़ताल करते हैं तो वह किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में पड़कर हड़ताल नहीं करते वरन् जब उनकी दिन-प्रतिदिन की समस्यायें नहीं सुलझतीं, जब वह अपनी भूख की ज्वाला नहीं बरदाश्त करते और परेशान हो जाते हैं और तमाम दूसरे साधन समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर वह मजबूरन हड़ताल करते हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं, और आपके सम्मुख भी बार-बार निवेदन किया होगा सरकारी पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी का जाल बिछा हुआ है और जब ऐसा है तो दूसरी पार्टियां उनके कथनानुसार नगण्य हैं तो वह रोज आन्दोलन क्यों उठाती हैं। क्यों आज कांग्रेस पार्टी को कई तरह की सुविधायें प्राप्त हैं, उसकी हुकूमत है, वह मेहतरों की मांगें मन्जूर करा सकती हैं और दूसरी पार्टियों के बारे में वह उन से कह सकती है कि अगर तुम उनके साथ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ आओ मांगें पूरी हो जायेंगी । २ रुपये की जगह डेढ़ रुपया मन्जूर करा के सारा मामला ठीक करा लिया जायगा, तो उस पार्टी के लिये सब कुछ सुलभ है, उसके पास अपार साधन हैं वह हर एक का श्रेय ले सकती है और सबकी मांगों को पूरा करा सकती हैं। फिर कांग्रेस पार्टी मजदूरों को दूसरी पार्टियों के चक्कर में क्यों आने देती है।

मैं आज आपके सामने एक निवेदन इन्डस्ट्री के बारे में करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने उद्योग इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा की और घरेलू उद्योगों की काफी तरक्की बतलाई गई है बजट भाषण में। जरा उसका भी थोड़ा सा दिग्दर्शन आपकी आज्ञा से कराना चाहता हूं। यों तो अगर इसको बारीकी के साथ केवल ऊपर से न पढ़ें तो माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि मिर्जापुर की सीमेंट फैक्ट्री अभी बनने की अवस्था में है, पता नहीं कब बने, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस सरकार की इंडस्ट्रीयल पालिसी उद्योग की नीति जन-कल्याण में है? या सत्ताधारी बड़े बड़े सरमायादार पूंजीपतियों के कल्याण में है। श्रीमन्, मैं दूर नहीं जाना चाहता। मैं तो चाहता हूं और हमारी इच्छा थी कि उद्योगमन्त्री जी यहां पर विद्यमान रहते और इन बातों को सुनकर के कोई सही और जल्दी का क़दम उठाते। हमारे माननीय सदस्य हमारी पार्टी के प्रधान सचिव श्री जगन्नाथ मल्ल की गिरफ्तारी होती है, इसलिए कि पडरौना मिल में २० लाख के क़रीब रुपया किसानों का बकाया पड़ गया। गन्ने का मूल्य चुकता नहीं किया गया मिल मालिकों के जरिये। अगर जगन्नाथ मल्ल जी कहते हैं कि किसानों का रुपया मिलना चाहिए जब कि नियमानुसार २४ घंटे के बाद गन्ने की क़ीमत चुकता होनी चाहिए तो इतने महीने हो गये, पिछले बकाये के .....

श्री अध्यक्ष--क्या यह केस अदालत में पेंडिंग भी है ?

श्री राजनारायण--जी नहीं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इतना निवेदन कर दूं कि यह कहना ठीक नहीं है। किसी २४९ या ऐसे ही किसी सेक्शन के अन्दर प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी गई है।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं और आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से सादर साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की यह मांग जायज है या नाजायज है। किसान क़ानून की मांग करते हैं या गैर क़ानून की मांग करते हैं और अगर किसान को गन्ने का दाम नहीं मिलता तो किसान जब कहता है कि हम अपना गन्ना नहीं देंगे तो सरकारी कर्मचारी क्यों जबर्दस्ती उनकी गन्ने की गाड़ियों को मिलों में ले जाने के लिए मजबूर और बाध्य

[श्री राजनारायण]

करते हैं। सरकार की ऐसी नीति है। और दूसरी बात श्रीमन्, जब पडरौना मिल के मालिक लाल साहब पडरौना मिल के प्रबन्ध को ठीक से नहीं कर सकते और पडरौना मिल के क्षेत्र के किसानों के गन्ने की क़ीमत नहीं चुकता कर सकते तो उन्हीं लाल साहब के हाथ में कठकुइयां की मिल क्यों दी गई। यह सवाल है। क्या कठकुइयां की मिल का जो लाल साहब के हाथ में सारा मैनेजमेंट सिपुर्द कर दिया गया बावजूद हम लोगों की आरज़ू और मिन्नत करने के तो क्या यह सरकार की नीति किसान और मजदूर हित विरोधी नहीं है? सरकार किस तरह से अपने को मजदूरों का हितू कहती है यह मैं समझ सकने में असमर्थ हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं जितनी-जितनी बार ऐसी चीज आती है, उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती और अगर मजदूर कुछ कहता है, अपने वेतन की मांग करता है, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की मांग करता है, तो उसके साथ जबर्दस्ती होती है। जब-जब ऐसी चीजों के विरोध में वह अपनी आवाज बुलन्द करता है तब-तब सरकार के सारे साधन किसानों और मजदूरों पर दमनचक्र चलाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यह इस सरकार की नीति है, यह कल्याणकारी नीति है और निर्माण करने वाली सरकार की नीति है। श्रीमन्, मैं स्वयं पडरौना गया हुआ था जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था उसी सिलसिले में। १२-१५ हजार किसानों की गेंदरिंग वहां पर थी। जिलाधीश ने कहा था कि वह आयेंगे १२ बजे। जिलाधीश की इन्तजारी करते-करते ४ बज गये। किसान बैठे थे कि आज फैसला होगा। परन्तु जिलाधीश महोदय की खबर आई कि जगन्नाथ मल्ल जी को वहीं पहुंचा दिया जाय। क्योंकि रास्ता सुगम नहीं है वहां पहुंच पाने का। बड़ी परेशानी बढ़ गई, मगर फिर भी हम लोगों ने जगन्नाथ मल्ल जी से निवेदन किया कि वह जाकर के वहां की समस्या देखें। मगर जिस कार के जरिये जगन्नाथ मल को वहां ले जाना था वह कार इतनी टुटही थी कि एक मील भी नहीं गयी और जगन्नाथ मल फिर वापिस आये। फिर आठ बजे रात को मैंने फोन किया कि 'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपका इन्तजार है, आप ने क्या व्यवस्था की है, सारे किसान बैठे हुये हैं और वह कहते हैं कि हम एक छटांक भी गन्ना नहीं देंगे, हमारा बकाया मिलना चाहिये।' डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि लाल साहब सामने बैठे हुये हैं। हमने कहा कि गिरफ्तार करलो, क़ानून का उल्लंघन किया है। लाल साहब ने किसी दूसरे से नहीं किया है। किसानों को गन्ने के दाम नहीं दिये हैं तो लाल साहब ने नहीं दिये हैं, किसानों का इसमें क्या दोष, मगर उसके लिये सरकार का क़ानून मौन है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि जहां इस तरह के कार्य होंगे वहां भय की अपार वृद्धि होगी और वहां शोषण की अपार वृद्धि होगी या नहीं। पिछले तीन सालों की टोरेपा बोर्ड की रिपोर्ट मंगाकर देख ली जाय, हमारी मांग थी कि दो रुपये मन गन्ना हो और २५ रु० मन चीनी हो। श्रीमन्, अगर २ रुपये मन गन्ना होता है तो किसानों के साथ भी न्याय होता है जो कि गन्ने का उत्पादन करेंगे और उसमें जो खर्चा करेंगे उसका समुचित मूल्य उनको मिल जायगा। और जब २५ रुपये मन चीनी होगी तो मिल मालिकों के साथ भी न्याय होगा और उनको भी उचित मुनाफा मिल जायगा। मगर सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है क्योंकि जहां दो रुपये मन गन्ने का दाम होना चाहिये था वहां गतवर्ष पौने दो रुपये हो गया था और चीनी के दाम २५ रु० न हो करके ३० से ३३ रु० तक हो गये थे। क्या कम से कम ५ रु० फी मन अनुचित और नाजायज फायदा नहीं कराया गया। इस तरह से मुनाफाखोरी कल्याणकारी राज्य की नीति है। सारा हिसाब श्रीमन्, जोड़ करके कई बार खिदमत में पेश किया गया है। पिछले पांच साल के अनुचित मुनाफ़े को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश के कुल चीनी की मिलों की कुल पूंजी से ज्यादा मुनाफ़ा उत्पादकों के हित को मारकर कराया गया है और इसका भार उपभोक्ताओं की कमाई पर भी पड़ा है इसलिए कल्याणकारी राज्य में इन्डिवीजुवल हैन्ड्स में इस शुगर इन्डस्ट्री को न होना चाहिये बल्कि गन्ने के उत्पादन के हित में और उपभोक्ताओं के हित में एक कमेटी बनाकर सारा उत्पादन और वितरण का मैनेजमेंट कराना चाहिए। जब यह सुझाव रखता हूं तब सरकार की ओर से एक न एक तो इस बात का जवाब होता ही है और उससे परेशानी बढ़ जाती है।

इसलिये श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछता हूं कि उद्योग विकसित करने के लिये क्या योजना है सरकार के पास। क्या गन्ने का उद्योग चौपट नहीं हो गया और क्या गन्ने के उत्पादकों की गन्ने की क़ीमत को चुकता न करके जो रुपया मिल मालिकों ने अपने पास रखा उसको ब्लैक कैपिटल में नहीं लगाया। क्या उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव के जरिए १५ फीसदी तक सूद नहीं लिया जाता है जब कि दूसरे सूबों में इससे बहुत कम कोआपरेटिव के रेट होते हैं। जब १५ फीसदी के रेट से सरकारी कोआपरेटिव संस्थाएं हैं जो रुपया देकर सूद लेती है तो जब गन्ने के उत्पादकों का रुपया इतने दिनों तक बकाया था, उसका सूद उन्हें नहीं मिलना चाहिये। सीधी सादी बात है। इसे समझने के लिये प्रकांड अर्थ शास्त्र के विद्वानों को नहीं खोजना है। एक साधारण देहात का रहने वाला जो अपने घर का १० या २० रुपय का बजट बनाता है वह भी समझ सकता है कि मिल मालिकों के पास लाखों की तादाद में, १०,२० या ४० लाख रुपया, गन्ना उत्पादकों का पड़ा हुआ है उससे यदि वह किसानों को मिल जाता तो कुछ तो उनको राहत होती। वह उसे किसी दूसरे रोजगार में लगाकर कुछ तो प्राप्त करता। उस रुपये से मिल मालिकों ने जो मुनाफा कमाया है आज क्यों वह उनके पास छोड़ा जा रहा है और किसानों और मजदूरों को नहीं दिलवाया जाता? मिल मालिकों की ओर से जो बैलेन्स शीट बनते हैं उसमें ढोल में बड़ी-बड़ी पोल है। जरा गहरा हाथ मारा तो दोनों तरफ परदा साफ। जरा उसे थोड़ी सी ही मेहनत करके समझा जाय जो कि भुक्त भोगी हैं उनके नजर से देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने बैलेन्स शीट मिल मालिकों की ओर से बनाये जाते हैं उनमें सबमें धोका होता है। सबमें मुनाफा कम करके दिखाया जाता है ताकि मजदूरों को बोनस न देना पड़े। ऐसी ही तमाम बातें की जाती हैं जिन्हें हमारे गेंदा सिंह जी कुकर्म कहते हैं, तो क्या वह कल्याणकारी राज्य होगा! हम समझते हैं कि इस सदन में कोई ऐसा सम्मानित सदस्य नहीं होगा जो इस बजट को कल्याणकारी बजट कहे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लंच के पहले मैं अर्ज कर रहा था कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से औद्योगिक नीति में अराजकता बरती जा रही है और मैंने निवेदन किया था कि किस प्रकार से मिल मालिकों के द्वारा बार-बार कानून के तोड़े जाने के बावजूद भी मिल मालिकों के ऊपर कोई उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती और यदि किसान और मजदूर अपनी मांग को, जायज मांग को और कानूनी मांग को उठाता है तो उसके ऊपर रिप्रेशन की पालिसी कांग्रेस सरकार की ओर से अख्तियार की जाती है। उदाहरण स्वरूप अभी जो पिछले चन्द दिनों पडरौना मिल के मालिक लाल साहब के जरिये २० लाख रुपये वहां के किसानों को गन्ने की कीमत न देने से जो हालत पैदा हुयी थी उसको हमने निवेदन किया था। उसी के साथ साथ मैं कठकुइंया मिल के बारे में भी थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं। कठकुइंया मिल का मामला बड़ा पुराना है और उसका मैनेजमेंट सरकार ने अपनी ओर से लाल साहब के सुपुर्द कर दिया है। यह सरकार के संरक्षण में आ गया है और उसी के हाथ में यह उद्योग चल रहा है। परन्तु यदि सरकार की नीति मिल मालिकों के अनुचित तरीके से लाभ कराने की न होती तो जिस मिल पर सरकार ने कब्जा किया और जिस मिल पर इंतजाम करने के लिये वहां के गन्ना उत्पादकों ने, वहां के मजदूरों, वहां की कोआपरटिव यूनियन्स ने सरकार से बराबर निवेदन किया था उस मांग को क्यों न स्वीकार किया गया होता। इसलिये हमारे दिमाग में किसी भी तरह से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार की नीति से किसानों और मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। इस सरकार की नीति से जो कुछ भी भला होगा वह मिल मालिकों का होगा, पूंजीपतियों का होगा। आज वह अपनी नीति को चला रही है जो अराजकता की नीति को, जो औद्योगिक डिमोक्रेसी को छोड़कर अपना रही है, उससे जितना भी फायदा हो सकता है वह मिल मालिकों का ही है। जब मैं औद्योगिक डिमोक्रेसी के बारे में मैं निवेदन करता हूं तो मैं बनारस

[श्री राजनारायण]

के गवर्नमेंट वीविंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की जो एक महीने तक हड़ताल चली थी उसको भूल नहीं सकता। एक जनवरी से लेकर ३० जनवरी तक गवर्नमेंट वीविंग इन्स्टीट्यूट बनारस में विद्यार्थियों की हड़ताल चली। मुझे अफसोस होता है कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन नगर और आज भी वहां अच्छा खासा वैभव है और दो-दो मन्त्री इस राज्य सरकार में जहां के विराजमान हैं वहां के विद्यार्थियों की हड़ताल एक महीना तक चले और सरकार के कान में जूं तक न रेंगे और वह आंख और कान मूंद कर बैठी रहे। जब इस तरह से इस राज्य में विद्यार्थियों की मांगों की उपेक्षा की जाती है क्या यह किसी जन-कल्याणकारी राज्य की पालिसी हो सकती है? श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीस जनवरी को जबकि मैंने वहां से सेक्रेटरी औद्योगिक विभाग को फोन किया कि बनारस के वीविंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की हड़ताल एक महीने से चल रही है और जांच-पड़ताल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें पड़िये और हड़ताल को समाप्त कराइये। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वहां के अधिकारियों के आश्वासन पर हमने विद्यार्थियों को हर तरीक़े से समझा बुझाकर बिना किसी शर्त के हड़ताल को वापिस ले लेने की सलाह दी और विद्यार्थियों ने ३१ जनवरी से अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी। दो दिन, तीन दिन की बात कौन कहे, हफ्ता बीत गया, लेकिन सारी जांच को समाप्त करके समुचित कार्यवाही करने का जो आश्वासन दिया गया था आज तक वह खटाई में पड़ा हुआ है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मन्त्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह चाहती क्या है? यह चाहते हैं कि जो समुचित तरीक़े से न्यायपूर्ण मांगों को लेकर विद्यार्थी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसको दमनचक्र चलाकर परास्त करें या उनकी मांगों को सहानुभूति के साथ सुन कर, उदारता के साथ विचार कर के जो कमी हैं या खामी हैं या इंतज़ाम में दोष हैं उनको दूर किया जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और बनारस टैक्निकल ऐंड वीविंग इंस्टीट्यूट की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाये।

श्रीमन्, मैं उस समय चर्चा कर रहा था कैनाल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बारे में, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय सूचना मंत्री जी उपस्थित नहीं थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब खेती का सवाल उठाया जाय तो खेती के सवाल के संबंध में रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं और जो इस डायरी में जो इस सूचना विभाग से वितरित हुई हैं, उन पर ध्यान दिया जाय। सन् १९४७ की इर्रीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाय तो उसके मुताबिक यह मालूम होता है कि सन् १९४६-४७ ई० में कुल २६,०८२ मील लम्बी नहरें बनीं। जब १९४६-४७ ई० में २६,०८२ मील लम्बी नहरों की खुदाई हुई तो जो इस डायरी में आंकड़े दिये हैं कि जब पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायगी तो सन् १९५६ ई० में २२,८०० मील लम्बी नहरों की खुदाई होगी तो इसके क्या माने हैं? क्या यह आंकड़ों की भूल-भुलैया है या कोई जादू है, इसकी ओर आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

श्रीमन्, जो यह डायरी सन् १९५३ की सब सम्मानित सदस्यों को प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी के बाहर सदस्यों को भी सुलभ है उसकी रिपोर्ट अगर पढ़ी जाय तो इसमें १९४६, १९५२ और १९५६ तीन टर्निंग प्वाइंट्स लिये गये हैं। १९४६ में नहरों की लम्बाई १७,८२४ मील लम्बी, १९५२ में १९,५२५ और १९५६ में २२,८०० मील लम्बी नहरों की खुदाई होने की बात है। यह जो रिपोर्ट से प्रगति मालूम होती है तो इसमें तो एक क्रम मालूम होता है कि १७ हज़ार से लेकर २२ हज़ार लम्बी मील लम्बी नहर सन् १९५६ ई० में बन जायगी यानी पांच वर्षों में पांच हज़ार लम्बी नहरें हो जायंगी। मगर जब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की एड-मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखते हैं तब फिर हमको आश्चर्य में पड़ना पड़ता है। सन् १९४६-४७ में २६,०८२ मील लम्बी नहर खुदी, यह कैसे मानी गई है। क्या इसके माने यह हैं कि १९४६-४७ में नहरों की लम्बाई इतनी थी और इसको पाटा गया है, इससे तो यही मालूम होता है। हमारी विकास की योजनाओं में जो धन खर्च हो रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई खर्च हो रही

है, वह नहरों के पाटने में खर्च हो रही है और हमें भ्रम में रखा जा रहा है कि नहरों की लम्बाई बढ़ाई जा रही है ।

श्रीमन्, जब मैं खेती के और पहलुओं पर आता हूं जो हमारे यहां सब से बड़ा धंधा है, जिसके आसरे हमारे उत्तर प्रदेश के क़रीब ५ करोड़ ग़रीब जनता का जीवन मुन्हसिर करता है तो जो आंकड़ों की भूल-भुलैया है उसको भी हमें सम्मानित सदस्यों के सामने रख देना चाहिये । श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कुछ खास बातें इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को नोट कर लें कि यह जो रिपोर्ट मैं पेश कर रहा हूं, यह जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट १९४८-४९ के तमाम आंकड़ों को लेकर तैयार की गई है । अपनी जमीन पर खेती करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ३,९३,६१,०३५ जन-संख्या होती है और हमारा अन्दाजा है कि उस जनसंख्या की जिसको सब लोग मानते हैं, ५ आदमी फी परिवार पीछे बांटा जाय तो ७,८२,००७ परिवारों की संख्या होगी । इसी तरह से पराई जमीन पर खेती करने वाले कितने हैं अगर इसको देखा जाय तो वह ३१,९५,८२५ की जनसंख्या में है यानी ६,३१,१६५ परिवार । मैं इस रिपोर्ट को आपके पास भेज दूंगा ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं सिर्फ यह दरियाफ्त कर रहा था कि यह रिपोर्ट कौन सी है, जिसमें से आप यह आंकड़े पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--यह मैंने पहिले ही अर्ज कर दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में जितने आंकड़े आये हैं तथा उसके बाद जो भिन्न-भिन्न रिपोर्ट सरकार की ओरसे प्रकाशित हुई हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स से छांट कर ये आंकड़े निकाले गये हैं ।

इस तरीक़े से अगर आप उन परिवारों की संख्या देखें जो खेतिहर मजदूरों की है तो आपको मालूम होगा कि उनकी संख्या ३६,१२,२०६ है और उनके परिवारों की संख्या ७,२२,४४५ है । इसके अलावा जो अन्य सेवा करने वाले नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार आदि हैं उनकी जनसंख्या २९,८३,८०६ होती है । इसी प्रकार श्रीमन्, अगर हम जमीन के बटवारे की बात करें और जिनके पास धन पैदा करने का ज़रिया नहीं रह गया है, उनको ज़रिया करायें, उनको साधन संपन्न करें तो १,०७,६३,४६० की जनसंख्या ऐसी है जिसको हमें ज़मीन देनी होगी और अगर इसको परिवार के रूप में हम देखें तो २१,५२,६९६ परिवार ५ आदमियों के हिसाब से होते हैं । लेटेस्ट सेन्सस के हिसाब से जो देहाती आबादी है वह ५४,५९,०४३ है, उसके बाद खेती न करने वाले भूस्वामी जो शहरी और देहाती हैं वे ६,६७,६१२ है । अगर हम जमीन का इंतज़ाम करना चाहें और उत्तर प्रदेश की गरीबी को मिटाना चाहें, अगर लोगों को दौलत पैदा करने के ज़राये से संपन्न करना चाहें तो हमारे लिये यह लाज़मी हो जाता है कि हमारे सामने जो भी पूरे-पूरे दौलत पैदा करने के जराये हैं यानी खेती, उद्योग-धंधे आदि उन सबको इस तरीक़े से बांटें कि हर एक इंसान को अपने जीवन के निर्वाह के लिये समुचित धन इन साधनों से प्राप्त हो सके । जहां तक मेक्सीमम होल्डिंग का सवाल है वह इस सदन में ३० एकड़ मानी गयी है । इस तीस एकड़ मेक्सीमम होल्डिंग के बाद भी जितनी ज़मीन बचती है वह क़रीब ३० लाख एकड़ के होती है ।

श्री चरण सिंह--यह रिपोर्ट कब पब्लिश हुई है, अगर आप बतला दें तो उसकी एक कापी मैं भी मंगवा लूं ।

श्री राजनारायण--मैं आपकी खिदमत में भेज देता हूं ।

श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरीक़े से अगर तमाम ज़मीन का इन्तज़ाम देखा जाय और उसको समुचित रूप से उन तमाम ग़रीबों को जो कि भूमि रहित हैं, जो पिछड़ी जाति वाले हैं और जिनके जीवन-निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं है, अगर सही माने में यह सरकार उनकी ग़रीबी हटा कर एक अच्छे वातावरण में रखना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं हो सकता है कि हमारी सरकार को इस संशोधन

[श्री राजनारायण]

के मानने में कोई दिक्कत हो । हमने यह पूरी तरह से निवेदन कर दिया है कि अगर ३० एकड़ मैक्सिमम होल्डिंग मानते हैं तो उसके बाद जो जमीन बचती है वह करीब ३० लाख एकड़ के होती है और अगर २० एकड़ मैक्सिमम होल्डिंग मानते हैं तो करीब ४०,१३,४८५ एकड़ जमीन बचती है जिसको लैंडलेस लोगों में बांट सकते हैं । अगर सही माने में आर्थिक विषमता के जरिये दौलत पैदा करने की विषमता को मिटाना चाहते हैं और मैक्सिमम होल्डिंग १६ एकड़ ही मानते हैं तो १६ एकड़ के हिसाब से ५७,५६,८६५ एकड़ जमीन मिलती है जिसको हम बांट सकते हैं ।

श्री चरण सिंह---मैं आपके जरिये यह अपनी इत्तिला के लिये जानना चाहता हूं कि ये आंकड़े कहां से लिये गये हैं, क्योंकि कहीं इसका जिक्र नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इन आंकड़ों को सही माने में समझने के लिये स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, क्योंकि वही इसको समझ सकता है । मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर माननीय मन्त्री जी अपने कर्मचारियों के साथ महीनों तक लगे रहें तब ये आंकड़े मिल सकते हैं । इसमें जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सेन्सस रिपोर्ट है, फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और दो महीने की मेहनत के बाद यह तैयार किया गया है । और अगर इन तमाम रिपोर्टों को लेकर सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठे तब वह समझ पायेगा कि कितनी जमीन बचती है । श्रीमन्, मैं आपको बतला सकता हूं कि जो आंकड़े हमने सरकार को दिये और इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं, इससे और ज्यादा जमीनें, अगर सन् ५२ के आंकड़े प्रस्तुत होते, जिसको कि सरकार ने नहीं रखा तो निकल सकती हैं । क्योंकि इसमें श्रीमन् सन् ५० तक के जितने आंकड़े उपलब्ध थे उन्हीं के आधार पर यह बतलाया गया है । अगर उन आंकड़ों को हम देखें तो जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वह यह है कि अगर कुल क्षेत्रफल को देखा जाय तो माननीय मन्त्री जी सहर्ष कबूल कर लेंगे कि कुल क्षेत्रफल ७,२२,७०,६०७ एकड़ है

श्री चरण सिंह---७ करोड़ २५ लाख एकड़ है ।

श्री राजनारायण---ठीक है, इसके बाद और ज्यादा जमीन मिल सकती है । यह तो श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की आसानी के लिये बतला रहा हूं, ताकि माननीय राजस्व मन्त्री जी को ५० तक के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जायेंगे । सन् ५२ तक की तमाम रिपोर्ट न तो गवर्नमेंट ने अभी तक तैयार कराया है और न उसे तैयार कराने की आवश्यकता ही समझती है, क्योंकि सरकार के खाद्य विभाग से बार बार यह बात पूछने पर भी कि उत्तर प्रदेश में कितने गल्ले की कमी है, कितने गल्ले की आवश्यकता होती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है । तो मैं बतला सकता हूं कि कितना जंगल है । ३१,३४,६०१ एकड़ जंगल है, और पानी से भरा हुआ रकबा ९६,२३,०७३ एकड़ है । कितनी बस्ती, सड़क और आबादी है वह १८,५४,४२४ एकड़ है । बंजर ३८,११,१९२ एकड़ है । यह कुल मिलाकर ८२,८८,६८९ एकड़ होता है, जिसमें जंगल, पानी से भरा हुआ हिस्सा, सड़कें, बस्ती, आबादी और बंजर यह तमाम शामिल हैं । हमारे सूबे में परती जमीन कितनी है, वह परती १,२२,९१,४९४ एकड़ है । जितनी भूमि परती और बंजर है वह सब मैक्सिमम तय करने के बाद जो ऊपर से हमको मिलती है वह सब जमीन हम भूमिहीन लोगों को देकर क्या अपने देश से गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं । अगर सरकार की पालिसी यह होती कि विषमता दूर की जाय तो क्या सरकार के सामने हम अपनी बात पांच साल से जो कहते चले आये हैं, उसको न मानती । इसलिये श्रीमन्, जो यह कल्याणकारी बजट कहा गया है इसको मैं किसी तरह से कल्याणकारी बजट नहीं मानता हूं । मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह कल्याणकारी बजट नहीं है । अगर सरकार इसी बजट को कल्याणकारी बजट कहती है और जनता के सामने इसी तरह का बजट प्रस्तुत करेगी तो जनता निहायत परेशान होगी और जनता कल्याणकारी शब्द से भी घृणा करने लगेगी । श्रीमन् जब मैं खेती के और मसलों को देखता हूं तो जो इधर अकालग्रस्त

क्षेत्र रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी इस सेशन में सरकार की तरफ से इस सदन में जवाब दिया गया है कि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्रों में उत्पलवृष्टि हुई है। वह पिछले महीने में ४ दिन तक बस्ती देवरिया और गोरखपुर जिलों का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार के पास जो रिपोर्ट आयी है वह रिपोर्ट अधूरी है और वह रिपोर्ट गलत है। उन लोगों की जो हानि हुई है वह इससे ज्यादा है और ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान यहां तक हुआ है कि उन लोगों की गाथा अकथनीय है। जो कुछ किसानों के पास था और जिस पर अपना जीवन निर्भर करने के लिये सोचते थे वह उनका सब कुछ स्वाहा हो गया है। जो सड़क फैजाबाद से गोरखपुर देवरिया को जाती है, अगर उस सड़क पर चलकर देखा जाय तो ४ मील इधर और ४ मील उधर तक उनकी सारी फसल बरबाद हो गयी है और उत्पल वृष्टि से इतनी हानि हुई है कि एक पत्ती भी खेतों में दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा मालूम होता था कि सारी की सारी जमीन में कभी कुछ पैदा भी ही नहीं हुआ। जो अरहर की फसल थी वह सब खेतों में गिर गयी थी तो फिर वह कैसे उत्पादन कर सकती है। गन्ने के बारे में माननीय राजस्व मन्त्री के पास क्या रिपोर्ट आयी है मालूम नहीं, मगर बहुत से खेतों में इतना गहरा नुकसान हुआ है कि ईख का पूरा का पूरा पौधा उखड़कर खेतों में गिर गया है। इस तरह से जो बरबादी हुई है वह बहुत अधिक है। माननीय राजस्व मन्त्री ने अखबारों में बयान दिया था कि गोरखपुर, देवरिया में जो थोड़ी हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति दूसरे स्थान पर जो वर्षा हुई है उस से हो जाएगी, कोई घबड़ाहट की बात नहीं है।

श्री चरण सिंह----मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, राजस्व मन्त्री ने अभी कुछ सूचना दी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था और समाचार पत्रों म यह बात निकली थी। इस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षत्रों में भी हानि हुई है तो क्या वहां हानि की पूर्ति होगी। अगर यह बात गलत है तो मुझ खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने ऐसा बयान भी नहीं दिया था। मगर अब जो वहां की हालत है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय चाह वह खुद या उनके निकट रहन वाले किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को या माननीय सदस्य को वह हमार साथ भेजें। और जाकर उन गांवों में देखें कि जो लोग दयनीय हालत में हैं। मैंने उसके विषय में भी एक ११ प्वाइन्ट का सलूशन सरकार की खिदमत में दिया था और अखबारों में भी दिया था कि इस ओर ध्यान दिया जाय, उसमें कच्चे कुएं खुदवाने की भी सिफारिश की थी क्योंकि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो थोड़े समय में ही हो जाती हैं जैसे चीना है मूंग है और इसी तरह की और भी हैं, जो सरकार का वैज्ञानिक विभाग बतला सकता है और चीना आदि की फसलों में काफी एक्सपर्ट किसान हैं और वह जानते हैं कि उसमें दस बारह पानी लगते हैं और कुंय की खुदाई १५-२० रुपये में हो जाती है और आठ दस हाथ पर ही पानी मिल जाता है। ऐसे उपायों को लेकर यदि समुचित कदम उठाया जाता और उनकी हालत ठीक की जाती, तो उनको राहत मिल सकती थी और वहां के किसान थोड़ी आराम की सांस ले सकते थे, लेकिन यहां तो सारा नक्शा ही उल्टा हुआ है और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह से यह सारा बजट एक कल्याणकारी राज्य का बजट है, उनका कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है। कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने चर्चा की और बतलाया कि उसका बजट ऐसा नहीं होता। अगर माननीय मन्त्री जी इस बात को देखेंगे तो जहां पर उन्होंने ५० फी सदी सिंचाई की दर बढ़ाने की बात की है तो यह ५० फीसदी जो दर बढ़ेगी यह किसके ऊपर जाकर इसका बोझ बढ़ेगा? इसका बोझ किसानों पर पड़ेगा, मजदूरों पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैं, उन पर पड़ेगा, या उन प्रतिभा सम्पन्न लोगों पर पड़ेगा, जिनकी सारी जिन्दगी ऐश में बीतती है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी या इस समय के वैज्ञानिक अर्थ विधान के दृष्टिकोण को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि sal s tax itself is a regressive tax वह इसके बढ़ाने की बात कहत हैं और कहते हैं कि उसके रेट को भी बढ़ाया जायगा, तो आखिर इसका बोझ किस पर पड़ेगा?

[श्री राजनारायण]

जिनके परिवार बड़े हैं जो अधिक सामान खरीदते हैं जो गरीब हैं। इसका बोझ सत्ताधारी समाज के तबके पर नहीं पड़ता। इसलिये अगर सेल्स टैक्स को बढ़ाना भी अगर कल्याणकारी राज्य के बजट को शोभा देता है तो प्रश्न होता है कि उनके दिमाग में 'कल्याणकारी' शब्द के माने क्या हैं?

मैं आपके द्वारा कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन आंकड़ों को और देखें और उनको जरा समझने की भी कृपा करें। उत्तर प्रदेश में जहां पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने खर्च को घटाने की बात कही है तो मैं निवेदन करूंगा कि देश के अन्य सूबों का नकशा देखा जाय तो टैक्स के कलेक्शन में जो खर्च यहां होता है वह दूसरे सूबों में देखा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सरकार किस तरीके से बिना किसी हिचक के सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। अगर कास्ट आफ टैक्स कलेक्शन को देखा जाय कि उस पर टोटल रेवेन्यू का कितना परसेन्टेज खर्च होता है तो वेस्ट बंगाल में वह ५ परसेन्ट आता है। बिहार में ५.४ परसेंट पड़ता है और सौराष्ट्र में ६.४ परसेंट पड़ता है। उड़ीसा में ७.८ परसेंट और बम्बई में ८.७ परसेंट पड़ता है और पन्जाब में ८.९ परसेंट पड़ता है। मध्यभारत में ८.९, आसाम में ९ परसेंट, ट्रावनकोर कोचीन में ९ परसेंट और उत्तर प्रदेश में १० परसेंट पड़ता है। श्रीमन्, जब माननीय वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में यह बताते हैं कि सेल्स टैक्स दूसरे सूबों के मुकाबिले में अपने सूबे में कम है, इसलिये इस सूबे पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की जरूरत है तब मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब कम टैक्स है, तब तो १० परसेंट रेवेन्यू का खर्च होता है इस तमाम टैक्स के कलेक्शन में जो कि दूसरे सूबों की बनिस्बत ज्यादा है और जब और तमाम टैक्स बढ़ते चले जायेंगे और जासूसी का जाल तमाम दूकानों पर बढ़ता चला जायगा तो सर्विस में कितना खर्च होगा, क्या इसको समझने की ओर भी ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने समझने की ओर ध्यान नहीं दिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह आंकड़े आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री राज नारायण—यह रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिंग, १९५२ और फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में से है। आप उन्हें पढ़िए। अभी मैंने फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बुलेटिन, १९५२ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वह ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि दूसरे सूबों में जो रेवेन्यू होता है वह कैसे और कितने परसेंट टैक्स से आता है। उसमें टैक्स रेवेन्यू कितना होता है, एक्सपैन्डीचर कितना होता है, और उनका अनुपात सिक्योरिटी पर और सोशल सर्विस पर कैसे-कैसे पड़ता है, इसके लिये मैं अपील करूंगा और निहायत अदब के साथ अपील करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे।

आसाम में १९५०-५१ के ऐक्चुअल और इधर के एस्टीमेंट से माननीय मन्त्री जी देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि कुल १०.५९ परसेन्ट रेवेन्यू है जिसमें टैक्स आता है और एक्स-पेन्डीचर ७.५९। ५१-५२ में कुल ११.२ और एक्सपैन्डीचर आता है कुल ११.७०। ५२-५३ में १०.८१ और सब एक्सपैन्डीचर होता है १३.५५ पर कैपिटा। यह आसाम छोटा सा सूबा है, जिसके यह फिगर हैं।

अगर मद्रास को वित्त मन्त्री जी देखें तो पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर का जो एक्स-पैन्डीचर और परसेंटेज होता है वह ५०-५१ में १०.०६ और एक्सपैन्डीचर १०.२९। ५१-५२ में १०.२४ और एक्सपैन्डीचर १०.८१। ५२-५३ में रवेन्यू १०.६८ और एक्सपैन्डीचर ११.३०।

अगर बाम्बे को देखें तो ५०-५१ में १०.५२ रेवेन्यू और खर्चा १७.५४। सन् ५१-५२ में १६.६४ और खर्चा १६.९६। ५२-५३ में १७.१७ और खर्चा १५.७।

अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाय तब यहां की गरीबी और यहां को जो दयनीय हालत है, वह माननीय मन्त्री जी को मालूम होगी। उत्तर प्रदेश में ८.११ सन् १९५०-५१ में है। और ८.१० खर्च। ५१-५२ में ८.९२ रेवेन्यू और ८.९२ खर्च। ५२-५३ में ९.५३ रेवेन्यू और १०.१९ खर्च। श्रीमन् अगर इस आंकड़े को देखें तो इससे क्या नतीजा मिलता है। इससे नतीजा यह मिलता है कि उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के ऊपर जो सरकार खर्च का रेशियो लगाती है वह खर्च का रेशियो भी उतना नहीं पड़ता जितना कि उनसे वसूल किया जाता है और दूसरे सूबों से अगर उसका अनुपात लगाकर के देखें तो उसमें जनता से जो वसूल किया जाता है उसका रेशियो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वह खर्च का ज्यादा हो जाता है, मगर उत्तर प्रदेश में कम रहता है। इसके क्या माने हैं। इसके माने हैं कि सरकार की नीति जिस तरीके से चल रही है, वह ज्यादा खर्च नौकरशाही का जाल बिछाने में करती है। नौकर शाही का जाल बराबर बिछता चला जा रहा है। इसलिये अगर हम सिक्योरिटी सर्विस और सोशल सर्विस के अनुपात को देखें तो जहां पर ५०-५१ में आसाम में २.०० सिक्योरिटी सर्विस पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विस पर ३.०५ होता है और जहां पर ५२-५३ में आसाम में २.३१ सिक्योरिटी पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विस पर ३.९१ खर्च होता है। अगर हम मद्रास की फिगर को देखें तो मद्रास में जहां पर ५२-५३ में ३.१९ सिक्योरिटी सर्विसेज पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विसेज पर ४.३१। इस तरह से हर जगह बराबर बढ़ा है। अगर हम बम्बई को देखें तो सिक्योरिटी सर्विसेज पर जहां ५.७७ खर्च है वहां सोशल सर्विसेज पर ५.९० है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जहां पर २.८२ सिक्योरिटी सर्विस पर खर्च होता है वहां पर २.१४ सोशल सर्विसेज पर, इसके क्या माने। और यह ५०-५१ का रेशियो दिया। अगर उत्तर प्रदेश के ५२-५३ के रेशियो को देखा जाय तो जहां सिक्योरिटी सर्विसेज पर ३.०७ खर्च है, वहां सोशल सर्विसेज पर २.८२ है। क्या इसका सीधा सादा मतलब यह नहीं है कि अपने मुल्क के दूसरे सूबों में जो रकम सिक्योरिटी पर खर्च होती है वह कम है। तो जब और जगह यहां से सिक्योरिटी पर कम खर्च है तो इस राज्य को कल्याणकारी राज्य कैसे वित्त मन्त्री जी सम्बोधित करते हैं। माननीय मन्त्री जी को कुछ भी हिचक नहीं हुई इसको कल्याणकारी राज्य कहने में और इस बजट को कल्याणकारी राज्य का बजट कहते हैं। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमारे सामने बजट प्रस्तुत करते हैं और उस बजट की धनराशि किन-किन मदों में कितनी कितनी है, जब इसका सिंहावलोकन करते हैं तो उनको इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है धन में और सबसे बड़ा खर्च में माननीय वित्त मन्त्री जी के कथनानुसार है, उसमें व्यवस्था क्या है, उसमें न्याय, इंसाफ और शांति की क्या हालत है। मुझे अफसोस है कि इस समय हमारे माननीय गृह मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं वरना मैं उनकी खिदमत में इन बातों को पेश करता कि क्या आज सरकारी विभागों में जो कन्सीलमेंट आफ फैक्ट्स की पालिसी चल रही है, जो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और जो हत्यायें होती हैं, जो कत्ल होते हैं एक तरफ तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और एक तरफ रिपोर्ट्स के आंकड़े कम होते जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकारी विभाग के जरिये से गृह और पुलिस की रिपोर्ट हमें मिलती है उसमें आंकड़ों में कुछ कमी हुई है, हत्यायों में कमी हुई है, मगर श्रीमन्, मैं एक मिनट के लिये भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह रिपोर्ट्स, सही है, क्योंकि मैं बराबर देखता हूं और गांवों में जाता हूं आज तो दिन बदिन कत्ल और मार-पीट की मात्रा बढ़ती जा रही है और भुक्त भोगी भी हूं। भुक्त भोगी इस माने में हूं यानी जिस रिपोर्ट को खुद लिखने जाता हूं वह रिपोर्ट तो लिखी जाती है मगर जो रिपोर्ट किसी गरीब किसान के हाथ में लिखाकर भेज दी जाती है, उसको समझा करके भेजते हैं तो फिर वह दो तीन घंटे में लौट करके आता है और कहता है कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। श्रीमन्, अभी-अभी एक घटना में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि बहराइच में जो कैसरगंज की कन्स्टीट्यूएंसी में श्री हुकुम सिंह जी का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर एक मीटिंग हो रही थी। उनकी ओर से उस मीटिंग को भंग करने की कोशिश हुई। जब हमारे

[श्री राजनारायण]

उम्मीदवार रिपोर्ट लिखाने थाने गये तो वहां जो बड़े मुंशी साहब थे उन्होंने कहा कि जब तक दरोगा साहब नहीं आयेंगे रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी। मैं भी उसी लीप में बैठा हुआ था। मैंने उनको बुलाया और कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है वापिस चलो। इसके बाद उन्होंने कहा कि दरोगा साहब अस्पताल गये हुए हैं अभी-अभी आते हैं। मैं डायरी में लिखे लेता हूं मगर रसीद नहीं दूंगा। यह सब क्या बात है। इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि हमारे राज्य में अराजकता की वृद्धि हो रही है, इस प्रदेश में न्याय का मिलना मुश्किल हो रहा है। मगर इस प्रदेश में जिस रीति से वस्तु स्थिति को छिपाया जा रहा है, उससे जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है। श्रीमन्, अगर पिछले छै महीने की बनारस जिले की रिपोर्ट ले ली जाय तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बनारस जिले में पिछले छै महीने में जितनी मार-काट हुई, जितनी हत्यायें हुयीं और जितने दंगे हुए और जितने झगड़े हुए उसका सही विवरण नहीं मिल सकता। अगर सही मानों में इन आंकड़ों को देखा जाय बारबार ऐसा कौन सा हफ्ता है जो नहीं बताता है कि एक जिले से दस पांच रिपोर्टें नहीं आतीं हैं। सरकार जब इसकी रिपोर्ट तैयार करना चाहती है तो हर जिले से पूछती है कि कितने मुकदमें १४५ में चल रहे हैं और कितने मुकदमें बेदखली के चल रहे हैं। इस तरह से बेदखली के मुकदमें देखने से काम नहीं चलेगा। आजकल बेदखली के मुकदमें हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके जो पूर्वी इलाके हैं उन जिलों में ज्यादा हैं और इतनी सीमा को पार कर गये हैं कि जहां पहले नहीं थे वहां ज्यादा हैं क्या उनकी कोई रिपोर्ट है, क्या वह घटनाएं बिल्कुल छोड़ दी जायेंगी। मैं चाहता हूं श्रीमन्, कि इन बातों के बारे में एक इन्डीपेन्डेन्ट इन्क्वायरी बैठाई जाय और इल्लीगल तरीके से जो एजेक्ट्समेंट्स हुए हैं, जबरदस्ती तरीके से एजेक्ट्समेन्ट्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय, इस सदन के सामने तब सदन को मालूम होगा कि इल्लीगल ढंग से जो एजेक्ट्समेंट्स हो रहे हैं उनकी संख्या अपार है या पार है। तब जा करके इस सदन के सम्मानित सदस्य इस राज्य में जो अमन चैन कायम है उसका सच्चा नक्शा उन्हें मालूम होगा वरना सच्चा नक्शा इस तरह से नहीं मालूम हो सकता। इस तरह से जो रिपोर्ट निकली है, अगर कोई विदेश का रहने वाला या कोई दूसरे सूबे का रहने वाला इसको पढ़े तो उसका प्रदेश को स्वर्ग ही समझे। इसलिये श्रीमन् मैं चाहता हूं कि इस सदन के सामने वस्तुस्थिति रखी जाय और सदन के सामने उन तमाम घटनाओं को प्रस्तुत किया जाय जो सही मानों में आज जनता भोग रही है। सही मानों में जनता पर जो आज कुठाराघात किया जा रहा है और जो दमन चक्र चल रहा है और जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है वह सब सदन के सामने रखा जाय।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना के बारे में माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपील की है और माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह भी आग्रह किया है कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में पार्टी पालिटिक्स नहीं आनी चाहिये। वित्त मन्त्री जी के इस विचार की मैं कदर करता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बात कही उसको मैं तस्लीम करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि जब खाने का सवाल हो, विकास का सवाल हो, उसमें राज-नीति का प्रचार नहीं आना चाहिए। मगर मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पंचवर्षीय योजना एक देश की योजना है या पार्टी की योजना है। सारी योजना को एक पार्टी ने बनाया और उस पर बहस की और उसके बाद कुछ पार्टियों के लोगों को बुलाकर सारी पकी पकाई चीज उनके सामने रखी गई। क्या ऐसी योजना को राष्ट्र की योजना कहा जा सकता है? इसमें कोई हर्ज नहीं है यदि इसे कांग्रेस पार्टी की योजना कहा जाय। मगर मैं तो आगे जाने के लिये तैयार हूं कि यदि ऐसा भी होता तो भी कहीं तक ठीक होता बशर्ते कि इसमें जनता को आगे ले जाने की शक्ति होती। जो गलती हमारे वित्त मन्त्री जी कर रहे हैं मैं उनको उससे आगाह करना चाहता हूं। उन्होंने २६ जनवरी से श्रमदान वाले सप्ताह की चर्चा की है। जनता ने जिस उत्साह से उसमें भाग लिया उससे उन्होंने अन्दाजा लगाया कि उनकी तमाम योजनाओं में जनता का यह अपार सहयोग शामिल रहेगा। मैं उनको

यह बताना चाहता हूं कि जो योजना आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर चल रही है और जिसमें पिछले २ सालों से ढाई अरब रुपया फूंका जा चुका है, जैसा इसी सम्भाषण के आंकड़े से विदित है, उसमें जनता का सहयोग नहीं मिल सकता। इसलिये कि न इसका कहीं सिर है और न पैर है। यह प्लानलेस योजना है। इसके अन्दर यह नहीं बताया गया है कि कितने धन की वृद्धि होगी और वह जनता के किस अंग पर विशेषकर शोषित लोगों पर, कितना कितना खर्च किया जायगा। यह सारा लेखा जोखा और दुकानदारी का हिसाब पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आया कि हमारे प्रदेश में धन की वृद्धि कितनी होगी और वह कहां जायगी। उसका कौनसा हिस्सा उस हिस्से पर जायगा जिसका राजनैतिक और सामाजिक शोषण हो रहा है और जो उत्पादकवर्ग में शामिल है।

श्री चरण सिंह--राजनैतिक शोषण में क्या क्या शामिल है ?

श्री राजनारायण--मुझे निहायत खुशी है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी समय समय पर कुछ ऐसी बातें भी पूछ लिया करते हैं और मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है मैं उनसे उनको अवगत कराऊं। राजनैतिक और आर्थिक शोषण दोनों का अविछिन्न सम्बन्ध है। जिस मुल्क की जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी उसी तरह की राजनैतिक व्यवस्था भी होगी। हमारे देश में आर्थिक विषमता है और उससे जन्य जो परिस्थिति है उससे राजनैतिक शोषण हो रहा है। जैसा कि इस बजट के भाषण में अभी २ या ४ बार मैंने बताया, बहराइच में उपनिर्वाचन हो रहा है। आज बहराइच में जो सत्ताधारी वर्ग है, जिनके पास साधन हैं और दूसरों का जो शोषण करते हैं जैसा कि जरवल मिल को ले लीजिए आज उसके मालिक के तमाम प्रतिनिधि, तमाम उनके गुर्गे, उसके तमाम एजेन्ट इलाकों में घूम-घम कर माननीय मन्त्री हुकुम सिंह जी की पैरवी कर रहे हैं और उनको परेशान करते हैं, दबा रहे हैं कि तुम को अपने राज्यकाज को चलाने के लिये जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है अगर तुम उसको हुकुम सिंह जी को नहीं दोगे तो हम तुम्हारा गन्ना नहीं लेंगे। इसी को राजनीतिक शोषण कहते हैं। माननीय मन्त्री जी शायद इस भ्रम में हों कि जब मुल्क में डिमोक्रेसी होती है या बालिग़ मताधिकार होता है तो राजनैतिक शोषण नहीं होता। वे कृपया इस बुद्धिविभ्रमजन्य भांति में न विचरण करें। जब तक समाज में से आर्थिक विषमता नहीं मिटाई जायगी, सामाजिक विषमता नहीं मिटाई जायगी तब तक मुल्क में राजनैतिक शोषण विद्यमान रहेगा। उदाहरण के लिये मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि जरवल मिल में जो पिछले साल का पैसा बाकी है जाकर माननीय राजस्व मन्त्री जी खुद देखें कि जो दो, तीन, चार, पांच सौ एकड़ वाले बड़े बड़े किसान हैं और जो माननीय मन्त्री महोदय के दो चार रिश्तेदार हैं क्या उनका भी कोई पैसा बाकी रह गया है। नहीं बाकी है। केवल एक मिसाल आपके जरिये से माननीय वित्त और माननीय राजस्व मन्त्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं क्योंकि जो बड़े-बड़े किसान हैं और जो उनके उस गुट में शरीक हैं वे पहले परची पाते हैं और उनका गन्ना पहले लिया जाता है और उनके गन्ने की कीमत सबसे पहले चुकता कराई जाती है। क्या कारण है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनका पैसा अभी तक बाकी है और जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं जो सत्ताधारी हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत के रूप में इस सूबे में है उनके जो लगे हुए अंग हैं उनका रुपया बाकी नहीं रहेगा। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी थोड़ी भी तकलीफ उठावें और कल ही चलें तो सार आंकड़े पेश कर दिये जायेंगे कि किस किसान का कितना गन्ना आया और किसको कितना रुपया नहीं मिला। अब मिल मालिक की ओर से खुले आम कोशिश की जाती है कि पहले गन्ना उन इलाकों का लिया जायगा जिस इलाके के लोग हुकुमसिंह को वोट करेंगे। यह राजनैतिक शोषण है, यह राजनीतिक उत्पीड़न है और यही राजनैतिक दबाव है और इसी को जन्तन्त्र की हत्या कहते हैं और जो आज दिन दहाड़े इस सूबे में हो रही है और इससे ज्यादा राजनैतिक शोषण में माननीय राजस्व मन्त्री जी की खिदमत में क्या पेश करूं।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं पंचवर्षीय योजना पर आ रहा था। इस योजना का ढोल है वह कितना पोला है उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसके लिये सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। क्या वह सरकार नहीं है। क्या इसे जनता से पूछना नहीं चाहिए। मैं एक बात और साफ-साफ बता दूं कि खेती से सम्बन्धित जो भी बनी है जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने सम्भाषण में कहा था कि उन्होंने एक कमेटी स्थापित की थी और कमेटी में १/१० खेत की पैदावार का कर के रूप में लेने की सिफारिश की थी। तो उस कमेटी में किसानों के भी कोई प्रतिनिधि थे? (एक आवाज--वे किसानों के प्रतिनिधि नहीं थे तो किसके थे?) क्या वे किसके थे। अगर सही मानों में किसानों के बारे में जानते होते, सही मानी में किसान जानते और सही माने में किसानों के हित को कहते तो यह रिपोर्ट देने की उनकी हिम्मत न होती कि किसानों से उसके उत्पादन का एक बटा दस ले लिया जाय और उस रिपोर्ट का सहारा लेकर माननीय वित्त मन्त्री जी इस अकाल पीड़ित किसान से ५० प्रतिशत नहर के लगान को भी न बढ़ाते। इसलिये मैं आगे के लिये माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जब कोई कमेटी बनाया करें तो किसानों के प्रतिनिधि को भी ले लिया करें। किसानों में काम करने वाली जो संस्था है, जो वर्ग संगठन सूबे में है, जैसे हिन्द किसान पन्चायत है और दूसरी संस्थायें हैं उनके भी प्रतिनिधि लिया करें और श्रीमन् जिस तरीके से श्रमिक या मजदूर ट्रिब्यूनल के जरिये या कांसीलियेशन आफिसर के जरिये एडजुडीकेशन में अपने मामले को भेज कर इतना संतोष करता है कि जो जुल्म होगा कि उसे कमेटी में रखकर अपनी आवाज बुलन्द करेगा, कम से कम उनको इतना मौका है, यही मौका किसानों को भी दिया जाय। हम चाहते हैं कि इस तरह की बैन्चेज यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिए जो छः महीने में बेदखली के मामले और दीगर किसानों के झगड़े का फैसला करें। जब तक उनके झगड़ों का फैसला नहीं होगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है। इसलिये सरकार से हमारी मांग है कि हर जिले में तहसील वाईज या डिसेंट्रेलाइज करके ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना करें जो किसानों के तमाम सवालों को लेकर फैसला करे और जल्दी से जल्दी करे, दो तीन महीने उनके मामले के फैसले करने में न लिये जायं। जब तक किसानों की हालत दुरुस्त नहीं की जायगी तब तक यह कैसे कल्याणकारी राज्य होगा।

मैं अब ज्यादा समय न लेकर आपके जरिये अन्त में माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं और सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार हमारे सामने एक सुनियोजित व्यवस्था रखे जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जिनके पास धन नहीं है वह भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकें और उनके ऊपर कर का बोझा न लादा जाय। श्रीमन्, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस समय जमीन्दारी उन्मूलन हुआ और अपने राजस्व में ११ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी दिखाई गयी है। जहां पहिले ७ करोड़ रुपया किसानों से लगान वसूल होता था वह जमीन्दार को प्रतिनिधि के रूप में सरकारी खजाने में आता था, आज वह कमाई १८ करोड़ से ऊपर है। यहां पर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि किसान के ऊपर चाहे कोई संस्था जमीन्दार का रूप लेकर आये या कोई व्यक्ति उसके ऊपर आये, अगर उसके लगान की रकम कम नहीं होती है तो उसके कुछ माने नहीं हैं।

आज हमारे सूबे में जो चारों तरफ चर्चा मचाई जाती है कि जमीन्दारी उन्मूलन कर दी यह इतना बड़ा काम है कि इस राज्य की तमाम जनता उत्साहित होकर अपनी आवाज का प्रदर्शन न कर सके सरकार की इस तरह की नीति के साथ तो इसके जरूर कुछ माने होते हैं और उसके यह माने होते हैं कि जिस तरीके से जमीन्दारी खत्म हुई, जिस तरीके से सरकार ने सारे साधनों को अपने हाथ में करके राजस्व को बढ़ाकर किसानों के कर के बोझ को कम नहीं किया यही जनता के असन्तोष का सब से बड़ा कारण बना हुआ है।

श्रीमन्, मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी घोषणा हो और लगान आधा कर दिया जाय या जितना पहिले मालगुजारी लेते थे उतना ही लिया जाय,।

सरकारी खजाने में जितना आता था उतना ही किसानों से सीधे सीधे लिया जाये तो किसान ठंडी सांस लेगा और किसान यह कहता है कि जमीन्दारी टूटी है वरना आज किसान परेशान है। आज वह कहता है कि अंग्रेजी राज्य में जो कर का बोझा था उसमें आजादी हासिल होने के बाद भी कोई कमी नहीं हुई है बल्कि वह बोझा बढ़ता जा रहा है, दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे हमारे वित्त मन्त्री जी उसको करके नाम से कहें या किसी और नाम से पुकारें लेकिन गरीबों के लिये उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो रुपया दिया गया है चाहे वह विकास के लिये हो, चाहे किसी और काम के लिये हो मगर सही माने में वह करके नाम में आता है। उसको चाहें सिंचाई का दान कहें, चाहे धन का दान कहें, चाहे सम्पत्ति का दान कहें, जो शब्द माननीय वित्त मन्त्री जी को रुचिकर हो उसका प्रयोग करके वे शांति हो लें मगर आम जनता शांत नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें उस रिपोर्ट में क्या आपकी रिकमेंडेशन यह नहीं थी कि वह किसान जिसके पास एक एकड़ तक जमीन है उसका लगान ६ आना रुपया तक कम कर दिया जाय। जिन किसानों के पास चार एकड़ तक जमीन थी क्या उनके लिये जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह सुझाव नहीं था कि उनका लगान ४ आना फी रुपया कम कर दिया जाय? जिनके पास ६ एकड़ तक जमीन थी क्या उनका लगान दो आना फी रुपया कम करने के लिये जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ नहीं है? जिनके पास १० एकड़ जमीन थी उनके लिये क्या उस रिपोर्ट में एक आना फी रुपया कम करन का सुझाव नहीं था? जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें विद्यमान हैं। जो इतने दिनों तक जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के तैयार करने में समय खर्च हुआ, उन सुझावों से माननीय मन्त्री जी आंख क्यों मूंदते हैं और क्या उन सुझावों से किसानों को कोई राहत मिली? आज सरकार किस मुंह से कहती है कि किसानों के लिये उसने बहुत लाभकारी कार्य किया है?

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहरी जनता को जबकि चुनाव के दिन थे, चुनाव नजदीक आ रहा था, लुभावे में रखने के लिये सारी कोशिशें की गयीं, मगर आज जो सरकार ने गेंहूं का भाव बढ़ा दिया है क्या उसका बोझा सीधे सीधे खरीददार पर नहीं पड़ता है? और कैसे सरकार कह रही है कि यह "कर" नहीं है और इसका बोझा गरीबों पर नहीं पड़ता, सीधे-सीधे उसका बोझा शहरी जनता पर पड़ता है, जो उन दूकानों से गल्ला खरीदते हैं उन पर उसका बोझा पड़ता है। श्रीमन्, आज माननीय अन्न मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं वरना जो अन्न विभाग के आंकड़ों का कोढ़ है उनको आपके जरिये. अन्न मन्त्री जी की खिदमत में रखता। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्रान्तीय मन्त्रियों के बयानों में इतनी बड़ी विषमता है कि यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है। श्रीमन्, माननीय श्री रफी अहमद किदवई जो कि केन्द्र के मन्त्री हैं, और इसी प्रान्त के रहने वाले हैं, उन्होंने एक बयान १७ जून को दिया था जो हिन्दोस्तान टाइम्स में १७ जून सन् १९५२ को निकला है। सन् १९५० की जो फीगर्स उन्होंने बताई है वह १९ हजार टन है और ५१ की फिगर ६० हजार टन दी है तथा ५२ की फिगर ६१ हजार टन की दी है। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इस प्रकार की फीगर्स और इस तरह के आंकड़े जो केन्द्रीय मन्त्री अन्न और कृषि मन्त्री के बयानों में मिलते, हैं उसकी सफाई प्रान्तीय सरकार की ओर से होनी चाहिए। क्या प्रान्तीय सरकार इन आंकड़ों को सही मानती है? या प्रान्तीय सरकार इसको गलत मानती है? और अगर गलत मानती है तो जो इस तरह से बहुत ज्यादा, हजारों टन ज्यादा गल्ला प्रोक्योरमेंट की रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गयी है उसके क्या माने होते हैं? ये सारी की सारी बतें, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य इस बात को देखें कि सरकार की ओर से जितना यह आवरण, जाल बट्टा फैलाया जा रहा है वह केवल हम लोगों को गुमराह करने के लिये है ताकि हम गुमराह होकर जनता को भी गुमराह करें और बतलावें जैसेकि पुराने अंग्रेजी राज्य में अमन सभा थी। अमन सभा का केवल यह काम था कि अंग्रेजी राज्य ने बहुत सुन्दर का किया, पतार दिया, डाक दिया, रेल दिया,

[श्री राजनारायण]

इस तरह की तमाम बातें कहें, वैसे ही अमन सभा कायम की जाय और सत्ताधारी पार्टी के सदस्य जो गरीबों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर, मजदूरों के बीच में जाकर कहते रहें और बतलाते रहें कि घबड़ाओ नहीं, आने वाला जमाना अच्छा होगा। आगे आने वाले जमाने की अच्छाई को लेकर जो गरीब किसान कि आज भुखारिन की ज्वाला में मर रहे हैं वे क्या करें? उसी के साथ साथ श्रीमन्, मैंने आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री और तमाम मन्त्रियों की खिदमत में सरकार की कृषि नीति, सरकार की औद्योगिक नीति, सरकार की शिक्षा नीति, और सरकार की श्रम नीति के सम्बन्ध में जो थोड़ा सा बयान दिया, यह एक पूरी घटना का थोड़ा सा चित्र है। इस थोड़े से चित्र और बहुत थोड़े से चित्र को सामने रखकर अगर माननीय वित्त मन्त्री जी ख्याल करें तो उनको अपना भाषण वापस लेना चाहिए और फिर उनको कोई दूसरा भाषण प्रस्तुत करना चाहिए और उनको सही माने में जो सच्चा नक्शा सच्चा चित्र सूबे का है, उसको रखना चाहिए।

बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने तो मुल्क में अमन चैन कायम किया है, अब विरोधी पार्टी की ओर से इस सदन में उन जज्बात को नहीं पैदा करना चाहिए जिससे जनता यह समझने लग जाय कि आज कोई बड़ा भारी तूफान है और जनता के दिल में शान्ति की भावना की कमी है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये जो 'रूल्स आफ कन्डक' बनाये हैं वैसा तो अंग्रेजी हुकूमत में नहीं था उसके क्या माने हैं? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी सरकार को विश्वास नहीं है। सरकारी कर्मचारियों से जितने संलग्न हैं, डिपेन्डेन्टस हैं वे सरकार की नीति का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, ऐसा सरकार समझती है। वरना जनता में इस तरह का रूल नहीं बनाया जाता। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, मामूली सवाल नहीं है। केवल एक इसी सवाल को लेकर इस हुकूमत को आसानी से कहा जा सकता है कि यह जनतान्त्रिक हुकूमत नहीं है। अविश्वास की भावना बढ़ती चली जा रही है, असन्तोष का भाव बढ़ता चला जा रहा है, न्याय मिलने में कमी होती जाती है और सरकार की ओर से देश का सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी हाफिज मोहम्मद इबाहीम साहब ने ग्राम पन्चायतों का भी चर्चा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ग्राम पन्चायतें इस तरीके से काम कर रही हैं जिस पर तमाम लोगों की श्रद्धा है, इन लोगों का एक नकशा हमने दिया। मैं आपके जरिये उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार की ओर से सूबे के हर जिले में पन्चायतें टैक्स की वसूली में ज्यादती कर रही हैं या नहीं? पन्चायत टैक्स क्यों वसूल कराया जाता है जबकि जनता प्रान्तीय सरकार द्वारा लगाये हुए करों से उबी हुई है और उन करों से ही परेशान है? पन्चायतों के जरिये जो गलत तरीके से कर लगाया जाता है वह इससे साफ मालूम हो जाता है कि एक एक ऊंट पर बीस बीस और तीस तीस रुपये तक कर लगाया जाता है। यह कहां का न्याय है, यह कहां का इन्साफ है। श्रीमन्, मैं थोड़े में यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कि उन्होंने जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है, भगवान करे कि इस तरह का बजट वे हमारे सामने आगे न पेश करें। इस तरह से अगर वह बजट को पेश करेंगे तो पता नहीं कि आगे के सालों में जो जमाना आने वाला है उसमें हमारी जनता कहां से कहां चली जायगी। शिक्षा विभाग के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, विद्यार्थियों की फीस के वृद्धि के बारे में माननीय गृह मन्त्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं वरना मैं उनको याद दिलाता कि उनके ही निवास स्थान पर इस सेवक को भी मौका मिला था हड़ताल करने का। जब विद्यार्थियों की फीस में वृद्धि हुई थी और जब माननीय शिक्षा मन्त्री का दमन चक्र चल रहा था तो मैंने भी भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजी जमाने में अगर कोई आदमी भूख हड़ताल करता था तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था लेकिन इस कांग्रेसी राज्य में तो कोई सीमा ही नहीं है। जो भी काम किया जाता है वह मोरेलिटी में

शामिल किया जाता है। यह सरकार भूख हड़ताल करने वालों को भी जेल भेजती है और यहां पर मुझको लखनऊ जेल में रखा गया था और यहां से अनशन पर रहते हुए भी जौनपुर जेल को ट्रांस्फर किया गया था। जो यह फीस वृद्धि हुई थी विद्यार्थियों के ऊपर तो क्या यह इन्डायरेक्ट टैक्स नहीं है? जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाने के लिये तरसते हैं क्या उनके लिये कोई सुविधा में वृद्धि की गयी है? कुछ भी उनके लिये नहीं किया गया है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस बजट को वापस लें और ऐसा समुचित बजट लायें जिससे यह मालूम हो कि यह इस सूबे की जनता का बजट है और जो नंगी भूखी जनता है और जिसके पास कपड़ा नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती है, जो गरीब अपने रोग के लिये दवाई भी नहीं कर सकते हैं उन सब को इससे लाभ और सुविधा पहुंचे। इतने गरीब लोगों की दशा को देखकर इस बात का पता लगाया जाय कि कितने ऊपर के लोग ऐसे बचते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। गरीबों की आवश्यकता अगर पूरी हो जाय, उनकी विवशता दूर हो जाये तभी यह कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत सोचने की आदत हमारे मन्त्रियों की पड़ी हुई है। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि आगे के लिये भविष्य में इस सदन के सामने इस प्रकार के विकृत बजट को पेश करके इस सदन का अमूल्य समय नष्ट करने की कृपा न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस .....

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। और वह यह है कि इस बजट पर बोलने के लिये कम से कम समय निश्चित कर दिया जाय। प्रत्येक सदस्य इस सुनहरे अवसर पर बोलना चाहता है तो मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य को अपनी राय यहां पर प्रस्तुत करने के लिये समय का विभाजन कर दिया जाय। केवल इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष---यदि सदन ऐसा चाहेगा तो इस पर विचार कर लिया जायगा। अब तो मैं बालेन्दु शाह जी को बोलने के लिये बुला चुका हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट वह आईना होता है जिसमें उसके बनाने वाली सरकार का पूरा पूरा रूप दिखाई देता है। माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि आया उनका मतलब गतवर्ष के रूप से था या आगामी वर्ष के रुप से। जिस प्रकार से माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले वर्ष की घटनाओं और करतूतों को विस्तारपूर्वक बताने का प्रयत्न किया है उससे उस जमाने की याद आती है जबकि प्रदेश भर के कोने कोने में हमारे मन्त्रिगण अपनी अपनी संस्था और अपनी सरकार की तारीफ करते थे, इस उम्मीद में कि उससे एलेक्टोरेट प्रभावित हो जाय। इस समय इस सदन के सदस्यों के सामने जिस विस्तार रूप में माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले साल की घटनाओं का वर्णन किया है न आवश्यक था और न किसी रूप से उचित। माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमको बतलाया कि यदि इस बजट का और उनके भाषण का अध्ययन किया जाय तो जिस सरकार का यह बजट आईना है और जिसमें मौजूदा सरकार का पूरा रूप देख जा सकता है, जो चित्र इस बजट में हमारे सामने पेश किया गया है, जो स्पष्ट प्रतिबिम्ब इस बजट रूपी दर्पण में दिखलाने की कोशिश की गयी है, आया यह प्रतिबिम्ब और यह लक्ष्य देश के हित के लिये है? यह प्रश्न ऐसा है जिसका निश्चय भविष्य में आने वाली संतान करेंगी और हमारे लिये काफी समय तक यह एक काल्पनिक विषय बना रहेगा। मैं आपकी आज्ञा से और वित्त मन्त्री जी की आज्ञा से बजट भाषण के कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं। वह कहते हैं कि डिमोक्रेसी या जनतन्त्र में एक राज्य का वेलफेयर राज्य होना जरूरी है। जो राज्य अपना कर्तव्य सिर्फ जान माल की हिफाजत या चौकसी तथा अमन व शान्ति की बररकारी तक महदूद रखता है वह वेल फेयर राज्य नहीं है। वेल फेयर राज्य का कर्तव्य

[महाराजकुमार बाले दु शाह]

यह है कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उन्नति और तरक्की के मौके पैदा कर दे और इसका जिम्मेदार बने कि उसके हर फर्द या व्यक्ति को इससे फायदा उठाने में कोई चीज रोकने वाली न हो। जिस प्रकार एक समय यह फैशन सा बन गया था कि हम हर एक पुरुष के मुंह से वन नेशन थ्योरी का प्रचार सुनते थे इसी प्रकार रिवाज सा बन गया है कि हर एक मन्त्री, उपमन्त्री ही क्यों न हो, अपने भाषण में इस सदन के अन्दर या बाहर किसी न किसी रूप से इस 'वेल फेयर स्टेट' शब्द का प्रयोग करें। भाग्यवश माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस शब्द का प्रयोग एग्रकैच वर्ड की तरह नहीं किया, किन्तु उन्होंने इस शब्द का मतलब बताने की भी कोशिश की। माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमको यह बतलाया है कि एक जनतन्त्र राज्य क्रमशः और स्वतः एक वेल फेयर स्टेट अपने आप बन जाता है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि वेल फेयर स्टेट का क्या कर्तव्य है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वेल फेयर स्टेट का कर्तव्य यह है कि वह जनता के लिये उन्नति के साधन पैदा करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक वेलफेयर स्टेट की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को जो मौके उसके सामने पेश किये जाते हैं और उनके लाभ के लिये उत्पन्न किये जाते हैं उनसे लाभ उठाने के योग्य बनाये। वित्त मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कर्तव्य सरकार का है। यह कहना गलत न होगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी के पूरे भाषण का सारांश इन्हीं दो वाक्यों में है। एक वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य अपनी जनता के लिये उन्नति का मौका पैदा करना है और उसकी जिम्मेदारी है, यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को हर एक सूरत से मौजूदा परिस्थिति पर निगाह रख कर लाभ उठाने के योग्य बनाये। मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में "डिमोक्रेसी" शब्द का सही अर्थ लगाया है। क्योंकि, हालांकि यह एक बराबरी का जमाना है, फिर भी यह सबको मानना पड़ेगा कि हालांकि हम एक समय जबरदस्ती संसार में बराबरी ले आवें, किन्तु इस प्रकार की बराबरी हमेशा के लिये स्वतः स्थापित और स्थिर नहीं रह सकती। मन्त्री महोदय ने जो जोर योग्यता पर रखा है वह उचित है, केवल उचित नहीं, किन्तु मैं इतना कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री का अपने भाषण में कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि यह कि बराबरी का जमाना है और हालांकि इस सेकुलर स्टेट में कास्टिज्म और पक्षपात को हमेशा के लिये निकाल दिया गया है या निकाल देने की चेष्टा की गयी है और हालांकि कम से कम कागज में अब जनता और सरकार के परस्पर भेद नहीं है, फिर भी इन सब के होने के बावजूद वह प्राचीन युद्ध अब भी जारी है जोकि सर "वाईवल आफ दि फिटेस्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता के लिये उन्नति के लिये मार्ग प्रसारित करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को लाभ उठाने के योग्य बनावे, किन्तु फिर भी यह ऐसा समय है कि आराम, संतोष और कम्प्लेसेंसी के लिये इस दुनियां में स्थान नहीं, कम्प्लेसेंसी न जनता की ओर से, न सरकार की ओर से। पिछली घटनाओं का वर्णन करके यदि यह आशा की जा रही है कि यदि जनता और इस सदन के सदस्य आगे न देखें, किन्तु अपनी पिछली बातों पर ही ध्यान देते रहें तो यह गलत विचार होगा। यदि एक वेल फेयर स्टेट में आराम, संतोष और कम्प्लेसेंसी के लिये जगह नहीं है तो एक ऐसी वेल फेयर स्टेट जो कि पायस रेजोल्यूशंस में अमीर है, वैसी स्टेट में कम्प्लेसेंसी के लिये तो और भी कम जगह होगी।

हमारे सामने सरकार की नई प्रतिज्ञायें हैं। सरकार ने वित्त मन्त्री जी के भाषण के द्वारा यह ऐलान कर दिया है कि उनका यह कर्तव्य होगा कि वह जनता के सुख के लिये, उनकी उन्नति के लिये मौका उत्पन्न करेंगे। सरकार ने यह एलान कर दिया है कि वह जानते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि उनकी यह एक जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को योग्य बनायें। अब हमको यह देखना है कि सरकार इन दो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का किस प्रकार विचार रखती है। इन दोनों प्रतिज्ञाओं का परस्पर घनिष्ट और अटूट सम्बन्ध है। यह हमको सदैव याद रखना है कि एक अयोग्य जनता के लिये उन्नति का पथ खोलना व्यर्थ होगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में जनता के सामने उन्नति का पथ खोलने के तरीके बताये हैं उनमें बहुत प्रकार के खोट निकाले जा सकते

हैं। यह कहना असत्य न होगा कि जो विभिन्न योजनायें सरकार ने खोलने का विचार कर रखा है उनका महत्व और उनका मूल्य सही प्रकार से स्थिर नहीं किया गया। यह कहना असत्य न होगा कि उन्नति के मौकों की तलाश में सरकार ने उस उच्च सिद्धांत का "Cut your coat accordingto the cloth" इस उच्च सिद्धांत का त्याग खतरे की सीमा तक कर दिया है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैं यह कहूंगा कि उन्नति के मार्ग जनता और जिलों के बीच में बांटते समय न्याय का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी इस समय इस सम्बन्ध में अधिक न कहकर और उदारता के साथ यह मानने के लिये मैं तैयार हूं कि इस बजट द्वारा किसी न किसी रूप में यदि सबके लिये नहीं तो कम से कम कुछ के लिये यदि न्याय के साथ नहीं तो पक्षपात सहित फिर भी कुछ न कुछ उन्नति के पथ और उन्नति के रास्ते खोजने और खोलने की चेष्टा की गई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब कि यह मान लिया जाता है कि उन्नति के लिये सरकार ने कम से कम कुछ हद तक कदम उठाया है तो साथ ही साथ जो सरकार की दूसरी प्रतिज्ञा है कि वह जनता को योग्य बनायेगी, इस दिशा में सरकार ने क्या किया है? इस विषय के सम्बन्ध में सबसे पहले यह आवश्यक है, केवल आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवार्य भी है कि हम शिक्षा सम्बन्धी विभाग की जांच करें। आखिर यदि मनुष्य को और जनता को योग्य बनाना है तो स्वाभाविक यही होगा कि उसको और उसकी शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखा गया होगा। इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि खर्चे में सबसे ज्यादा इजाफा शिक्षा पर हुआ है। १९,००० से ज्यादा नये प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं। ८६ म्यूनिसिपैलिटियों में लड़कों के लिये अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा चालू कर दी गई है। ३१ नये कालेज खोले जा चुके हैं। इसी तरह जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों और टेकनिकल स्कूलों की तादाद भी बढ़ गई है, रुड़की यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा कर दिया गया है। इत्यादि इत्यादि। मैं जानना चाहूंगा मैं वित्त मन्त्री जी से पूछता हूं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछता हूं जो इस समय गैर हाजिर हैं कि क्या जो मौजूदा शिक्षा सम्बन्धी नीति सरकार की है क्या वह नीति सन्तोषजनक पायी गयी है। मैं पूछता हूं सरकार से, क्या यह सत्य नहीं है कि जो विशेष समस्या इस समय भारतवर्ष के सामने केवल उत्तर प्रदेश के ही सामने नहीं, किन्तु सारे भारत वर्ष के सामने जो विशेष समस्या इस समय है क्या वह अनइम्पलायमेंट की समस्या नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कि क्या यह सत्य नहीं है कि जहां पहिले अशिक्षित लोग अनइम्प्लायड थे, आज वर्तमान शिक्षा द्वारा शिक्षित हुए जो पुरुष हैं वह भी अनइम्प्लायड हो रहे हैं और अनइम्पलायड की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं पूछता हूं कि क्या यह आवयश्क नहीं है कि सरकार अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करे? क्या यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आज की शिक्षा द्वारा और हमारी सरकार की शिक्षा द्वारा केवल मैट्रिक और बी० ए० और जो ऐसी डिग्रियां हासिल की जा रही हैं, किन्तु जो पुरुष इन डिग्रियों को प्राप्त करते हैं वे इस दुनियां की लड़ाई में लड़ने के योग्य साबित नहीं होते। इस सम्बन्ध में यह असंगत नहीं होगा यदि मैं इस सदन के सामने और भी कुछ शब्द कहूं। इस साल की २८ फरवरी को फूल सिंह जी हमारे यहां आये उन्होंने वहां एक भाषण में कहा कि उनका विचार यह है कि किसी न किसी प्रकार भारतवासी को वर्सटाइल बनाना है। इसका मतलब कुछ नहीं किन्तु यह कि देश में हर एक सूरत स वोकशनल एजूकेशन की उन्नति की जाय। अनइम्लायमेंट उसी पुराने सिद्धांत का एक रूप है। उसी पुराने सिद्धांत का जो कि सप्लाई और डिमान्ड के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय बी० ए० और एम० ए० डिग्रियों के पुरुषों की आवश्यकता थी उस समय सरकार का जनता के लिये बी० ए० और एम० ए० की डिग्री हासिल करने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी। फिर आज भी बी० ए० और एम० ए० और ऐसी जो आर्ट की डिग्रियां हैं, उनके प्राप्त किये हुए पुरुषों की आवश्यकता हो तो ठीक है। फिर हमारी सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति ऐसी है किन्तु जब कि सरकार यह मानती है और कम से कम सरकार को यह मानना चाहिए कि केवल बी० ए० की डिग्री या मैट्रिक की डिग्री

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

हासिल करने के बाद जनता किसी भी काबिल नहीं रहती। फिर मेरा विचार यह है कि सरकार को हिम्मत रखनी चाहिए कि वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति बदले। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वोकेशनल एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ पढ़ना चाहता हूं। इस किताब के लेखक हैं श्री आर्थर बी० मेज। वह कहते हैं —

"The concept of vocational education is a necessary feature of public education which claims as one of its purposes the insuring to all its citizens, equality and opportunity to grow and achieve and to enjoy the right of liberty and the pursuit of happiness as developed in an astonishing slowness. One would expect to find the right experience of vocational education as an essential problem of democratic education. Educational thinking, however, has not always followed logical line and educational practice has seldom exhibited a logical progression."

ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखा गया है। बाद में वह बतलाते हैं :—

"There was a constant conflict between the rapidly changing environment and an unchanging theory of the function of the school."

जैसा मैंने कहा, यह किताब मिस्टर आर्थर बी० मेज ने लिखी है और वह यूनिवर्सिटी आफ इलियोनोस में प्रोफेसर आफ इंडस्ट्रियल एजूकेशन हैं। मेरा विचार है कि डिग्री के लिहाज से उन्हें काफी डिग्री है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से कुछ पढ़ता हूं। आगे वह बोलते हैं "The forces producing the modern world have also created a train of problems." यह हिन्दोस्तान में भी सही हो सकता है। "These problems arise chiefly from the extreme complexity of economic and social constitution of the society since the effect of the industrial revolution began to exert their full force. They have added यानी train of problem, to the burden of schools the obligation to guarantee to every youth vocational education as well as general education." यहां जो "vocational education and general education" में अन्तर पाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

"The traditional haphazard pick-up method," जोकि हिन्दोस्तान में प्रबल है, "of acquiring vocational preparation is not adequate in the modern world." यदि हम अपने आपको माडर्न वर्ल्ड में शामिल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस ट्रैडिशनल और हैप हैजर्ड मेथड को छोड़ दें जोकि माडन वर्ल्ड में नहीं रह सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को एक सुझाव देना चाहता हूं कि पुस्तक का परिचय आपने करा दिया है और माननीय सदस्य इसे अच्छी तरह देख लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा और पढ़ना चाहता हूं। अन्त में वह कहते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है, "among the modern problems demanding action is that of supplying vocational education for those working at every level of the occupational world" यहां विशेष कर मैं एवरी लैविल शब्द के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कई जगह, जैसा माननीय वित्त मन्त्री ने कहा, सरकार ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, देहरादून इत्यादि और टेहरी में भी है। इस विषय में मेरा कहना यह है कि हालांकि सरकार ने वोकेशनल एजूकशन देने की कोशिश की है और उसके लिये विभिन्न स्थानों में संस्थायें भी खोली हैं और उनमें से एक पोलीटेक्निक स्कूल हमारे यहां भी, जैसा मैंने कहा, खुला है। किन्तु इस शब्द के ऊपर मैं जोर देना आवश्यक समझता हूं "वोकेशनल एजूकेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऐट एवरी लेबिल आफ दि आक्यूपेशनल वर्ल्ड"। इसका मतलब यह हुआ कि डाक्टर और वकील यह भी एक प्रकार से वोकेशन कहे जा सकते हैं किन्तु यह हायर लैविल के हैं। यदि सरकार अपनी उस प्रतिज्ञा

को पूरा करना चाहती है कि वह अपनी जनता को योग्य बनाने की चेष्टा कर रही है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि स्कूल स्टेज में ही वोकशनल एजूकेशन के लिये सुविधायें दें। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल एक मात्र स्कूल स्टेज में वोकेशनल फैसिलिटीज आप्शनल रूप में देने से ही जनता को योग्य बनाना न माना जायगा। यह दुख की बात है कि आज कल हालांकि यह बराबरी का जमाना है और उस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है फिर भी यदि किसी एक स्कूल में वोकेशनल एजूकेशन फर्ज कीजिए कारपेन्ट्री आपशनल रूप में खोल दी जाय तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस विषय को बहुत कम विद्यार्थी लेने के लिये तैयार होंगे। जनता की अभी भी यही धारणा है कि जब तक जनता का हरएक सदस्य मैट्रिक या बी० ए० नहीं हो जाता तब तक वह शिक्षित नहीं है। हालांकि बी० ए० और एम० ए० तक डिग्री पाने के बाद भी वह भविष्य में अपनी रोजगारी का कोई साधन नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन चूंकि माननीय वित्त मन्त्री स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह जनता को योग्य बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक इस सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति बदली नहीं जाती तब तक जनता को योग्य बनाना और बनना संभव नहीं है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के सामने अनएम्पलायमेंट की बहुत बड़ी समस्या है और इस सम्बन्ध में उन्होंने उदारता के साथ सरकार के आगामी साल में १० लाख रुपये इस बजट में इसलिये भी रखा है कि जहां तक हो सके लोगों को बेरोजगारी से दूर करने के लिये लगाया जाय। यह बड़ी उदारता है परन्तु यदि इसको जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाय तो ताज्जुब होगा कि हर एक पुरुष के हाथ एक आना भी न पड़ेगा। फिर भी जैसा अंग्रेजी में कहा है "never look a gift house in the mouth" जनता को इस दान के लिये वित्त मन्त्री को धन्यवाद देना होगा। मगर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सही दिशा में कदम नहीं उठा रही है। यदि यह १ लाख की ग्रान्ट शिक्षा विभाग के मातहत होती तो मैं समझता कि सरकार वोकेशनल एजूकेशन के ऊपर जोर देने के लिये इसको वहां रख रही है। इस इतनी बड़ी रकम रखने का अर्थ यह ही केवल है कि यह तो यह किसी क्वलीफिकेशन के मुताबिक लोगों में बांटा जायगा या कर्ज के रूप में या फिर ऐसे पैसे से कोई नये प्रोजेक्ट्स खोले जायेंगे। मगर मेरे विचार में यह समस्या का ठीक प्रकार से सामना करना न होगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया है कि सरकार जनता के लिये मौके उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। मैं पूछता हूं कि क्या आज योग्य पुरुष के लिये मौके की कोई कमी है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में जरूर कमी है। यह दुख की बात है कि आज एक योग्य पुरुष गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिये उतना उत्सुक नहीं है जितना पहिले था।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसका कारण जो भी हो इस समय उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मगर उसके जिक्र करने का मेरा मतलब यह था कि योग्यता में अधिक जोर डालना आवश्यक है बनिस्बत उसके कि जबरन या जबर्दस्ती लोगों के लिये मौका पैदा किया जाय। यदि इस सरकार की शिक्षा विभाग की नीति सफल होती है, यदि यह सरकार अपनी जनता को वोकेशनल में ट्रेन्ड करती है, दबरदस्ती नहीं बल्कि कम उम्र से स्कूल स्टेज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे विश्वास है कि जनता को काम की कमी न रहेगी और इस प्रकार अनइम्पलायमेंट की जो भयंकर समस्या हमारे सामने है, जो दिन प्रतिदिन भयंकर रूप से बढ़ रही है, वह दूर नहीं तो कम से कम हल्की की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के सम्बन्ध में, जो कुछ मैंने कहा, उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी के पास और मन्त्रीगण उनके पास पहुंचा देंगे, यह दुःख की बात है कि वह इस समय उपस्थित न हो सके। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में श्रमदान का भी जिक्र किया है। श्रमदान में मेरा पूर्णरूप से विश्वास है, केवल विश्वास ही नहीं, अध्यक्ष महोदय,

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

मैं तो यह साबित कर सकता हूं कि श्रमदान एक ऐसी प्रथा है, जो प्राचीन समय से आई है हां, इतना मैं अवश्य मानूंगा कि किसी काल में मैं इसको प्रभू सेवा कहा करता था। आज यह श्रमदान के नाम से प्रख्यात है। जो कुछ भी हो श्रमदान या प्रभू-सेवा में मेरा विश्वास है और जनता यह जानती है कि कि अपनी उन्नति के लिये उसको कोशिश और चेष्टा करनी पड़ेगी मगर मुझे यह कहने की जरूरत होगी कि मुझे तो दुःख है कि हमारी सरकार इस पर मेरा विचार, है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा रख रही है। अपने भाषण में माननीय वित्त मन्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया है और सब भी कहते लेकिन सबको ज्ञात है कि भारत वर्ष मुख्यतः एक खेतिहर देश है। यह भी सबको मालूम है कि किसान को १२ महीने में बहुत कम समय मिलता है, जिस समय उसे छुट्टी मिल सके, जिस समय वह अपने खेती बारी के काम को छोड़ सके।

मैं और जिलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता किन्तु इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले के बारे में, वहां की जनता के बारे में यह कह सकता हूं कि जब पिछले दिन हमारे उपमन्त्री श्री फूल सिंह वहां आये थे तो उन्होंने एक फ्लाइंग विजिट सा किया। सड़कों-सड़कों में जहां वह जा सकते थे गये और जो योजनायें वहां चल रही थीं उनका उन्होंने मुआयना किया। बहुत सी जगहों में काफी लोग एकत्रित हो गये थे मगर मुझे दुःख इस बात का है कि माननीय ठाकुर साहब जब वहां से लौटे तो वह अपने साथ यह विचार ले कर लौटे कि अब सरकार को अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में बस केवल इतना ही घोषित करना है कि फलां जगह में लोग एकत्रित हो जाएं और वहां श्रमदान द्वारा फलां काम करें। इस सम्बन्ध में यह कहना भी असंगत न होगा कि मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि वहां दुर्भाग्यवश कभी कोई मन्त्री नहीं जाता था परन्तु अब टेहरी-गढ़वाल का भाग्य खुल गया है कि पिछले वर्ष में ३-३ उपमन्त्रियों ने वहां का दौरा किया। अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, श्री बलदेव सिंह आर्य वहां आये उनके पश्चात उपमन्त्री नेगी साहब और सबसे पीछे ठाकुर फूल सिंह जी वहां पधारे। मुझे इस बात का दुःख होता है कि पहले तो वहां उप मन्त्रीगण जाने का कष्ट करते हैं क्योंकि उन जिलों में जाना सरल नहीं है, क्योंकि वहां जीप और रेल गाड़ियां तो जाती नहीं हैं। वहां कोई सड़क भी नहीं है बावजूद बराबर सरकार से प्रार्थना करने पर भी वहां कोई सड़क नहीं बनी। इसलिये इतना तो मैं मानता हूं कि वहां जाना, विशेषकर उन लोगों का जोकि पहाड़ के रहने वाले नहीं हैं, और देश भर में भ्रमण करना एक असंभव सी बात है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वहां के बारे में उनकी क्या राय है क्योंकि वहां से लौटने के बाद उन तीन मन्त्रियों में से किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है, कि वह माननीय मन्त्री महोदय जो वहां गये थे वे यहां आने के बाद यह कहेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के लोगों की ओर से कोई मांग नहीं है या यह कहेंगे कि यह जो बतलाते हैं, वह गलत है, असत्य है क्योंकि मैं वहां स्वयं होकर आया हूं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के बारे में क्या राय है। माननीय ठाकुर फूल सिंह जी ने जब मैंने जिक्र किया या तो उन्होंने कहा कि इस समय, समय की कमी के कारण वे एक लम्बा दौरा नहीं कर पाये तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में जब कभी उन्हें समय मिलेगा वह एक लम्बा दौरा उस जिले का करेंगे।

जैसा कि मैंने श्रमधन के सम्बन्ध में कहा हालांकि मैं इस दान के पक्ष में हूं फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर अधिक भरोसा रखना उचित न होगा। जनता अपनी ओर से सहायता देने के लिये हमेशा तैयार है लेकिन जनता यथा शक्ति ही सहायता दे सकती है विशेषकर जबकि जनता को अपनी खेती-बारी से समय न मिले या जबकि श्रमदान द्वारा उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है हालांकि वह श्रम टेक्नीकली अपने ही लिये दे कर रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से यह प्रार्थना होगी कि वह बुरा न माने यदि जनता किसी प्रकार से श्रमधन देने में असमर्थ हो। मैं अपनी ओर से, हालांकि मैं सदन के इस ओर से भाषण दे रहा हूं, सरकार को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम श्रमदान में सरकार की सहायता करने के लिये हमेशा तैयार हैं। जैसा मैंने बतलाया यह तो हमारे यहां

पहले से ही आ रहा था। हां, पहले यही प्रभू-सेवा के नाम से कहते थे और आज यह श्रमदान बन गया है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---प्रभू-सेवा क्या चीज है ?

महाराज कुमार बालेन्दु शाह---अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर इस प्रश्न का उत्तर देना असंगत न होगा। कुछ अरसा पहले जबकि भारतवर्ष में जगह-जगह रियासतें होती थीं उस समय जनता और सरकार का सम्बन्ध न था किन्तु सरकार और प्रजा का भी सम्बन्ध माना जाता था। उस समय जिस प्रकार की आज की सरकार अपने आपको जनता की सरकार कहती है उसी प्रकार उस समय, जो देश के राजा होते थे उनको प्रजा अपना प्रभू मानती थी। तो यदि सरकार प्रभू-सेवा के नाम कुछ काम कराती तो उस समय की प्रजा उसको अपने प्रभू के लिये सेवा समझती थी।

एक सदस्य---वह बेगार होता था।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह---बेगार और इसमें अन्तर है। बेगार जो उस समय होता था वह आज भी पाया जाता है। बेगार प्रजा और राजा के बीच में नहीं, किन्तु सरकार या राजा और उसके अफसरों और जनता के बीच में होता था। जबकि सरकार का कोई कर्मचारी अपने लिये कुछ काम करावे, जिसके लिये उसको कोई अधिकार नहीं है, तो वह बेगार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी आगे बढ़कर पैसे की कमी की चर्चा करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया कि गवर्नमेंट खर्चा चलाने के लिये आम तौर पर तीन तरीके से रुपया हासिल कर सकती है। एक टैक्स की शकल में, दूसरे पब्लिक से कर्ज लेकर और तीसरे कन्द्रीय सरकार से कर्जे की शकल में इमदाद। आगे बढ़कर वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि खर्चे को घटाकर बचाने का भी तरीका है, जिससे कि आमदनी बढ़ायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार खर्चे को बचाकर आमदनी के नये जरिये निकाले जा सकते हैं उसी प्रकार सरकार को सरकार चलाने में बिजनेस के तौर पर कुछ हद तक चलना आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक हो सके सरकार को खर्चा प्रोडक्टिव परपज के लिये करना चाहिए। यहां पर मैं अपने विचार साफ तौर पर प्रकट करना चाहता हूं कि यह कहना गलत होगा कि क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्टिव परपज नहीं है, तो हमारे अपने कहने के अनुसार खर्च न किया जाय। एजूकेशन भी एक प्रोडक्टिव परपज है क्योंकि एजूकेशन भी एक रिच डिविडेन्स दे सकता है। देश में अगर अशान्ति फैलती है तो वह लैक आफ एजुकेशन के कारण ही फैलती है या उन्हें एजूकेशन की दिशा में नहीं लगाया गया। उसके कारण अशान्ति फैलती है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि हालांकि उत्तर प्रदेश की आमदनी प्रति वर्ष बढ़ रही है फिर भी चन्द वर्षों से हमारे वित्त मन्त्री जी हमारे सामने डेफिसिट बजट ही पेश कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या है। खर्चा बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ी है मगर प्रश्न यह है कि कि खर्चा आमदनी से अधिक क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा। इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी का बैठाना आवश्यक है, किन्तु off hand में मैं यह कह सकता हूं कि एक कारण इस खर्चे को बढ़ाने में यह है कि हमारी सरकार बहुत सी स्कीम निकालती है और हमारी सरकार टैम्पोरेरी पोस्ट बहुत क्रियेट करती है। हालांकि यह टेम्पोरेरी पोस्ट कही जाती है किन्तु कुछ दिन बाद सरकार को इन टेम्पोरेरी पोस्टों पर भरोसा रखने की आदत पड़ जाती है तो फिर कुछ समय बाद वह परमानेंट बना दी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत ओवर हेड हो गया है। जो स्टाफ है चाहे जिलों में हो, चाहे लखनऊ में फिर भी इस सम्बन्ध में ओवर हेड बहुत है। इसमें कमी करनें की गुंजाइश है और उस कमी को करने का केवल एक तरीका है और वह यह है जैसा कि राज नारायण जी ने कहा कि अब डिसेंन्ट्रालाइजेशन लाया जाय। जब तक जिलों में जिम्मेदारी को न बांटा जायगा और जब तक यह कोशिश की जाती है कि लखनऊ में बैठकर टेहरी-गढ़वाल और दूसरे दूर दूर स्थानों का रिमोट कन्ट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शासन किया जाय तब तक न तो इस सम्बन्ध में खर्चा कम हो सकता है और न जिलों के अन्दर शान्ति

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

फैल सकती है। जैसा मैंने पिछली बार कहा और हर एक अवसर पर कहता आया हूं कि जब तक डिसेन्ट्रालाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर नहीं लाया जाता है तब तक जिलों में रहने वाली जनता कभी भी यह अनुभव नहीं कर सकती कि वह अपनी सरकार स्वयं है। जैसा कि ठाकुर फूल सिंह जी ने जब वह हमारे जिले में आये कहा था और उनके यह शब्द हमेशा के लिये टेहरी-गढ़वाल के रहने वाले याद रखेंगे, उन्होंने कहा था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है किन्तु यह जो आजादी महात्मा गांधी जी की तपस्या से और दूसरे लोगों की तपस्या से देश ने प्राप्त की है और यह जो आजादी जनता के लिये प्राप्त की गई है वह एक प्रकार से ऊपर किसी दरख्त पर अटक गई है। अभी तक यह आजादी और स्वतन्त्रता जनता के पास नहीं पहुंच पाई है। इस स्वतन्त्रता की भावना को जनता के पास पहुंचना आवश्यक है। जब तक जनता यह नहीं जानेगी कि दरअसल यह सरकार उनकी है और वास्तव में जो भी वह नुकसान किसी चीज का करती है वह अपना नुकसान करती है तब तक जनता सचेत नहीं होगी। हमारा जिला जंगल के लिये प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में अब तो मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहूंगा कि क्योंकि जनता यह नहीं जानती है बावजूद इसके की नेगी जी कहते हैं कि यह जंगल तुम्हारे हैं, क्योंकि जनता यह नहीं समझती कि वास्तव में जंगल उनके हैं इसका कारण जगह जगह और बार बार जनता जंगलों का नुकसान करती है। मैं मानता हूं कि एकाएक जिलों में डिसेंट्रलाईज करने से जिलों को अधिक अधिकार देने से, मैं समझता हूं कि उनमें अशान्ति बढ़ जायगी किन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह जानता हूं कि शायद हमारा मन्त्रिगण यह समझता है कि जनता अभी अपनी देखभाल करने के योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल मैं यही कहूंगा कि जो मैंने पहिले भी एक बार कहा था कि अंग्रेजी सल्तनत अन्त समय तक हमको स्वतन्त्रता प्राप्त करने के काबिल नहीं समझती रही किन्तु आज जबकि स्वतन्त्रता कई साल से हमारे हाथों में आ चुकी है बावजूद माननीय राजनारायण जी के बिचार के फिर भी किसी न किसी प्रकार राज्य शासन चल ही रहा है। यह मैं फिर कहता हूं कि डिसेंन्ट्रालाइजेशन करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, अब अधिक न कह कर अन्त में मैं यही कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने, जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें अलग अलग दृष्टि से अगर देखें तो अवश्य गलतियां दिखलाई जा सकती हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इस बजट को एक आइडियल बजट समझता हूं। आइडियल बजट कहलाने के लिये सब से पहले क्वालिफेकशन यह होना चाहिए कि वह डिफिसिट बजट न हो। इसलिये मैं एतराज करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी यह तो न कहते कि उन्होंने हमारे सामने यह एक आइडियल बजट रखा है। इतना जरूर कहूंगा कि जो मैंने कुछ समय पहले कहा था कि बजट बनाते समय सरकार इस बात पर काफी ध्यान नहीं देती कि आमदनी कहां से कितनी आती है और वहां कितना पैसा खर्च किया जाता है। यहां पर इस समय खासकर हर एक सदस्य अपना यह कर्त्तव्य समझता है कि वह अपने जिले के लिये खींचातानी करे, हालांकि इस समय उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मैं भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि पहाड़ी जिलों के लिये और विशेषकर गढ़वाल के लिये इसमें मैं दोनों गढ़वालों को शामिल करता हूं कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। इसका एक कारण शायद यह हो सकता है कि चूंकि पहाड़ों से आमदनी का जरिया विशेषकर जंगलात है और क्योंकि इस साल जंगलात की आमदनी कम हुई इसलिये शायद सरकार ने सजा के रूप में पहाड़ी जिलों की ओर घृणा की दृष्टि दिखलाई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बात को कभी याद में नहीं रखा जाता है कि जिलों को केन्द्र से कम्युनिकेशन और ट्रान्सपोर्ट के लिये रेल मिलती है और पहाड़ के जिलों में इस रूप में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती है। मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था और उस समय भी मैंने प्रार्थना की थी कि जब अगले वर्ष का बजट बनाया जाय सरकार इस बात पर ध्यान दे और पहाड़ी जिलों को जो कि पिछड़े हैं, जहां यातायात के साधन पिछड़े हैं वहां पर क्योंकि रेलों का प्रबन्ध नहीं हो सकता इसलिये वहां की सड़कों के लिये अधिक पैसा

दे। मैं दुःख के साथ कहता हूं कि इस बजट में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो जो योजनायें जनता के सामने रखी हैं, उनका सफल करना हर एक का कर्त्तव्य है। सरकार का यह उम्मीद करना कि यदि एक किनारे के जिले को किसी कर्त्तव्य या योजना से लाभ पहुंच रहा हो तो उस लाभ का फल कितना ही इन्डायरेक्ट क्यों न हो, एक दूसरे कोने के जिले को भी पहुंचेगा। यह एक बहुत उच्च सिद्धांत है और इस सिद्धांत का पालन अभी की अशिक्षित जनता नहीं कर पायेगी। यह आवश्यक है कि सरकार हर एक जिले और प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करे। यह आवश्यक है कि सरकार देश को प्रोडक्टिव बनाये। यह मैं मानता हूं, किन्तु प्रोडक्टिव बनाने के दो तरीके हैं। एक बड़े बड़े कारोबार खोलना, दूसरे यह कि इन्डिविजुवल को प्रोडक्टिवो बनाया जाय। इंडिविजुवल को प्रोडक्टिव अगर बनाया जाता है तो . . .

श्री रामनरेश शुक्ल--आबादी बढ़ेगी।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--इस सम्बध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ अर्से पहले भी यह कहा था। हालांकि मुझे खद्दर पहिनने का अवसर अभी तक नहीं मिला, फिर भी मैं यह कहूंगा . . .

कुछ सदस्य--दाम घट गया, अवश्य पहिनिये।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--दाम घटा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हालांकि मेरा इस विषय पर बोलना एक प्रकार की गुस्ताखी होगी, फिर भी जहां तक मैं समझ पाया चरखे के आन्दोलन का महत्व यह था कि हर एक पुरुष अपनी जरूरत की पूर्ति स्वयं करे। यदि हर एक पुरुष अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करता है, तो फलस्वरूप देश अपनी पूर्ति कर सकता है, इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार जनता को मौका दे कि वह अपनी पूर्ति करने के लिये प्रयास करे। इसलिये मेरा चरखे का जिक्र करने का तात्पर्य यह था कि सरकार को नीचे जनता में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना आवश्यक है।

सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि वह इस भ्रम में न रहें कि वह, क्योंकि उनको यहां जनता ने सरकार बनाकर भेजा सो वे अब भी सरकार के उतने ही सम्पर्क में हैं और जनता का सम्पर्क सरकार से वैसा ही बना हुआ है। मैं अपने जिले के बारे में कह रहा हूं और जगह भले ही दूसरी परिस्थिति हो। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि मनुष्य एक मकड़े के समान है। पहले उसकी दो टांग, फिर कुछ उन्नति प्राप्त करने के बाद कुर्सी मिलती है तो ४ टांग हो जाती है। फिर कुछ उन्नति करने के पश्चात् मेज सामने आ जाती है, आठ टांगें हो जाती हैं। फिर उसी मकड़े के समान वह अपने चारों ओर जाल फेर कर उसी केन्द्र में बैठा रहता है। यह आवश्यक है कि सरकार जनता की मांग हमेशा और सही चैनेल से अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करे। यह मेरा अनुभव है अध्यक्ष महोदय, यदि हम सरकार के पास जनता की कोई मांग पहुंचाते हैं तो उस मांग पर ध्यान दिया नहीं जाता, किन्तु जिस मांग को हम सरकार के पास पहुंचाते हैं उस मांग की जांच सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा कराती है, उसी कर्मचारी के द्वारा जिसके खिलाफ की हमने आवाज जनता की ओर से उठाई। जनता सरकार की है। सरकार का फर्ज है कि वह जनता की आवाज सुने, जनता की आवाज सीधे सुने यह नहीं कि वह अपने किसी कर्मचारी के द्वारा कर्मचारी के नोटिंग द्वारा उस पर विचार करे।

श्री शिव नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष--आप समय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वह कल निश्चित किया जायगा। आज समय समाप्त हो रहा है। मैं कल तय कर दूंगा।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट इस समय सदन के सामने पेश किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं पिछले कई सालों में कई तरह के बजट देख चुका हूं। मुझे यह

[श्री राधामोहन सिंह]

कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह एक वास्तव में कल्याणकारी राज्य का बजट है और हमारे राज्य को बहुत आगे ले जाने वाला है। मैंने विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी के लम्बे चौड़े, तीन घंटे के भाषण को बड़े गौर से सुना। मैं सोच रहा था कि वैसे जो वे अपनी बातों को दोहराया करते हैं उससे कुछ भिन्न बातें आज सदन में रखेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई कि वही कहानी जो रोज सुना करते थे, इस तीन घंटे के लम्बे भाषण में वही बातें सुनने को मिलीं? मैं तो समझ रहा था कि आज इस बजट के भाषण के सम्बन्ध में कोई नयी नयी बातें वित्त मन्त्री महोदय ने कही हैं, कई आंकड़े पेश किये गये हैं, जिनके ऊपर मैं इस समय नहीं जाना चाहता, मैं आपसे यह प्रगट करना चाहता हूं कि यह बजट वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का बजट है और वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के जरिये से बहुत विस्तारपूर्वक इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इस राज्य की गत कई सालों में कई बड़ी बड़ी रकमें जनता की भलाई के लिये खर्च की गई हैं और यह कल्याणकारी राज्य के अलावा और क्या हो सकता है। बजट के आंकड़ों के देखने से हमें पता चलता है कि गत वर्ष में वहां ६३ करोड़ रुपये का खर्चा था वह इस साल में ७८ करोड़ हो गया है। एक वर्ष के अन्दर में इतना बड़ा कदम शायद ही कहीं देखने को मिले और सबसे बड़ा भाग ७८ करोड़ रुपये के अन्दर ५६ करोड़ रुपया विकास की मदों में खर्च किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी रकम है और कम से कम एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जो विकास के लिये हम खर्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मित्र विरोधी पक्ष के नेता ने बतलाया कि वे आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने आंकड़ों को गलत बताया। आंकड़े गलत हो सकते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि उन्हीं गलत आंकड़ों को हमारी सरकार का विरोध करने के लिये उन्होंने स्वयं पेश किया। तो यह तो उसी तरह है जिस तरह कि कोई वकील न्याय लेने जाय और इस बात को कहे कि हमारे गवाह तो झूठे हैं लेकिन उन्हीं गवाहों के आधार पर मुकदमें को जीतने की कोशिश करे। इसी तरह उनके भाषण में मैंने देखा कि जिन आंकड़ों को वह नहीं मानते हैं उन्हीं आंकड़ों को हमारे विरोध में पेश करना चाहते हैं। यह तो ऐसे ही हैं जैसे कि एक साहब को नाला पार करना था उन्होंने झट नाले की गहराई अपना पैमाना माना और उसका औसत निकाल दिया और मालूम हुआ कि उसकी गहराई केवल चार फुट होती है। उन्होंने उसको पार करने का प्रयत्न किया और वही हाल हुआ, जो ऐसे व्यक्तियों का हुआ करता है। आंकड़े सही हों या गलत हों लेकिन आंकड़ों के प्रयोग करने का एक तरीका होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि जब १२ करोड़ का हमारा बजट था तब १०८ खर्च होता था और आज जब ७८ करोड़ का बजट है तो हमारा वह अनुपात नहीं आता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन आंकड़ों की गैर्दरिंग का चार्ज हमारे ऊपर लादा है। अगर यह मान लिया जाय कि जो ७२ करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, वह जो इन मदों में हम खर्च करते थे वही आज भी की गयी है तो हमको नयी नयी मदों के लिये और नये नये कामों के लिये कहां से रुपया आयेगा, वह असम्भव सी बात है और जब हम एक प्रगतिशील राज्य कायम करना चाहते हैं तो हमें अपने यहां के खाने की समस्या को हल करना है। इसी लिये हम पहले के ६ वर्ष के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। यह सही है कि जितने आंकड़े हमारे पास हैं वह गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि जब हमारे माननीय मित्र ने पूछा कि वास्तविक आंकड़े क्या थे जबकि सन् १९४६ में हम इस मद में दो करोड़ रुपया खर्च करते थे आज उसी पर हम ११ करोड़ खर्च कर रहे हैं तो हमने आंकड़े जरूर बढ़ाये लेकिन अनुपात कम करना मुश्किल था क्योंकि मैंने देखा कि कई वर्षों से हमारे यहां खाने की परेशानी है इसलिये हमें उसके लिये रुपया देदेना पड़ा और हमने इस बात को निश्चित किया कि अन्य योजनाओं के अतिरिक्त हम इस पर रुपया खर्च करेंगे और अपने खाने के लिये हमें स्वावलम्बी होना है। उन लोगों के लिये जो कि अभावग्रस्त हैं उनके लिये ऐसी शक्ल पैदा करें कि उनका अभाव दूर हो। तब तो हमारे लिये उन मदों में खर्चा न करके इस मद में बढ़ाना पड़ा लेकिन हमारे विरोधी नेता दल ने ऐसे तरीके से और ऐसे ढंग से प्रयोग किया है लेकिन मैं आपको बतलाता हूं

कि अगर कोई अन्य आंकड़ों को देखे तो उसे पता चलेगा कि कि सन् ४६ और ५२ के आंकड़ों में कितना फर्क है।

सन् १९४६ में हम खाने के मोहताज थे, कपड़े के मोहताज थे मगर आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गये हैं कि कन्ट्रोल को हम तोड़ने जा रहे हैं। क्या आज जनता में संतोष नहीं है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य कायम किया है। मैं विनम्र यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने इस लम्बे भाषण में कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कल्याणकारी राज्य बनाया है, उन्होंने कहा कि हम रास्ते पर हैं और वह समय आयेगा जल्द से जल्द कि हम कल्याण कारी राज्य का रूप धारण कर लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने के बाद अगर मैं यह दावा करूं कि हम कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर आ गाये हैं तो क्या यह ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बजट के अन्दर हम २६ करोड़ खर्च कर रहे ह विकास के कामों के लिये और एक तिहाई हम दूसरे डेवेलपमेंट के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं और जो हमारे खर्चे पहिले के हैं वह हैं ही मैं समझता हूं कि यह फीगर ऐसी नहीं है, जिसको हम आसानी से टाल सकते हैं बल्कि यह फीगर ऐसी है, जो इस बात की स्पष्ट सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरफ से चल रही है और क्या करना चाहती है। इसके अलावा १४ करोड ३७ लाख कि वह रकम भी है, जो हम खर्च करने जा रहे हैं। श्री बालेन्दु शाह जी ने कहा है कि हमें ऐसी मदों पर खर्च करना चाहिए, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। अगर यह बजट देखने की कोशिश करे तो उन्हें मालूम होगा कि हमने एक बहुत बड़ी रकम इस तरह से खर्च की है। इसी तरह से मुझे आश्चर्य है कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने यह बतलाया कि यह बजह ऐसा है जो कि गरीब जनता की कमर तोड़ने वाला है।

अगर सन् १९५२-५३ के बजट से जनता की कमर नहीं टूटी तो इस बजट से कैसे टूट सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो हम इतना बड़ा खर्चा करते जा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा गरीबों के लिये खर्च होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें दिखाई पड़ी वह माननीय वित्त मन्त्री जी का वह स्लोगन है, जिसमें उन्होंने कहा है इस बजट में कि नाऊ आर नेवर। उन्होंने रखा है कि हमको आज और अभी करना है वरना कभी नहीं होगा। आज हम अपने राज्य के विकास के मामले में एक नाजुक जगह पर पहुंचे हुए हैं। हमारी राज्य सरकार के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें आई और सबको मालूम है कि हमारी सरकार ने उन्हें किस खूबी के साथ हल किया। ला ऐन्ड आर्डर की समस्या को सब जानते हैं कि उसने हमारी सरकार का कितना समय लिया। लेकिन फिर भी उसने उसको अच्छी तरह से हल किया। जो वादे हमने पहिले किये थे उन्हें पूरा करना है। मेरी समझ में तो यही बात आई कि सरकार की पालिसी यही है कि अगर हमको करना है तो निश्चयता के साथ करना है वरना हट जाना है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कदम देश के निर्माण के लिये उठाये गये हैं उनका सदन को स्वागत करना चाहिए और पूरा पूरा सहयोग देना चाहिएँ। इसी से देश की उन्नति होगी अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर हमने देखा कि जो तरीका हम अपना रहे हैं जनता की सेवा केलिये और जिनके जरिये से हम आगे बढ़ना चाहते हैंउनका जनतानें स्वागत किया है और वह जनता को स्वीकार है। मैं आपसे स्पष्ट कबूल करना चाहता हूं कि हम लोगों के मन में भी बहुत दुविधा थी कि आया यह रिपब्लिक डे का काम कामयाब होगा या नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि आशातीत लक्षण हमें उसमें दिखाई पड़े। जहां हम आशा करते थे कि शायद सौ या २ सौ भी लोग नहीं आवेंगे वहां आपने भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग वहां आये और काम किया। उसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग आये और फड़ुवा उठाया और मिट्टी खोदी और डाली। यही नहीं हुआ कि लोग दिखावट के लिये आये हों। मैंने अपने जिले में दौरा किया और देखा कि हर गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है। यह सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि जनता का सहयोग हमको अवश्य प्राप्त होगा। हमारे भाई नारे लगाते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब नारों का समय बीत चुका है। अब काम करने का समय है। हमारी सरकार ने बन्दियों से काम लिया। यह नहीं है कि जेल में रहना

[श्री राधामोहन सिंह]

अभिशाप है। इस सुझाई के लिये और उनके सहयोग के लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और राष्ट्र की सेवा करने के लिये लग सकता है एक बहुत बड़ी बात देखने में आयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कर इस बजट में बढ़ाया नहीं गया है। इसके लिये माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने बताया कि जो सैल्स टैक्स बढ़ रहा है या जो नहरों का रेट बढ़ रहा है यह जनता को खलेगा। यह मैं जानने को उत्सुक हूंगा कि कौन सा तरीका होगा कि जनता के लाभ के लिये कार्य किया जाय और जनता पर उसका भार न पड़े। अगर आपको कोई नुस्खा मालूम हो तो हो लेकिन आपने उसका कोई जिक्र अपने लम्बे भाषण में नहीं किया, अपने मन में रखे हों तो बात दूसरी है। लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया में जिन सरकारों ने जनता के लाभ के लिये कार्य किया है उनके लिये जनता पर भार डालना स्वाभाविक ही हुआ है और जनता पर निर्भर रहना ही पड़ता है। कितना भार जनता पर पड़े और किस तरह से पड़े यह तो भिन्न बात है लेकिन अगर कोई कदम उठाया जायगा तो उसका भार जनता पर पड़ेगा, इसको एवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि जनता पर अधिक कर का बोझ नहीं लदना चाहिए। जो नहरों के पानी के रेट को बढ़ाया गया है उसमें कोई बेजा बात नहीं की गई है क्योंकि जो जमीन आबपाशी के अन्दर है और जो नहीं है उसमें काफी अन्तर देख पड़ता है। तो जो उससे लाभ उठाते हैं उन्हीं को उसको देना होगा। इसके अतिरिक्त जब वह पहले पहल लगाया गया था उस समय गल्ले का भाव कम था और अब गल्ले का रेट बढ़ा है और उसके कारण उन्होंने अब धन भी ज्यादा पैदा किया है इसलिये अगर कुछ बोझ उनपर बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात नहीं है।

जहां हमने इतनी खूबियां बताई हैं वहां हम दो एक बातें ऐसी निवेदन करना चाहते हैं और सरकार से चाहते हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे ताकि गलती न होने पाये। इस बजट में एक रकम १० लाख की बेकारी को खत्म करने के लिये है और दूसरी एक लाख रुपये की रकम महिलाओं के लिये रखी गयी है। लेकिन हमको सरकार को चेतावनी देनी है कि पहले भी कई बार रकमें रखी गयी हैं। लेकिन भाषण में या बजट में यह नहीं बताया गया था कि यह रुपया किस प्रकार खर्च किया जायगा और वह रुपया बाद को लैप्स हो गया, खर्च नहीं हुआ। मुझे याद है कि १ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने हाउसिंग के लिये रखा था, ५० लाख रुपया अरबन हाउसिंग के लिये और ५० लाख रुपया रूरल हाउसिंग के लिये लेकिन बजट में तो रुपया रख दिया गया। कोई स्कीम नहीं बताई गई कि किस प्रकार कहां पर खर्च होगा और उसका नतीजा यह हुआ कि वह रुपया खर्च में नहीं आया और लैप्स हो गया। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब कोई अर्थ की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिये कोई न कोई योजना भी रखनी चाहिए और अगर कोई योजना रखी गयी होती तो हमको इस बात के लिये अवसर मिलता कि हम उस योजना पर अपनी राय दें। खाने की समस्या के बाद अगर कोई दूसरी समस्या जो नवयुवकों को परेशान किये हुए है तो वह बेकारी की समस्या है और जैसा कि माननीय बालेन्दु शाह जी ने कहा कि शिक्षित लोगों के अन्दर यह समस्या बहुत बढ़ गयी है। अगर सरकार कोई योजना इस ओर लाये और इस तरफ कदम उठाये तो राज्य भर में उसका स्वागत किया जायेगा। अगर योजना न बनी हो तो जल्दी से जल्दी बनाई जाये और इस रकम का सदुपयोग हो सके।

एक लाख जो गिरी हुई औरतों के लिये रखा गया है वह भी सामयिक चीज है। औरतों की उन्नति के लिये कुछ भी ख्याल नहीं किया गया था। अब सरकार का ध्यान उस ओर गया है। इसके लिये वह अवश्य बधाई की पात्र है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता के लम्बे भाषण का मैंने जिक्र किया। मैं उनकी किसी बात से सहमत न होता हुआ भी एक बात से सहमत हूं और वह है ऊंची तनख्वाहों को कम करने की। माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल सही है कि ऊंची तनख्वाह को कम करके कोई बड़ी रकम नहीं मिल सकती लेकिन ऊंची तनख्वाहों को कम करने के पक्ष में हम इसलिये नहीं हैं कि कोई

बहुत बड़ी रकम मिल जायगी बल्कि हम तो यह समझते हैं कि इसका एक साइकालोजिकल एफेक्ट होगा। जब हम पटवारियों से कहते हैं कि तुम उसी तनख्वाह में काम करो और हमारी मजबूरियां हैं और हम तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है लेकिन हमारी मजबूरियां हैं और तुम्हारी तनख्वाहों को हम बढ़ा नहीं सकते। ऐसी मदें खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां हम यह कहते हैं और देखते हैं कि हमारे बहुत से कर्मचारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और ऐश आराम से रहते हैं तो वह गरीब छोटी छोटी तनख्वाह वाले यह कहते हैं कि क्या हम अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से नहीं बिता सकते हैं, क्या हमें इसका हक नहीं है। ऐसी हालत में हमें क्या हक है कि हम उनसे कहें कि तुम राष्ट्र के लिये कुरबानी करो। हम यह जब ही कह सकते हैं जब कि बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह को कम करें और उनसे कहें कि हम राष्ट्र के लिये आप लोगों की कुरबानी चाहते हैं। कुरबानी तो सब से लेनी चाहिये। यह नहीं कि केवल गरीबों से ही कुरबानी लें बल्कि बड़े बड़े आदमियों से भी कुरबानी लेनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ सोचे कि ऊंची तनख्वाहें इसलिये कम न की जायं कि उनसे बड़ी रकम मिलेगी बल्कि इसलिये की जायं कि जनता पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। आजकल जो लोग यह सोचते हैं कि बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले लोग आराम से रहते हैं और गरीब लोग परेशानी में रहते हैं यह चीज लोगों के दिमाग से निकल जाय इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस पर गौर करे और अगर मुमकिन हो तो अगले साल जरूर तनख्वाहें कम करे।

एक दूसरी बात जो मुझे बहुत खटकी वह आबकारी के संबंध में है। हमारी सरकार इस बात के लिये मजबूर है कि वह मद्यनिषेध करे और उसे करना भी चाहिये और कुछ वर्षों में उसने काफी उन्नति की है, लेकिन इधर दो साल से इसकी उन्नति रुक गयी है। जिस तरीके से और कामों को पूरा कर रहे हैं वैसे ही दृढ़ता के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार तय करे कि इस मद्य निषेध की आय को छोड़ कर हमें आगे बढ़ना है। महात्मा जी के उद्देश्य को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं क्यों कि कांग्रेस में हर एक व्यक्ति समझता है कि जो आय आबकारी से होती है उसके जरिये से हम आगे नहीं बढ़ जायेंगे। हमें अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से आगे बढ़ना है। हमें गरीबों की कमाई से अपने देश की तरक्की करना है। उन लोगों की आय से नहीं जो गुमराह हो गये हैं, उनके पैसे से हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसलिये हमें आज निश्चय करना चाहिये कि अपने राष्ट्र के निर्माण कार्य को इस आबकारी की आय को खत्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के संबंध में सरकार का जो ध्यान गया है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। पूर्वी जिलों की सच्ची उन्नति रिहन्द डैम से ही होगी। पार साल इसके लिये १० लाख रुपया रखा गया था। लेकिन हमारी आशंका के अनुसार वह रकम खत्म कर दी गयी। लेकिन इस बजट में यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने पंच वर्षीय योजना में इसे ले लिया है। मैं इस नीति की भर्त्सना तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह पूर्वी जिलों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी पूर्वी जिलों की उन्नति इसी रिहन्द डैम पर निर्भर है। आज ७-८ वर्ष से हम लोग रिहन्दडैम का नाम लेते आये हैं और हम देहात जहां जहां भी गये वहां हमने जनता से कहा कि अगर यह हमारी रिहन्द डैम की योजना पूरी हो जायगी तो काया पलट हो जायगी। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस स्कीम में कोई उन्नति नहीं की है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय और इसकी तरफ दृढ़ता के साथ कदम उठाया जाय।

इसके बाद मैं दो शब्द माननीय नेता विरोधी पक्ष के भाषण के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। आपने अपने भाषण में सरकार से न्याय की मांग की है। आपने यह बतलाया कि न्याय नहीं हो रहा है और . . .

श्री अध्यक्ष—अब तो समय करीब करीब खत्म हो रहा है। अब आप कल अपना भाषण जारी रखिए।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२३ फरवरी, १९५३।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

KEY VILLAGE CENTRES IN UTTAR PRADESH
1952-53

75 : 25 basis

1. Allahabad Agricultural Institute, Naini, Allahabad.
2. Balwant Rajput College, Agra.
3. Banaras University Dairy, Banaras.
4. Shri Kanpur Gaushala Society, Bhaunti, District Kanpur.
5. Shri Gaushala, Ferozabad, District Agra.
6. Shri Gaushala, Jaunpur.
7. Bakshi-Ka-Talab, District Lucknow.

50 : 50 basis

8. Colonisation Dairy Farm, Hastinapur, District Meerut,
9. (*a*) Central Dairy Farm, Aligarh.
   (*b*) Civil Veterinary Hospital, Aligarh.
10. Civil Veterinary Hospital, Kanpur.
11. Civil Veterinary Hospital, Rae Bareli.
12. (*a*) Mechanised State Farm, Suidpur, District Jhansi.
    (*b*) Civil Veterinary Hospital, Orai, District Jalaun.
13. Mechanised State Farm, Niblet, District Bara Banki.
14. Mechanised State Farm, Nilgaon, District Sitapur.
15. (*a*) Mechanised State Farm Manjhra, District Lakhimpur-Kheri.
    (*b*) Civil Veterinary Hospital, Sitapur.
16. (*a*) Mechanised State Farm, Hempur, District Naini Tal.
    (*b*) Civil Veterinary Hospital, Haldwani, District Naini Tal.
17. Colonisation Dairy Farm, Nagla, District Naini Tal.
18. Mechanised State Farm, Arazi Lines, District Banaras.
19. Bhadri Estate Farm, Bainti, District Pratapgarh.
20. Civil Veterinary Hospital, Basti.
21. Civil Veterinary Hospital, Sultanpur.
22. (*a*) Civil Veterinary Hospital, Meerut.
    (*b*) Civil Veterinary Hospital, Ghaziabad, district Meerut.
23. (*a*) Civil Veterinary Hospital, Deoria.
    (*b*) Sub-centre at Barhaj, District Deoria.
24. Civil Veterinary Hospital, Ghazipur.
25. (*a*) Civil Veterinary Hospital, Mahewa, District Etawah.
    (*b*) Development Block, Auraiya, District Etawah,
26. Mechanised State Farm, Madhurikund, District Mathura.
27. (*a*) Mechanised State Farm, Bharari, District Jhansi.
    (*b*) Civil Veterinary Hospital, Jhansi.
28. Mechanised State Farm, Babugarh, District Meerut.
29. Government Dairy Farm, Bhadruk, Lucknow.
30. Key Village Scheme, Chatta, District Mathura.

इस प्रणाली के आरम्भ करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :---

(अ) उत्तर प्रदेश में दुधारू जानवरों की संख्या १०,०२२.६६३ हैं जिनके लिये प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराने के लिये प्रति १०० जानवरों पर एक सांड़ के हिसाब से १,०२,२२७ सांड़ों की आवश्यकता है परन्तु विभाग द्वारा वितरण किये हुए केवल ५,६२० ही उत्तम नस्ल के सांड हैं।

उपर्युक्त संख्या में अच्छी नस्ल के सांड मिल नहीं सकते। कृत्रिम गर्भाधान से उपलब्ध सांडों से प्राकृतिक ढंग के बनिस्बत ४ से १० गुना गायें गर्भित की जा सकती हैं। इस प्रकार यदि कृत्रिम ढंग का पूरा उपयोग किया जाय तो एक सांड कम से कम ४ सांडों का काम कर सकता है।

(ब) प्राकृतिक गर्भाधान में सांडों द्वारा जो जननेन्द्रिय के रोग गायों में हो जाते थे वह नहीं हो सकते हैं।

(स) गायों के समय समय पर निरीक्षण करने से उनके जननेन्द्रिय के रोगों की शीघ्र ही पहिचान तथा उपचार हो जाता है।

(द) गर्म (heated) गायों को सांडों तक ले जाने में या सांडों को गर्म गायों तक ले जाने में प्रायः बहुत समय लग जाता है और कठिनाई भी होती है परन्तु इस प्रणाली से कार्य करने के लिये उत्तम उत्तम सांडों का वीर्य एक स्थान से दूसरे स्थान को हवाई जहाज या मोटर द्वारा सुगमता से तथा अति शीघ्र ले जाया जा सकता है।

(य) वीर्य का सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा नित्य निरीक्षण करते रहने के कारण सांड की उपयोगिता तथा गर्भित करने की शक्ति का अनुभव हुआ करता है।

पी० एस० यू० पी०--९९ एल० ए०--१९५३--८३०